तृतीय माला, खण्ड २१—अंक २९

शुक्रवार, २० सितम्बर, १९६३
२९ भाद्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(पांचवां सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड २१ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ७८२ से ७८५, ७८७, ७८९, ७९० तथा ७९२ से ७९८ . . . . . ३५०७—३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ तथा १३ . ३५३२—३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८६, ७८८, ७९१, ७९९ तथा ८०० से ८०४ ३५३६—४०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२१८ से २२७३ . . ३५४०—६३

स्थगन प्रस्ताव और ध्यान दिलाने के प्रस्ताव की सूचना के बारे में . ३५६३—६४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना ३५६४—६६, ३६०९—१२

(१) पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के निकट चांगसारी स्टेशन के यार्ड में एक माल डिब्बे में से गेलेटाइन बक्सों की चोरी

(२) पश्चिम बंगाल में खाद्य तथा चीनी की स्थिति

(३) कलकत्ता में कपड़े की कीमतों में वृद्धि

सभा पटल पर रख गये पत्र . . . . . ३५६७—६९

प्राक्कलन समिति ३५६९

सिफारिशों के उत्तर

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . ३५६९

कार्यवाही सारांश ३५६९

सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक प्रबन्ध के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया ३५६९

गौहाटी तेल शोधक कारखाने के बारे में वक्तव्य . . . ३५६९—७०

श्री अलगेशन

सरकारी आश्वासनों के बारे में ३५७१

नेफा जांच के बारे में चर्चा तथा "हमारी प्रतिरक्षा तैयारी" के बारे में प्रस्ताव ३५७१—९२

श्री प्रकाशवीर शास्त्री . . . . ३५७२—७९

श्री भक्त दर्शन . ३५७९—८७

श्री इन्द्रजीत गुप्त . . . . ३५८७—९०

श्री प्र० चं० बरुआ . . ३५९०—९१

श्री प्र० के० देव . . . . . ३५९१—९२

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा वाद-विवाद

२० सितम्बर, १९६३ । २९ भाद्र, १८८५ (शक)

का शुद्धि-पत्र

१. पृष्ठ ३५०९, तारांकित प्रश्न संख्या ७८३, प्रश्न पूछने वाले सदस्य का नाम `श्री सुबो हंसदा ` के स्थान पर `श्री सुबोध हंसदा `पढ़िये ।

२. पृष्ठ ३५३२, नीचे से दसवीं पंक्ति,`श्री करणं सिंहजी `के स्थान पर `श्री कर्णी सिंहजी ` पढ़िये ।

३. पृष्ठ ३५३८, `महाराष्ट्र में बिजली के करघों वाले कारखाने `शीर्षक वाले तारांकित प्रश्न की संख्या `९९ `के स्थान पर `७९९ `पढ़िये , संख्या के पहले चिन्ह +* ~~लगा~~ दीजिये और प्रश्न पूछने वाले दूसरे और तीसरे सदस्यों के छपे हुए नामों के स्थान पर क्रमश: `श्री मा० ल० जाधव `और `श्री उमानाथ `पढ़िये ।

४. पृष्ठ ३५५६, अंतिम पंक्ति अर्थात्, `(ग) जी, नहीं । `निकाल दीजिये ।

५. पृष्ठ ३५५७, अतारांकित प्रश्न संख्या `१२२६० `के स्थान पर `२२६० पढ़िये ।

लोक-सभा

शुक्रवार, २० सितम्बर, १९६३

२९ भाद्र, १८८५ (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

इस्पात उद्योग का विनियंत्रण

+

†*७८२. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामान्य रूप से इस्पात उद्योग के विनियंत्रण के बारे में, जिसमें इस्पात के मूल्य तथा वितरण का विनियंत्रण सम्मिलित है, कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का निर्णय क्या है ; और

(ग) किन मूलभूत सिद्धांतों पर यह निर्णय किया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

1303 (ai) LSD—1.

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** (क) से (ग). जी नहीं। राज समिति तथा उत्पादक समिति के अन्तिम प्रतिवेदन मिलने के बाद नियंत्रण की वर्तमान प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन करने का निर्णय किया जायेगा। प्रतिवेदन शीघ्र मिल जाने की आशा है ?

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या यह सच है कि री-रोलींग स्टील का उपयोग करने वाले उद्योगों को कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इनको दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम):** प्रश्न वर्तमान नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने के बारे में है इसलिए यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** यह इस्पात उद्योग के विनियंत्रण के बारे में है। क्या यह सच है कि रीरोलिंग स्क्रैप के समाने इस्पात का विनियंत्रण कर दिया गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** केवल स्क्रैप का विनियंत्रण किया गया है और किसी चीज़ का नहीं।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि पब्लिक को जरूरत के मुताबिक सस्ता स्टील सप्लाई हो सके, इसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत जेनेरेल क्वेस्टियन है।

श्री प्र० चं० सेठी : जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे इस बारे में स्थिति बेहतर होगी।

श्री यशपाल सिंह : जब तक कंट्रोल न हटे, तब तक सरकार क्या कर रही है ?

श्री प्र० चं० सेठी : सवाल यह नहीं है। जैसाकि अभी बताया गया है, राज कमेटी की फ़ाइनल रिपोर्ट मिलने पर इस बारे में फैसला किया जायगा।

†**श्री बी० चं० शर्मा :** क्या मंत्रालय इस्पात वितरण मूल्यों के किसी पहलू पर बिचार कर रहा है ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** जैसा मैं बता चुका हूं कि ये मामले दो समितियों को सौंपे गये हैं एक राज समिति को तथा दूसरा उत्पादन समिति को। इनके प्रतिवेदन मिल जाने के बाद ही हम इन पर बिचार करेंगे।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** सरकार को क्या मुख्य कठिनाइयां हुई हैं अथवा उनको बताई गई हैं जो इस्पात के मूल्य नियंत्रण तथा उसके वितरण में आई और जिन के कारण ये दो समितियां स्थापित की गईं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** जी हां, उत्पादन आयोजन तथा वितरण प्रणाली के बारे में बहुत सी शिकायतें मिली हैं। इसीलिए समिति नियुक्त की गई थी तथा हमने आरम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जो छप चुका है। प्राप्त सुझावों तथा तर्कों के आधार पर अन्तिम प्रतिवेदन का प्रारूप बनाया जा रहा है। उसके मिल जाने के बाद हम पूरे मामले पर बिचार करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बड़े** : क्या सरकार को ज्ञात है कि इस्पात के ऊंचे मूल्यों तथा उसके अनुचित वितरण के कारण मध्य प्रदेश के बहुत से उद्योगों को कठिनाई हो रही है तथा वह चोरबाजारी से इस्पात खरीद रहे हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : इससे मालूम हो जाता है कि वितरण प्रणाली ठीक काम नहीं कर रही है ?

†**श्री त्यागी** : इस्पात के नियंत्रित मूल्य में उत्पादक को कितने लाभ की गारंटी होती है तथा प्रति टन समानाधिकरण निधि के लिए कितनी प्रतिशतता होती है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मुझे खेद है कि यह इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है ।

†**श्री त्यागी** : परन्तु मूल्य नियंत्रित हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक बड़ा प्रश्न है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : माननीय मंत्री बता रहे थे कि कोई नियंत्रण नहीं है स्पष्ट मैं उनका ध्यान ५ मई के समाचारपत्रों में प्रकाशित उनके भाषण की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें संदेह नहीं है कि कोटाल स्क्रैप का नियंत्रण करने का सरकार का निर्णय दीर्घकाल में उद्योग के लिए लाभदायक होगा"।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मैं समझता हूं कि मैंने बताया था कि स्क्रैप का विनियंत्रण कर दिया गया है।

चश्मा कांच कारखाना

+

†*७८३. **श्री सुबो० हंसदा** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में चश्मा कांच कारखाने की स्थापना चालू वर्ष में पूरी कर दी जायेगी जैसा कि पहले सोचा गया था ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) यह निर्धारित कार्यक्रम से कितना पीछे रह जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं।

(ख) परियोजना के आर्थिक अध्ययन में कुछ समय लगा था। रूसी सहयोग करने वालों से ठेका ४ जून, १९६३ को किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) आशा है कि परियोजना १९६६ के आरम्भ में पूरी हो जायेगी तथा १९६६ के मध्य तक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा।

†**श्री सुबोध हंसदा** : ठेके पर हस्ताक्षर होने के बाद क्या विदेशी मुद्रा से आने वाली मशीन के लिए आर्डर दे दिए गए हैं ?

†**श्री कानूनगो** : हम आर्डर दे रहे हैं। प्राविधिक सहयोग के ठेके पर जून में हस्ताक्षर हुए थे। शेष बातें जैसे नक्शों आदि बाद में बनेंगे और मशीन का आर्डर दे दिया जायेगा।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्योंकि इस कारखाने की स्थापना का काम गत एक वर्ष से हो रहा है क्या मैं जान सकता हूं कि इसको भी लागत में जोड़ दिया जायेगा।

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं एसा नहीं है : मूल काम में अन्तिम निर्णय लेने में इस कारण विलम्ब हुआ था क्योंकि जिस काम की आशा थी उसके बारे में संदेह था। अब हमें मालूम हुआ है कि मांग ३०० टन हो जायेगी। इस लिए कठिनाई दूर करदी गई है और परियोजना संभवतः अब आगे बढ़ती रहेगी।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि पहले परियोजना में चश्मा कांच बनाने के लिये ही नहीं अपुति दर्शन यंत्र कांच बनाने की भी व्यवस्था थी परन्तु सरकार ने इस उपक्रम से दर्शन यत्रकांच बनाने का काम निकालने का निर्णय कर लिया था ?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं। एक बार हमने दर्शन यंत्र कांच को निकालने की सोची थी परन्तु मुख्य कठिनाई यह थी कि मांग का पहले पता लगाना था तथा तदानुसार उत्पादन करना था।

†**श्री रामचन्द्र उलाका** : हमारे देश में चश्मा कांच की किनी मांग है तथा वह कारखाना किस सीमा तक इस मांग को परा करने में समर्थ होगा ?

†**श्री कानूनगो** : इस कारखाने में मांग पूरी हो जायेगी और हमारी मांग शीघ्र बढ़ रही है।

श्री शिव नारायण : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस ग्लास फैक्टरी के बनाने में सरकार का कुल कितना रुपया खर्च होगा और क्या हिन्दुस्तान के लोग इस को बना रहे हैं या बाहर के विजनैस मेंन के सहयोग से इस को बनाया जा रहा है।

श्री कानूनगो : मैंने कहा है कि यह रूसियों के साथ सलाह-मश्वरा कर के बनाया जा रहा है।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या बाद में कभी इसके निकट एकदर्शन यंत्र कारखाना बनाने का भी प्रस्ताव है ?

†**श्री कानूनगो** : इस परियोजना के दर्शनयंत्र बांधा जायेगा।

सहकारी संस्थाओं को निर्यात तथा आयात के लाइसेंस

†*७८४. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात तथा कमी वाली वस्तुओं के वितरण के लिए आयात के लाइसेंस देने के मामले में सहकारी संस्थाओं को पूर्ववर्तिता देने का कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या विशेष और ठोस प्रस्ताव तैयार किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी हां, सरकार ने सहकारी संगठनों को कुछ वस्तुओं का आयात करने तथा, दालें, केले तथा रूई आदि का निर्यात करने की सुविधायें देना स्वीकार कर लिया है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७८९/६३]

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या सहकारी समितियों को कमी वाली वस्तुओं का आयात करने में लायसेंस भी दिये गए हैं तथा यदि हां, तो ये लायसेंस कितनी मात्रा के हैं।

†**श्री मनुभाई शाह** : रैड बुक में दी गई वस्तुएं जिनको सभा में कई बार बताया जा चुका है, के अतिरिक्त और किसी कमी वाली वस्तु के आयात की अनुमति नहीं है। रकम नीचे दी जाती है: खजूर के लिए ४३.७५ लाख रूपये। मेवे के लिऐ १० लाख रूपये . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सब विवरण में दिये गये हैं।

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या अपैक्स स्टोरों को भी लायसेंस दिये गये हैं अथवा क्या बहुत से उपभोक्ता स्टोरों को इन लायसेंसों के लाभ दिये गए हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सामान्यतः हम अपैक्स स्टोरों को ही इनको देते हैं तथा यह आदेश भी देते हैं कि वह इनको उपभोक्ता स्टोरों में वितरण कर दें क्योंकि हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं कि छोटी समितियां विदेशों से वस्तुओं को मंगायें और मूल्य बढ़ा दें।

†**श्री मानसिंह पृ० पटेल** : क्या केवल उपभोक्ता समितियां ही अपने सदस्यों के लिए आवश्यक वस्तुओं की अनुमति देते हैं तथा सहकारी समितियों की सेवा के लिए नहीं देते हैं तथा यदि हां तो क्यों ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह प्रश्न सहकार मंत्री से पूछा जाना चाहिए। इस बारे में हम सहकार मंत्री द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार चलते हैं।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : ऐसे कितने संगठनों को निर्यात के लायसेंस दिये गये है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह विवरण में दिया गया है।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : विवरण में यह कहा गया है नियंत्रित वस्तुओं के कितने ही निर्यात अनुमति पत्र सहकारी समितियों समेत सभी नौवहन समुदायों को निर्बाध दिये गये हैं क्या हम यह समझें कि सहकारी समितियां अन्य नौवहन समवायों के समान ही हैं अथवा माननीय मंत्री के कथनानुसार इनको कुछ रियायतें दी गई हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : उनको लायसेंस देने में अधिमान दिया जाता है। तदर्थ आवंटन उन्हें, किया जाता है तथा शेष अन्य लोगों में वितरित किये जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा किये गये ठेके

+

†*७८५. { **श्री मुरारका :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा कच्चे माल और सामान के क्रय अथवा इस्पात उत्पादों के विक्रय के लिए कोई दीर्घ-कालीन ठेके किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किनके साथ किन वस्तुओं के लिए, किन शर्तों पर तथा कितनी अवधि के लिये ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच है कि रूरकेला कारखाने से दीर्घकालीन समझौता हुआ है कि अस्वीकृत पाइपों को कम कीमत बेचा जाये ।

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : मुझे जानकारी नहीं है । परन्तु मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की जानकारी ठीक है ।

†**श्री मुरारका** : इस प्रश्न की सूचना एक महीने से पहले दी गई थी । मंत्रालय को यह जानकारी अब तक इकट्ठा कर लेनी चाहिए थी ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यदि प्रश्न उस रूप में पूछा गया होता जिस रूप में अब पूछा गया है तो मैं अवश्य जानकारी इकट्ठा कर लेता । परन्तु यह प्रश्न कच्चे माल का भंडार अथवा इस्पात उत्पादों की बिक्री के बारे में है । यह सूचना सभी कारखानों से इकट्ठी की जायेगी ।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या सरकार ने कच्चे माल तथा भांडार की अर्थ-व्यवस्था पर विचार कर लिया है तथा यदि हां, तो क्या इस्पात कारखाने के लिए कच्ची सामग्री तथा भांडारों की खरीद के लिए कोई समन्वित अथवा केन्द्रीय अभिकरण बनाया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम**: लौह अयस्क या अन्य कच्ची सामग्री केन्द्रीय रूप से खरीदी गई थी परन्तु कुछ वस्तुओं कों काखाने में खरीदना लाभदायक होता है, न कि केन्द्रीय स्तर पर

†**श्री त्यागी** : क्या ये ठेके करने से पहले टेंडर मंगाये गये थे तथा यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने टेंडर भेजें तथा क्या हमेशा न्यूनतम टेंडर स्वीकार किया गया था ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जहां पर टेंडर मंगाये जाते हैं वहां पर वस्तुओं की खरीद के नियम होते हैं ; मैं मांगी गई सभी जानकारी एकदम नहीं दे सकता हूं ।

†**श्री त्यागी** : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और माननीय मंत्री द्वारा कोई बात न जानना बडे खेद की बात है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह था कि क्या टेंडर मंगाये गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : क्योंकि तथ्यों को अभी इकट्ठा करना है इसलिए मैं मानता हूं कि मैं तथ्यों को नहीं जानता हूं ।

†**श्री त्यागी** : जब प्रश्न ठेकों के बारे में पूछा गया तो उचित प्रश्न यह पूछा जा सकता था कि टैंडर मंगाये गये थे अथवा नहीं । अन्यथा कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है । माननीय मंत्री का यह रवैया है ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम**: स्पष्ट है कि माननीय सदस्य ने मुख्य उत्तर नहीं सुना । मुख्य उत्तर था कि जानकारी इकट्ठा की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

†**श्री रंगा** : प्रश्न यह है कि टैंडर मंगाये गये थे अथवा नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संभवतया मंत्री महोदय ने स्वयं इस प्रश्न की शंका की होती और जानकारी मंगाई होती । सदस्य यह ही पहला अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे ।

†**श्री रंगा** : मुझे प्रसन्नता है कि यह विवाद कारखानों में ही तय किए जा रहे हैं परन्तु क्या हमको आश्वासन दिया जा सकता है कि इन कारखानों में संभरण के लिए उन्हीं बड़े एक अथवा दो ठेकेदारों को ठेके नहीं दिये जायेंगे जिन को अब तक दिये जाते रहे हैं ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह तो टैंडरों के आधार पर होगा । जब टैंडर मंगाये जायेंगे तो जो टैंडर सब से कम होगा और कोई उस पर आपत्ति नहीं होगी तो हम केवल इस आधार पर कि उस व्यक्ति के और भी टैंडर हैं उस को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। मेरे पास पूरे तथ्य नहीं हैं और मैं यह मानता हूं कि मुझे पूरे तथ्य मंगा कर प्रश्न का उत्तर देना चाहिये था ।

†**श्री मुरारका** : दीर्घकालीन समझौता करते समय क्या इस्पात कारखानों द्वारा सरकार का परामर्श लिया गया था ?

†**श्री चि०सुब्रह्मण्यम** : जी नहीं । मैं नहीं समझता कि सरकार को यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेनी चाहिये ।

†**श्री रंगा** : जब सरकार जानकारी इकट्ठा कर ले तो मेरा अनुरोध है कि वह टेंडर देने वालों आदि तथा ठेकेदारों के नाम हम को बता दे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जानकारी दी जानी चाहिये ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जी हां । मैं जानकारी इकट्ठा करूंगा और दे दूंगा ।

बिहार में मशीनें तैयार करने का कारखाना

+

†*७८७. **श्री वासुदेवन नायर** :
श्री वारियर :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री विभूति मिश्र :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मशीनें तैयार करने का कारखाना खोलने के लिये मेसर्स साहू जैन को लाइसेंस दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह कब दिया गया था; और

(ग) कारखाने की अनुमानित लागत कितनी है?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: (क) से (ग). जी हां। सीमेंट बनाने की मशीन, लुगदी, कागज़ बनाने की मशीन तथा रसायन और उर्वरक बनाने की मशीन बनाने के लिए हज़ारी बाग़ (बिहार) में नये उपक्रम की स्थापना के लिए २० अप्रैल, १९६१ को मैसर्स साहू जैन लिमिटेड कलकत्ता को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ के अधीन लाइसेंस दिया गया था। उद्योग अधिनियम के अधीन लाइसेंस रद्द कर देने के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

†**श्री वासुदेवन नायर**: इस फर्म को यह लाइसेंस कब दिया गया था तथा क्या इस फर्म की गैर-कानूनी कार्यवाहियों के बारे में विवियन बोस आयोग के प्रतिवेदन के मिलने के बाद वह लाइसेंस दिया गया था?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: तारीख बता दी गई है। उद्योग अधिनियम के अधीन लाइसेंस २० अप्रैल, १९६१ को दिया गया था।

†**श्री वासुदेवन नायर**: क्या विभाग लाइसेंस के लिए और किसी आवेदन-पत्र पर विचार कर रहा है।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम**: सीमेंट कारखाने के और भी लाइसेंस हैं तथा इस लाइसेंस को रद्द करने की कार्यवाही कर रहे हैं।

†**श्री दाजी**: लाइसेंस रद्द करने के क्या कारण हैं तथा क्या यह धारणा सच है कि यह लाइसेंस विवियन बोस आयोग के प्रतिवेदन के बाद रद्द किए गए?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम**: हमने अभी उसको रद्द नहीं किया है। हम उसको रद्द करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह भी एक कारण हो सकता है।

†**श्री रामचन्द्र उल्लाका**: यह कारखाना कब तक चालू हो जायेगा तथा इसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी?

†**श्री प्र० चं० सेठी**: इस लाइसेंस के द्वारा उत्पादन दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि लाइसेंस रद्द किया जा रहा है।

†**श्री शशि रंजन**: इस लाइसेंस को स्वीकृति के समय तथा और कोई आवेदन पत्र भी था अथवा यही आवेदन पत्र था जिसका विचार किया गया था?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम**: मुझे इसके लिए पूर्व सूचना चाहिए।

†**श्री दी० चं० शर्मा**: इस फर्म की क्या विशेष अर्हतायें हैं जिनके कारण उनको इतने विभिन्न प्रकार की मशीनें बनाने के लाइसेंस दिए जाते हैं?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम**: मुझे पूरा विश्वास है कि लाइसेंस देने से पूर्व इस फर्म की क्षमता पर पूर्णतः विचार किया गया था। ये फर्म सीमेंट कागज़ आदि का उत्पादन कर रही थी अतः यही समझा गया कि यह मशीनों का निर्माण भी कर सकेगी

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री क० ना० तिवारी** : क्या सरकार जानती है कि सीमेंट की कमी है तथा जब तक साहू जैन को न्यायालय के अपमान के लिए दोषी नहीं माना जाता है तब तक सरकार ने लाइसेंस को किस प्रकार रद्द कर दिया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तर्क वितर्क कर रहे हैं । श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या सरकार को बताया गया है कि कलकत्ते में एक बड़े जासूसी गिरोह को तथा विदेशी मुद्रा की धोखा धड़ी को पकड़ा गया है । जिनमें से एक अपराधी साहू जैन का एक आदमी है । क्या इससे साहू जैन की अन्य गड़बड़ियों का पता लगा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : लाइसेंस देने तथा उनको रद्द करने में हमारा मार्गदर्शन उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम द्वारा होता है। उसके अधीन हमने नोटिस दिया था और हमारा विचार लाइसेंस रद्द कर देने का है । अभी अन्य बातें सामने नहीं आई हैं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : जब यह लाइसेंस रद्द किया जा रहा है तो क्या सरकार ने किसी और को लाइसेंस देने का निर्णय किया है जिससे उत्पादन में कोई कमी न आने पाये ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** जी हां । हम इसका ध्यान रख रहे हैं कि अन्य कारखानों में उत्पादन होने लगें ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : अप्रैल ६१ में जब यह लाइसेंस दिया गया था तब से क्या इस फर्म ने हज़ारीबाग़ में कुछ निर्माणकार्य किया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जी हां । कुछ काम किया है। इसीलिए हम इसको रद्द करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

कलकत्ता में व्यापार गृहों पर छापा

+
†*७८९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री बालकृष्ण वास्निक :
श्री राम रतन गुप्त :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन पुलिस ने हाल में कलकत्ता में वायदा सौदे (विनियमन) अधिनियम के उल्लंघन के सन्देह पर कुछ बड़े व्यापारगृहों पर छापा मारा ;

(ख) यदि हां, तो जिन फर्मों पर छापा मारा गया उनका क्या ब्योरा है ;

(ग) उनके खिलाफ़ क्या आरोप हैं ; और

(घ) सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) मैसर्स मदनलाल झुनझुनवाला, श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला, तथा मैसर्स लोहिया सुलतानिया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) वायदा सौदे (विनियमन) अधिनियम, १९५२ के उपबन्धों के उल्लंघन में वायदा सौदे कथित रूप से इस फर्म द्वारा किये गए हैं ।

(घ) कलकत्ता पुलिस मामले की छानबीन कर रही है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : किन वस्तुओं के वायदे सौदे गैर-कानूनी तौर पर किए गए थे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : पहले दो मामलों में 'डब्बा' सौदे किए गए थे जिसका अर्थ हुआ कि वह सौदे जो मान्यता प्राप्त संस्था के बाहर किए जायें । इस प्रकार अपना अलग गुट बनाना बड़ी ही गैर-कानूनी व्यवस्था है । तीसरे मामले में 'कर्ब' सौदा किया गया था जिसका अर्थ हुआ कि वह अपने गुट में वस्तुओं के मल्य इस प्रकार रखते थे जिसके कारण सट्टेबाज़ी बढ़ती थी ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं जानना चाहता हूं कि वे वस्तुयें क्या हैं ।

†**श्री मनुभाई शाह** : एक मामले में मूंगफली तथा प्रत्येक मामले में वनस्पति घी तथा कपास ।

†**श्री त्यागी** : श्री लोहिया किस वस्तु का व्यापार कर रहे थे ?

डा० राम मनोहर लोहिया : अरे त्यागी जी महाराज, वह सुलतानिया हैं, सुलतानिया ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सरकार को जानकारी है कि वायदे सौदे जूट तथा जूट उत्पादों के विदेशी उपभोक्ताओं से होते हैं तथा यह प्रक्रिया अब कलकत्ता में 'डब्बा' तथा पटरी व्यापारियों में बहुत फैल चुकी है; यदि हां, तो क्या मामले की जांच करने तथा सच्चाई जानने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अब तक जूट 'डब्बा' सौदे हमारे सामने नहीं आए हैं । मैसर्स लोहिया सुल्तानिया रुई तथा तिलहन का व्यापार करते हैं । हम हमेशा इन मामलों का ध्यान रखते हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : दो तरह के लोहिया हैं । गरीब लोहिया इधर बैठ हुए हैं और सुल्तानिया लोहिया उधर बैठ हुए हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : छापे मारते समय क्या इसकी सावधानी रखी गई थी कि कागजात कब्जे में कर लिय जायें तथा यदि हां, तो जांच इस समय किस स्थिति में हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मामला न्यायालय में है इसलिए सावधाधी रखी जानी चाहिए क्योंकि इससे कानूनी कार्यवाही में बाधा न पड़ जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : किस स्थिति में है ?

†**श्री मनभाई शाह** : जांच हो रही है जो बताई नहीं जा सकती है ।

श्री शिव नारायण: इस इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में किसी आदमी की गिरफ्तारी भी हुई है ?

श्री मनुभाई शाह : यह किसी हद तक नानकाग्निजेबल अफेंस भी है । उन के पास पहले चालान भेजा गया था, लेकिन उस के बाद वह बेल पर छूट गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ट्रैक्टरों का निर्माण

+

†*७९०. श्री प्र० क० देव :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बड़े :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये उन्नीस फर्मों को लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो फर्मों के क्या नाम हैं और वे उत्पादन कब करेंगी ;

(ग) उनक निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(घ) भारतीय ट्रैक्टर बाजार में कब तक आ जायेंगे और उनका कितना मूल्य होगा ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७९०/६३]

†श्री प्र० के० देव : विवरण से हमें यह पता लगता है कि भारत में ट्रैक्टरों की वार्षिक आवश्यकता का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। इन लाइसेंसों के देने से जब पूरा उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा तो इससे हमारी आवश्यकतायें कहां तक पूरी हो जायेंगी ?

†श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक अनुमान का सम्बन्ध है तो योजना अयोग ने ट्रैक्टरों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है । तृतीय योजना काल के लिये यह लगभग १०,००० प्रतिवर्ष है । अब कार्यवाही की जा रही है । कुल मिलाकर हमारे लाइसेंसों की क्षमता ९,००० है और इससे आगे ३,००० के लिये लाइसेंस देने की बात पर हम विचार कर रहे हैं ।

†श्री प्र० के० देव : सूची में संख्या ४ पर मैसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा का नाम दिखाया गया है । इस बात का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है कि वे किस किस्म के ट्रैक्टर बनायेंगे और सभी पुर्जे देश में बनाये जायेंगे अथवा नहीं ।

†श्री प्र० चं० सेठी : वे इंटरनेशनल हारवैस्टर किस्म के ट्रैक्टर बनायेंगे ।

†श्री प्र० के० देव : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सभी पुर्जे इस देश में बनाये जायेंगे ।

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : प्रारम्भ में सभी पुर्जों को यहां बनाना सम्भव नहीं होगा । इसलिये, सर्वदा ही उनका प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम होता है । आजकल हम इस बात पर जोर देते हैं कि प्रारम्भ में उन्हें ८० प्रतिशत स्वदेशी पुर्जे आदि लगाने चाहियें ।

†श्री भागवत झा आजाद : इन फर्मों को विद्युत चालित टिलरस के निर्माण के लिये लाइसेंस कब दिया गया था और क्या उन्होंन यह बताया है कि विवरण में उल्लिखित ट्रैक्टरों की मात्रा का निर्माण करना कब उनके लिये सम्भव होगा ?

†श्री प्र० चं० सेठी : विद्युत् चालित टिलर्स के लिये १९६० में ईस्ट एशियाटिक कम्पनी को लाइसेंस दिया गया था । उनके शीघ्र ही उत्पादन प्रारम्भ करने की सम्भावना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद** : मैं यह जानना चाहता हूं कि कब उनके द्वारा उत्पादन प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है। उन्हें १९६० में लाइसेंस दिया गया था और तब से यह तीसरा साल है।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : उन्होने सहयोग प्राप्त करने के लिये कुछ लोगों के साथ बातचीत करनें के प्रयत्न किये थे जिनमें से कुछ असफल रही हैं परन्तु अब उन्होंने एक सहयोग प्राप्त कर लिया है इस में १९६४ के प्रारम्भ में उत्पादन शुरू होने की आशा है।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : विवरण में यह बताया गया है कि बहुत से ट्रैक्टर ऐसे हैं जिनके मूल्य ११,००० रुपये, १४८५० रुपये और १५,७५० रुपये हैं। फिर यह बताया गया है कि कुछ फर्मों को छोटे ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिये लाइसेंस दे दिये गये हैं और उन ट्रैक्टरों की संख्या २४,००० और ३,००० बताई गई है परन्तु उनके मूल्य नहीं बताये गये हैं। इन ट्रैक्टरों के मूल्य क्या होंगे और क्या दस एकड़ से कम भूमि रखने वाले छाटे छोटे कृषक उनको खरीद सकेंगे ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : अभी तक उनका उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है। जैसे ही उनका उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा, हम उनका मूल्य भी निर्धारित कर देंगे।

†**श्री बड़े** : विवरण में यह बताया गया है कि ये पी०टी० ट्रैक्टर छाटे छोटे ट्रैक्टर हैं और अभी इन कम्पनियों ने उत्पादन बिल्कुल भी प्रारम्भ नहीं किया है। वे कब उत्पादन आरम्भ करेंगे और उनका मूल्य क्या होगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मेरा विचार है कि मैंने अभी इसका उत्तर दिया था।

†**श्री बड़े** : वे कब उत्पादन प्रारम्भ करेंगे ? उनको १९६० अथवा १९६१ में लाइसेंस दिया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर उन्होने दे दिया है।

†**श्री बड़े** : उन्होने केवल यही कहा है कि उन्होंने उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है। वे कब उत्पादन प्रारम्भ करेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न पूछा गया था और उसका उत्तर दे दिया गया था। कदाचित माननीय सदस्य ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे थे। वे केवल विवरण की ओर ध्यान दे रह हैं और उस उत्तर की ओर नहीं जो कि अभी दिया गया है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : उन्होंने बताया है कि वहां १९६४ में उत्पादन प्रारम्भ होगा।

†**श्री बड़े** : मुझे खेद है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब उन्हें खेदानुभव ही करना है तो उन्हें इस बात पर जोर क्यों देना चाहिये कि इसका उत्तर नहीं दिया गया है ? जब मैं उन्हें पुनः पुनः यह बताता रहा हूं कि इसका उत्तर दे दिया गया है, तो वे यह तर्क करते रहे हैं कि इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री रामेश्वरानन्द : भारतीय शिल्पकारों ने एक हल बनाया है जिस की १५० रु० कीमत है। उस में पांच खुड़ निकलते हैं। एक हल दो बैलों के बल पर ३ किल्ला भूमि एक दिन में बाह देता है। अगर ऐसे ऐसे दो हल चलें तो वे एक ट्रैक्टर का काम पूरा कर देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन हलों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में कुछ सोच रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक एग्रिकल्चरल इम्प्लिमैंट्स का सवाल है, उस का उत्पादन करने वाले दूसरे लोग हैं। उन इम्प्लिमैंट्स के अलावा ट्रैक्टर्स की आवश्यकता महसूस की गई है इस लिये ट्रैकटर्स का उत्पादन प्रारम्भ किया गया है ।

लौह अयस्क के मूल्य

†*७९२. **श्री ह० चं० सोय** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क के मूल्य में परिवर्तन करनें का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या खान मालिकों ने, विशेषतया बिहार में, लौह अयस्क के मूल्यों को कम करनें के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्रावाही करने का विचार कर रही है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). हमारे खानों से लौहे को निकालने के व्यय, और संसार की मंडियों में विद्यमान मुल्यों को ध्यान में रखते हुए, निर्यात किये जानें वाले लौह अयस्क के मूल्यों को राज्य व्यापार निगम खान मालिकों से बातचीत करके निर्धारित करता है। अब केवल उसी बातचीत को अन्तिम रूप देना बाकी है जो कि इस समय बिहार और उड़ीसा की खानों के बारजम्दा क्षेत्र के खान मालिकों के साथ चल रही हैं। राज्य व्यापार निगम ने तथा खान मालिकों ने भी अपन अपने दृष्टिकोण बता दिये हैं और हमें पूर्ण आशा है कि इन बातचीतों के परिणामस्वरूप एक पारस्परिक संतोषजनक समझौता शीघ्र हो जायेगा ।

श्री ह० चं० सोय : क्या यह बात सही है कि स्टेट ट्रेंडिंग कारपोरशन के रिप्रेजन्टेटिव्ज और माइन ओनर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की व्यूज़ में कुछ तफर्का है। अगर यह बात सही है तो इस के कास्ट आफ प्रोडक्शन में और कास्ट आफ ट्रांस्पोर्ट में क्या कोई फर्क है ?

श्री मनुभाई शाह : तफर्का है तभी तो बात चल रही है ।

†**श्री दाजी** : इन खानों का लौह अयस्क अन्य लौह अयस्क की तुलना में कैसा है और राज्य व्यापार निगम का क्या प्रस्ताव है और मालिकों का क्या प्रतिरोधी प्रस्ताव है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : बहुत से ब्योरे हैं और मूल्य में अन्तर की बहुत सी बातें हैं और मैं उन सबको बता कर सदन पर बोझ नहीं डालना चाहता। जहां तक किस्म का सम्बन्ध है, उसकी किस्म ऐसी है कि वह विदेशी क्रेताओं को स्वीकार्य है। प्रत्येक खान के उत्पाद की किस्म भिन्न भिन्न होती है। मूल्यों के अन्तर का जहां तक सम्बन्ध है वह बहुत सी बातों के कारण है जैसे कि, परिवहन खनन की लागत, लदान और अन्य सब खर्चे। मैं सारी बात को बताना पसन्द नहीं करूंगा ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : माननीय मंत्री ने बताया है कि एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। मैं यह जानना चाहूंगा कि खान मालिकों द्वारा उठाये गये इन प्रश्नों पर क्या विचार किया गया है कि उड़ीसा की तुलना में उन्हें कम मूल्य मिल रहा है और यह कि प्रतिस्पर्द्धात्मक उत्पादन के कारण से अलाभकारी हैं और यह कि परिवहन व्यय जैसी अनेक कठिनाइयां हैं जिनसे उनके लिये बहुत अड़चन पैदा होती हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह**: जैसा कि सदन को ज्ञात है, ये नये ठेके नहीं हैं। गत ९ वर्षों से, जब से कि हमने थोड़ा निर्यात प्रारम्भ किया था और अब जब कि हम बड़ी मात्रा में निर्यात कर रहे हैं, लागतें ज्ञात थी। अब जब मूल्य कम हो गये हैं तो उन्हें अधिक के लिये कहना पड़ा है। जब हम गुजारा ही नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

कर पाते, तो यह असम्भव है। इसी लिये अन्तर है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मूल्यों का कोई नया ढांचा बनाया जा रहा है। यह सच है कि उत्कल निगम के लोगों की यह भावना है कि उन्हें उतना मूल्य नहीं मिल रहा है जितना कि बिहार में है। हमने उन्हें कारण बताने के लिये कहा है। इसकी जांच हो रही है। हम उदार हृदय हैं और हम यह अनुभव करते हैं कि शीघ्र ही निर्णय हो जायगा।

†**श्री शशिरंजन** : क्या सरकार खानों के मुहान पर अयस्कों का एक समान मूल्य रखने की और ढुलाई के लिये पृथक रूप से देने की बात रखने की इच्छुक हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सम्भव नहीं है क्योंकि दरें भिन्न भिन्न हैं, चढ़ाव भिन्न-भिन्न हैं और ऐसी सब बातें हैं। परन्तु हमें यह तो देखना ही चाहिये कि प्रत्येक को उतना कुछ मिल जाये जो कि उपयुक्त है।

†**श्री रंगा** : राज्य व्यापार निगम जो भी कुछ लाभ अथवा कमीशन ले रहा है उसकी सीमा को कम करने के लिये और इन उत्पादकों को लारियां द्वारा इसका परिवहन के लिये कहने के बजाय, जिसमे कि अधिक व्यय होता है और जिसके कारण उनके लाभ की सीमा कम है, पर्याप्त संख्या में रेलव वैगनों की व्यवस्था करने के लिये क्या कुछ कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक प्रश्न के प्रथम खंड का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दिलाता हूं कि हम निर्यात करना चाहते हैं और राज्य व्यापार निगम के लिये लाभके इच्छुक नहीं हैं। इस लिये, जहां तक हम कर सकते हैं, हम खनिकों को संतुष्ट करनें का प्रयत्न करते हैं। मैं खनिकों की भी यह चेतावनी देता हूं, जैसा कि मैंने पहले भी किया है, कि यदि वे उत्पादन की लागत को कम नहीं करेंगे और आधुनिकीकरण नहीं करेंगे तथा लाभ को स्वयं ही हड़प करत रहेंगे तो वे भी कठिनाई में पड़ जायेंगे। प्रश्न के द्वितीय खंड के सम्बध में मैं यह बता दूं कि जहां तक लौह अयस्क का सम्बन्ध है रेलवेज़, कोयला विकास तथा सभी प्रकार के परिवहन का प्रसार करने का २५० करोड़ रूपये का एक कार्यक्रम है। इसमें कुछ समय तो अवश्य ही लगेगा। इस बीच उन्हे लारियों का उपयोग करना पड़ेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : वहां कोई सड़कें भी नहीं थीं।

†**श्री मनुभाई शाह** : वे सब सम्पूर्ण कार्यक्रम का एक अंग हैं। इसमें सड़कें भी सम्मिलत हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया : लोहा अयस्क (आयरन ओर) की कीमत फौलाद की कीमत का कितना प्रतिशत है ?

श्री मनुभाई शाह : वैसे यह तो इस पर निर्भर करेगा कि फौलाद किस किस्म की हो। अमूमन वह २३–२४ परसेंट होती है, लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि किस ग्रेड का आयरन ओर है।

डा० राम मनोहर लोहिया : सवाल तो यह था कि लोहा अयस्क की कीमत फौलाद की कितनी प्रतिशत होती है।

श्री मनुभाई शाह : यह तो दरिया है सब माइन्स में से एक तरह का ओर नहीं निकलता। इस-लिये जनरल तौर पर कह देने से नहीं बनता। अलग अलग ओर का फैरस कन्टेंट ५२ से ६७ या ६८ परसेंट तक होता है। अगर आप किसी खास माइन का पूछें तो जवाब दिया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० राम मनोहर लोहिया : जिस इलाके के बारे में सवाल है, यानी बिहार और उत्कल, उसके बारे मैं मेंने पूछा है ।

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहब, वहां तो बहुत सी माइन्स हैं । हर एक माइन का अलाहिदा अलाहिदा तो नहीं बताया जा सकता ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं बिहार और उड़ीसा का औसत जानना चाहता हूं ।

श्री मनुभाई शाह : इसमें औसत की बात नहीं आती ।

डा० राम मनोहर लोहिया : उनके पास औसत है ही नहीं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या उत्पादन की लागत को कम करने के लिये आधुनिकीकरण की कोई योजना खान मालिकों ने पेश की है और यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में सरकार का क्या दृष्टि-कोण है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मिल कर उन्होंने अधुनिकीकरण की कोई योजना पेश नहीं की है । परन्तु जैसा कि सदन को ज्ञात है, हमने हाल ही में उन्हें यह अनुमति दी है कि अपने निर्यात के लाभ के १० प्रतिशत भाग को वे आधुनिकीकरण करने के लिये मशीनों और उपकरणों का आयात करने में उपयोग कर सकते हैं ।

हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात

+

†*७९३. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात में कमी आ गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति सुधारने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जी, नहीं । बल्कि हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात तो गत दो वर्षों में बढ़ गया है ।

(ग) हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिये जो अनेक कदम उठाये गये हैं वे ये हैं :—प्रेरणात्मक योजनाओं के अधीन हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात के विरुद्ध आवश्यक कच्चे माल के आयात के लिये व्यवस्था करना, तैयार भण्डारों से आयात किये हुए कच्चे माल का सम्भरण करना, निर्यात क्रयादेशों पर सरल शर्तों पर साख सुविधायें देना, बाहरी देशों में प्रदर्शन और प्रचार करना, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों तथा प्रदर्शिनियों में भाग लेना, विदेशों में बाजार का सर्वेक्षण करने में सहायता देना, निर्यातकों के संघों का संगठन करना, आदि ।

†**श्री पोट्टेकाट्ट** : क्या निरीक्षण डिपूओं तथा विश्लेषण प्रयोगशालाओं द्वारा हस्तशिल्प वस्तुओं पर किस्म का चिह्न लगाना सम्भव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : यह बहुत कठिन बात है क्योंकि यदि किसी वस्तु का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाये तो फिर वह हस्तशिल्प वस्तु नहीं रहती है ।

†**श्री पोट्टेकाट्ट** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कथाकली नृत्य विदेशों में बहुत लोकप्रिय हो रहा है, क्या मैं जान सकता हूं कि विदेशों में विक्रय के लिये कथाकली नृत्य मुद्राओं तथा परिधानों में खिलौनों के निर्माण करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री कानूनगो** : मैं प्रश्न को नहीं समझ सका ।

†**श्री पोट्टेकाट्ट** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कथाकली नृत्य विदेशों में बहुत लोकप्रिय हो रहा है . . . .

†**श्री कानूनगो** : नृत्य के लोकप्रिय होने की मुझे जानकारी नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे कथाकली नृत्य की मुद्राओं को प्रदर्शित करने वाले खिलौनों की बात कह रहे हैं ।

†**श्री कानूनगो** : कथाकली मुद्राओं में बने हुए खिलौने देहली में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं । मैं यह नहीं जानता कि और स्थानों पर वे कितने लोकप्रिय हैं ।

†**श्री सरजू पाण्डेय** : मैं जानना चाहता हूं कि बनारस में बनने वाले कालीनों की बाहर के बाजारों में खपत बढ़ी है या नहीं ?

†**श्री कानूनगो** : हमारा सब से बड़ा एक्सपोर्ट आइटम कारपेट है, लेकिन इस में बनारस का कितना है इस के आंकड़े हमारे पास नहीं हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : किन मुख्य मुख्य देशों को इन हस्तशिल्प वस्तुओं का हमारा निर्यात बढ़ा है, और जिस मूल्य पर ये हस्तशिल्प वस्तुयें निर्यात अभिकरणों द्वारा खरीदी जाती हैं उसकी अपेक्षा में उन देशों का विक्रय मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाता है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : सब से अधिक वृद्धि अमेरिका में हुई है, और गत वर्ष हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात लगभग २ करोड़ रुपये का बढ़ गया है । निर्यात में सब से अधिक वृद्धि धातु के कलात्मक बर्तनों से हुई है, उस के बाद दूसरा स्थान बनारस की जरी की बनी वस्तुओं का है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि अपेक्षाकृत मूल्य कैसे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ये सब मनोहारी वस्तुएं हैं । इन के कोई तुलनात्मक मूल्य नहीं हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं यह जानना चाहता हूं कि निर्यात मूल्य इस मूल्य की अपेक्षा में कैसे हैं जिस पर कि वे यहां के निर्यात अभिकरणों द्वारा खरीदी जाती हैं ।

श्री मनुभाई शाह : उस सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हूं कि हस्तशिल्प वस्तुएं स्वयं ही गमनागमन नहीं कर सकतीं । इसलिये, हम उन लोगों की थोड़ी सी निर्यात सम्बन्धी सहायता दे रहे हैं कि जिस कच्चे माल की उन्हें आवश्यकता है उसे हम उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर दे रहे हैं । मूल्य तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न होंगे । यह बात निश्चित है कि लगभग १० से लेकर ३५ प्रतिशत तक तो मूल्य में अन्तर होगा ही ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृ० चं० पंत** : क्या ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि जो वस्तुऐं अन्त में निर्यात की जाती हैं उनकी किस्म नमूनों के अनुरूप नहीं होतीं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कुछ सुधार करने के लिये सरकार ने क्या किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ऐसी कुछ शिकायतें आई हैं, परन्तु किस्म अथवा स्तरों में दोष के सम्बन्ध में किसी अत्यधिक अनुमान को लगाने के प्रति मैं लोगों को सावधान करता हूं । जैसा कि सदन को ज्ञात है, हम किस्म नियंत्रण अधिनियम के अधीन हस्तशिल्प वस्तुओं के लिये नौभरण-पूर्व निरीक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं । परन्तु हस्तशिल्प वस्तुओं पर किस्म नियंत्रण कम से कम लागू होता है क्योंकि ये वस्तुयें वास्तव में मानवनिर्मित तथा परम्परागत निर्मित वस्तुयें होती हैं और इन वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जाता है । जहां तक सम्भव होगा, निरीक्षण किया जायेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या यह सच नहीं है कि हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात के मामले में, कुछ राज्यों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है जब कि अन्य राज्यों की उपेक्षा की जाती है, और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि सभी राज्यों में निर्यात के लाभों को उनके उत्पादन के अनुसार फैलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मुझे इस प्रश्न पर आश्चर्य है, क्योंकि निर्यात हम आरम्भ करें इस का तो कोई प्रश्न ही नहीं है । वस्तुयें निर्माणकर्ताओं द्वारा स्वयं ही बेची जाती हैं और जिस किसी राज्य में जिस हस्तशिल्प वस्तु विशेष को बनाने की परम्परा है वह उसी वस्तु विशेष का निर्यात करता है; उदाहरणार्थ, बनारस साड़ियों के लिये प्रसिद्ध है; तामचीनी का सामान आदि हैदराबाद में मिलता है; धातु के कलात्मक बर्तन सलेम, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली में मिलते हैं; मोती तथा कृत्रिम रत्न और हीरे कैम्बे, जयपुर आदि में मिलते हैं, यह सब ऐतिहासिक परम्परा पर निर्भर करता है ।

डा० गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने कहा कि इन वर्षों में इस प्रकार की चीजों का निर्यात बढ़ा है । क्या मैं जान सकता हूं कि किन चीजों का निर्यात बढ़ रहा है, और अमरीका के सिवाय दूसरे देशों में भी हमारी चीजें अधिक लोकप्रिय हों, इसके लिए क्या क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री मनुभाई शाह : पहले हिस्से का जवाब तो मैं ने दे दिया कि जरी गुड्स और आर्ट मैटिल वेयर का निर्यात बढ़ रहा है । जहां तक दूसरे मुल्कों का सवाल है, वैस्टर्न यूरोप में काफी बढ़ोतरी हो रही है खास कर भदोई, मिर्जापुर, आगरा और काश्मीर में बनने वाले कालीनों की ।

†**श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा** : क्या विदेशों में भी हस्तशिल्प वस्तुओं की प्रदर्शनियों की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है, जैसी प्रदर्शनी कि हाल ही में मास्को में की गई थी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह एक बहुत ही सुन्दर सुझाव है और हम इस विचार का आनन्द उठाते रहे हैं । परन्तु हमें ऐसे बहुत से कार्य करने हैं जिन से कि कदाचित् ऐसी एक प्रदर्शनी की व्यवस्था करने में थोड़ा समय लगेगा जिसको कि संसार के सभी भागों में ले जाया जा सके ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : सरकारी संगठनों के द्वारा जो हैंडीक्रैफ्ट्स की वस्तुएं बाहर भेजी जा रही हैं क्या उन की स्पर्धा निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित हुई वस्तुओं से होती है, अगर होती है तो उस के न होने देने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : बड़ा कम्पीटीशन है । हर एक मुल्क की अपनी अपनी आर्टिस्टिक टच और डिजाइंस हुआ करती हैं लेकिन फिर भी हमारा माल काफ़ी अपना एक ठप्पा रखता है और उस से वह काफी बिकेगा ।

†**डा० सरोजिनी महिषी** : क्योंकि वे स्वयं ऐसी वस्तुओं के निर्माण की व्यवस्था नहीं कर सकते अतः अखिल भारतीय हस्तशिल्प वस्तु बोर्ड द्वारा चलाये गये व्यावसायिक स्कूलों में प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों द्वारा हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्माण कराने के लिये क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ?

†**श्री कानूनगो** : स्वयं अपने स्तर पर उत्पादन प्रारम्भ करने के लिये राज्य सरकारें उन्हें प्रोत्साहन देती हैं और हस्तशिल्प बोर्ड भी राज्य सरकारों की सहायता से प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्रों को स्थापित करता है ।

कागज़ तथा गत्ते का उत्पादन

†*७९४. **श्री यशपाल सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में कागज तथा गत्ते का उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं रहा है और इस के फलस्वरूप कुछ प्रकार के कागज़ तथा गत्तों की, विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिये कापियों की, बहुत कमी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां । कागज़ का उत्पादन मांग में वृद्धि के अनुसार नहीं बढ़ा है । तथापि, यह कहना ठीक नहीं है कि इस समय देश में कुछ किस्म के कागज़ की बहुत कमी है ।

(ख) स्थिति सुधारने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये :—

(१) उन मामलों में जहां नई मिलें लगाई गई हैं और जिन को पहले पुरानी मिलों से सम्भरण किया जाता था, उपयुक्त समायोजन करने के बाद विभिन्न उपभोक्ताओं को सम्भरण वर्ष १९६१ में किये गये सम्भरण के आधार पर व्यवस्थित किया गया है ।

(२) समय समय पर कागज की मांग और सम्भरण की स्थिति का अवलोकन करने के लिये एक तदर्थ समिति बनाई गई है जिसमें निर्माताओं, व्यापारियों, उपभोक्ताओं और सम्बन्धित सरकारी विभागों के प्रतिनिधि हैं ।

(३) दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों को यूनेस्को सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष १९६२–६३ और वर्ष १९६३-६४ में प्रत्येक में स्वीडन और आस्ट्रेलिया से उपहारस्वरूप प्राप्त १०,००० टन छपाई का कागज़ राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण के लिये राज्य सरकारों को वितरित कर दिया गया है ।

सरकार तृतीय योजना काल में मौजूदा कागज मिलों में आवश्यक सन्तुलन व्यवस्था करके, ताकि मांग और संभरण में अन्तर को कम किया जा सके, कागज का उत्पादन बढ़ाने की एक योजना पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं जैसा कि आल इंडिया रेडियो ने रिपोर्ट दी है कि राजस्थान के उदयपुर जिले में एक खास किस्म की घास पाई गई है जिससे कि बहुतायत में कागज बन सकता है तो सरकार उस सिलसिले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कानूनगो : हां, मुझे भी इस बात का पता हुआ है लेकिन घास बहुत किस्म की हैं और हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में भी अच्छी अच्छी घास पैदा होती है लेकिन वह नाकाफी होती है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जो इस वक्त फौरी जरूरत है अर्थात् जो कापियां बच्चों को एक रुप में मिलती थीं वह अब डेढ़ रुपये में उनको मिल रही हैं, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री कानूनगो : यह सही है कि हमारे डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है, सप्लाई उसके हिसाब से नहीं बढ़ पा रही है । इसके लिए हम काफी ध्यान रखते हैं कि प्रोडक्शन किस तरह से ज्यादा किया जाय ।

†**श्री कपूर सिंह** : अधिक अच्छी किस्म के कागज और गत्तों का अधिक मात्रा में निर्माण करने के लिए सरकार यदि कोई कदम उठा रही है तो वे क्या हैं ?

†**श्री कानूनगो** : भारतीय कागज काफी अच्छी किस्म का है । परन्तु हमारी दिलचस्पी किस्म की तुलना में मात्रा के सम्बन्ध में अधिक है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या आसाम में स्थापित किये गये बगास कारखाने में उत्पादन प्रारम्भ हो गया है ? क्या अन्य मिलों की कुल क्षमता को भी अन्य दिशाओं में बढ़ाने की अनुमति दी जाने वाली है, जैसे कि उदाहरणार्थ, नेपा में, इस प्रकार के कार्य के लिये ?

†**श्री कानूनगो** : नेपा प्रसार कार्यक्रम प्रगति कर रहा है । आसाम के बगास संयंत्र में अखबारी कागज के उत्पादन के सम्बन्ध में मुझे जानकारी नहीं है । प्रश्न यह है कि जिस आवश्यक कच्चे माल, अर्थात् बांस, की आवश्यकता होती है उसका सम्भरण कम है । इसलिये, कागज बनाने के लिये अन्य कच्चे माल का पता लगाने के लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री सरजू पाण्डेय : मैं यह जानना चाहता हूं कि कागज की कमी को देखते हुए तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ नये कारखाने खोलने के लिये लाइसेंस दिये जायेंगे या नहीं ?

श्री कानूनगो : जी हां, जरूर दिये जायेंगे ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : इस वक्त कागज की कितनी फैक्टरियां काम कर रही हैं ?

श्री कानूनगो : इस समय उसके मेरे पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन मैं समझता हूं कि करीब २० फैक्टरियां होंगी ।

श्री बड़े : इस स्टेटमेंट को देखने से मालूम होता है कि जहां जहां नये पेपर मिल्स स्टार्ट हो गये हैं वहां पेपर डिस्ट्रिब्यूशन का ऐडजस्टमेंट नये तरीके से किया गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी बेसिस पर यह ऐडजस्टमेंट किया गया है ?

श्री कानूनगो : आम तौर से यह हुआ कि पिछले दो सालों में नये नये पेपर मिल्स लग गये हैं और वह प्रोडक्शन कर रहे हैं इसलिये पुराने मिलों से उन एरियाज को डील नहीं किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्रीमती सावित्री निगम** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कागज की कमी के कारण लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है, क्या कागज का आयात करने के लिये नये लाइसेंस दिये जायेंगे ?

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : मध्य प्रदेश में भूसा और घास दोनों बहुत उपलब्ध हैं, मैं जानना चाहता हूं कि पेपर और गत्ता, दोनों बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र में फैक्टरी बनाने की कोई योजना है ?

श्री कानूनगो : जी हां, मध्य प्रदेश में तो अभी दो पेपर मिलें चल रही हैं । एक बड़ी पेपर फैक्टरी बन रही है लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में काफी उसके लिए रा मैटीरियल मिल रहा है तो यह सही बात नहीं है ।

औषधि उद्योग

†*७९५. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधि उद्योग में इस समय कितनी देशी तथा विदेशी कार्यग्रहन पूंजी लगी हुई है ; और

(ख) गत पांच वर्षों में औषधि उद्योग में देशी तथा विदेशी पूंजी से कितनी धन राशि लाभ के रूप में मिली है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). ऐसी जानकारी और आंकड़े नहीं रखे जाते ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : इस बात को देखते हुए कि औषधि उद्योग में कई विदेशी हित भारतीय हितों के साथ साथ क्रियाशील हैं, सरकार उन पर कोई नियंत्रण क्यों नहीं रखती ताकि कम से कम लाभ और उनकी वस्तुओं की कीमतों के सम्बन्ध में उन पर कुछ नियंत्रण रखा जा सके ?

†**श्री कानूनगो** : उनकी वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने के विषय की ओर हमेशा ही ध्यान दिया जाता है । प्रश्न तो विदेशी विनियोजन के बारे में था । मेरे पास ठीक ठीक आंकड़े तो नहीं हैं क्योंकि हम वह आंकड़े नहीं रखते लेकिन मोटे तौर पर औषधि उद्योग में जो काफी बढ़ रहा है, विदेशी धन लगभग $^{1}/_{6}$ से अधिक नहीं है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : प्रश्न के भाग (ख) में मैंने लाभ की रकम इसलिये पूछी थी कि विनियोजन और लाभ के बीच अनुपात मालूम हो ताकि देश यह जान सके कि वास्तव में स्थिति क्या है । क्या सरकार उस पर कोई नियंत्रण रखती है, क्योंकि इन औषधि उद्योगों की चीजों के दाम अक्सर ही बहुत ज्यादा रखे जाते हैं ?

†**श्री कानूनगो** : उनके दाम ज्यादा नहीं रखे जाते क्योंकि हर तीन महीने उनकी छानबीन की जाती है ?

†**डा० उ० मिश्र** : क्या सरकार जानती है कि औषधि उद्योग के लिए कम विनियोजन आवश्यक होने के कारण एक ही वस्तु के कई कारखाने होते हैं और उसके कई प्रकार होते हैं जिससे चिकित्सकों को भ्रम होता है और नियंत्रण कठिन हो जाता है ? यदि हां, तो इस बहुतायत को रोकने के लिए और केवल औषधि-नाम ही रखने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो :** औषधियां तैयार करने के लिए कम पूंजी से काम चल सकता है लेकिन मूलभूत रासायनिक द्रव्य तैयार करने में काफी खर्च होता है । और काफी विनियोजन की आवश्यकता होती है हम सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक द्रव्यों के निर्माण पर जोर दे रहे हैं । बाजार में औषधियों की संख्या कम करने के लिए, मैं समझता हूं, औषधि नियंत्रक को उस ओर ध्यान देना चाहिये ।

†**श्री तिरुमल राव :** क्या सरकार जानती है कि औषधि उद्योग का काफी बड़ा हिस्सा भारत में ब्रिटिश, स्विस, जर्मन और अमरीकी जैसे विदेशी हितों के हाथ में है ?

†**श्री कानूनगो :** मैं पहले ही बता चुका हूं कि मोटे तौर पर विदेशी विनियोजन $^1/_6$ हिस्से से ज्यादा नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या कारण है कि सरकार आयोजित अर्थव्यवस्था में, जहां औषधि जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है, और जिसकी कीमतें साधारण व्यक्ति की पहुंच से बाहर बढ़ती जा रही है, आंकड़े नहीं रखती ?

†**श्री कानूनगो :** जिन आंकड़ों का निर्देश किया गया है, वे विनियोजन से सम्बन्धित हैं । हमारे पास उत्पादन आदि के आंकड़े हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मैंने खास तौर से इन्हीं दो मदों, विनियोजन और लाभ के बारे में पूछा है । मूल्य निर्धारण में उनका बहुत महत्व है । फिर भी उद्योग की इन मदों के सम्बन्ध में सरकार क्यों नहीं ठीक ठीक आंकड़े रखती ?

†**श्री कानूनगो :** प्रश्न विदेशी विनियोजन के बारे में है । हमारे पास कुछ विनियोजन है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस प्रश्न को टाला गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि विदेशी विनियोजन के बारे में आंकड़े क्यों नहीं रखे जाते ताकि यह मालूम किया जा सके कि लाभ उस विनियोजन के अनुरूप है या नहीं ।

†**श्री कानूनगो :** रिजर्व बैंक और सरकार ने विनियोजन का अध्ययन कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रखा है लेकिन जहां तक औषध-कम्पनियों का सम्बन्ध है, हमने कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** जब सरकार दूसरे उद्योगों के बारे में कुछ चीजें रखती है तो वह इन विनियोजन के लिए इतने महत्वपूर्ण आंकड़े नहीं रखती है । उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । **(अन्तर्बाधा)**

†**अध्यक्ष महोदय :** सरकार ने यह जानकारी बताई है कि वह आंकड़े नहीं रखती । तब आगे क्या किया जा सकता है ? यदि सरकार उसमें असफल रही है तो चर्चा या उस तरह की और कोई चीज की जा सकती है । जब वह कहती है कि उसके पास जानकारी नहीं है तब आगे और क्या पूछा जा सकता है ?

†**श्री बड़े :** क्या अब वह रखने का सरकार का विचार है और क्या वह संसद् को आश्वासन दे सकती है ?

†**श्री कानूनगो :** हम अवश्य ही अध्ययन करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयात की गई वस्तुएं

†*७९६. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ सितम्बर, १९६३ को सरकार ने आयात की जाने वाली वस्तुओं के, जिन पर शुल्क का निर्धारण प्रशुल्क मूल्य के अनुसार किया जाता है, प्रशुल्क मूल्य की गणना पद्धति का पुनरीक्षण किया है ; और

(ख) इस परिवर्तन के कारण सरकार को राजस्व में अनुमानत: कितनी हानि होगी ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) मोटे अनुमान के अनुसार, १ सितम्बर, १९६३ से ३१ मार्च, १९६४ तक सात महीनों के दौरान प्रशुल्क दरों में परिवर्तन के कारण मूलभून प्रशुल्क से २.२३ करोड़ रुपये का घाटा हो सकता है । इसमें भारतीय प्रशुल्क की मद २७(३) के अधीन खनिज तेल और मद २७(७) के अधीन भट्टी तेल के सम्बन्ध में होने वाला घाटा जिसके लिए उचित अनुमान लगाना अभी तक संभव नहीं है, शामिल नहीं है ।

†**श्री जसवन्त मेहता** : प्रशुल्क दरों में परिवर्तन करने के क्या सिद्धान्त और कारण हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसाकि सभा को मालूम है, मैं ने अक्तूबर, १९६२ में लोक-सभा में एक विधेयक रखा था और १८७८ के समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम में यह संशोधन किया था कि भविष्य में प्रशुल्क का आधार लागत बीमा भाड़ा मूल्य होना चाहिये और न कि प्रचलित बाजार मल्य, क्योंकि उस से मुद्रा-स्फीति होती थी । हम इन चीजों की कीमतें घटाना चाहते थे ।

श्री बड़े : क्या शासन का ध्यान इस तरफ़ है कि पहले जो कामोडिटीज़ मंगाई गई थीं, उन पर टैरिफ़ ज्यादा था और वे अभी स्टाक में हैं और अब जो कामोडिटीज़ मंगाई गई हैं, उन पर टैरिफ़ कम किया गया है, इसलिए बम्बई और बहुत से शहरों में व्यापारियों ने यह आवाज़ उठाई है कि इस से उन को बहुत लास होता है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि इस से कितना लास होता है और शासन इस बारे में क्या करने जा रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : लास का तो कोई अन्दाज़ा नहीं मिल सकता, लेकिन जो ग़लत तरीके से काम चल रहा था, जिस की वजह से सामान्य कन्ज्यूमर को बहुत ज्यादा दाम देना पड़ता था, वह बन्द होगा । पार्लियामेंट ने खुद यह स्वीकार किया है कि आईन्दा जो सी० एल० एफ० वैल्यु हो, उसी बेसिस पर टैरिफ़ किया जाये, मार्केट वैल्यु पर नहीं ।

इस्पात कारखानों में वैज्ञानिक लागत गणना प्रणाली

+

†*७९७. **श्री मुरारका :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात कारखानों में विभिन्न उत्पादों की लागत निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक लागत गणना प्रणाली लागू कर दी गई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो इस के कब तक लागू किये जाने की संभावना है; और

(ग) लागत की गणना करने का इस समय क्या तरीका है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) लागत गणना का तरीका ठीक उसी तरीके से मिलता जुलता है जिस का प्रचार ब्रिटिश लोहा और इस्पात संघ ने किया था और वह देश में अन्य निर्माणकारी एककों द्वारा अपनाये गये तरीकों के मुकाबले में अच्छा है ।

†**श्री मुरारका** : किन किन मदों में इस्पात की उत्पादन लागत उस के बिक्री मूल्य से ज्यादा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : मुझे खेद है कि मेरे पास प्रत्येक वस्तु का बिक्री मूल्य नहीं है लेकिन यदि माननीय सदस्य चाहते हों, तो वह एक अलग प्रश्न पूछ सकते हैं ।

†**श्री मुरारका** : किस इस्पात कारखाने में उत्पादन लागत सब से कम और किफायती है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : वह प्रत्येक मद पर निर्भर है लेकिन समान मद अर्थात् पिन्ड के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि दुर्गापुर में सब से कम लागत पर तैयार किया जाता है ।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या लागत गणना के वर्तमान तरीकों में, मूल्यह्रास, विकास छूट, ऋण पर ब्याज आदि जैसी मदों पर विचार किया जाता है और यदि हां, तो किस हद तक ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वह स्थिर तत्व है। हम यहां पर कारखाने में उत्पादन की लागत का हिसाब लगाते हैं ।

श्री कृ० चं० पन्त : हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का खर्च विभिन्न इस्पात कारखानों के बीच किस प्रकार बांटा जाता है और क्या वह बराबर बराबर या दर के आधार पर होता है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं समझता हूं कि वह दर के अनुसार बांटा जाता है लेकिन हम जिसका हिसाब लगा रहे हैं वह उत्पादन लागत है, न कि अन्य ऊपरी लागत, बल्कि यह कि कारखाने में इन चीजों को तैयार करने में कितनी लागत पड़ती है ?

मतपत्रियों का मुद्रण

†*७९८. **श्री प्र० कॅ० देव** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सीक्योरिटी प्रेस में मतपत्रियों (बैलट-पेपर) का मुद्रण बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा इस के क्या कारण हैं; और

(ग) अब मतपत्रियां कहां पर छापी जाती हैं ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : (क) जी हां ।

(ख) वह १९५९ में बन्द कर दिया गया था जबकि यह निश्चय किया गया था कि प्रायः सम्पूर्ण देश में 'चिह्न पद्धति' अपनायी जाये और मतपत्रियों की पुरानी पद्धति छोड़ दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अब पतपर्चियां राज्य सरकार के छापेखानों में छापे जाते हैं ।

†**श्री प्र० के० देव** : हमें प्राप्त इस आशय की अनेक शिकायतों को देखते हुए कि मतदान पेटियों को खोल लिया जाता है और जाली मतपर्चियां बनायी जाती हैं, क्या यह उचित नहीं है कि ये मतपर्चियां सिक्योरिटी प्रेस में छापी जायें ?

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : हमें मतपर्चियों की छपाई के बारे में कोई शिकायतें नहीं मिली हैं । पहले जब कि मतपर्चियों की पद्धति थी, तब कठिनाई यह थी कि सभी मतपर्चियां नासिक में सरकारी मुद्रणालय में छापी जाती थीं । अब विभिन्न राजनैतिक दलों के परामर्श से चिह्न पद्धति लागू किये जाने के बाद कठिनाई यह है कि मत पर्ची पर नाम और चिह्न होना आवश्यक है । इसलिए जब तक नाम वापस लेने की तारीख नहीं बीत जाती तब तक छपाई शुरू नहीं हो सकती । नाम वापस लेने की तारीख और मतदान की तारीख के बीच मुश्किल से तीन या चार हफ्तों का समय होता है । इसलिए पहले नासिक में उन्हें छापना और फिर सारे देश में भेजना बहुत कठिन होगा । इसीलिए वह राज्य सरकार के मुद्रणालयों को दे दिया गया है ।

श्री प्र० के० देव : प्रत्येक व्यक्ति ने यह चिन्ता प्रकट की है कि चुनाव निष्पक्ष और पक्षपात रहित होने चाहिये और उसे ध्यान में रखते हुए क्या यह उचित नहीं है कि सरकार उस पर फिर विचार करे और अधिक सुरक्षित स्थान में उन्हें छपवाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह एक सुझाव है ।

†**श्री रंगा** : क्या इस पर कभी विचार किया गया है और यदि नहीं, तो क्या इस पर अब वे विचार करने के लिए तैयार हैं कि उन चीजों की छपाई और वितरण पूरी तौर से निर्वाचन आयोग के हाथ में दे दिया जाय, न कि स्थानीय सरकारों के हाथ में और एक बार छपाई पूरी हो जाने पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा उन के और अधिक छपाये जाने की कोई संभावना न रहे ताकि और कोई शरारत न हो सके ?

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : छपाई और वितरण हमेशा ही निर्वाचन आयोग के हाथ में होता है । यह उन का काम ह और जहां तक निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी का सम्बन्ध है इस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे मतपर्चियां नासिक में या और कहीं राज्य सरकार के प्रेस में छापी जाती हैं ।

†**डा० उ० मू० त्रिवेदी** : इस बात को देखते हुए कि दिल्ली, श्रीनगर और जम्मू में दोहरी मतपर्चियां पायी गयी थीं, क्या सरकार उन्हें न केवल एक सिक्योरिटी प्रेस में बल्कि अपने अन्य सिक्योरिटी प्रेसों में भी, छापने की पुरानी पद्धति अपनाना चाहती है ताकि इस शरारत को और दोहरी मतपर्चियों को रोका जा सके ?

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : मुझे इस तरह की किसी शिकायत की जानकारी नहीं है । अगर वह राज्य सरकार के प्रेसों में भी छापी जाती हैं तो भी निर्वाचन आयोग निगरानी रखने के लिए अपने अफसरों को वहां भेजता है । छपाई जारी रहते समय उन प्रेसों में भी सुरक्षा की व्यवस्था होती है । इसलिए जो भी सम्भव है वह निर्वाचन आयोग राज्य सरकारों के सहयोग से कर रहा है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या सरकार सभा को यह बता सकती है कि यह काम निर्वाचन आयोग द्वारा अपने हाथ में ले लिये जाने के बाद भी दोहरी मतपर्चियां बनाना रोकने के लिए राज्य सरकार के प्रसों में जो कदम उठाये गये हैं, वे पर्याप्त हैं ?

---

†भूल अंग्रजी में

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : जी हां ।

†**श्रीरंगा** : क्या निर्वाचन आयोग के पास सरकार से स्वतंत्र ऐसे कोई पदाधिकारी हैं जिनका काम आरम्भ से लेकर अन्त तक छपाई का निरीक्षण करना और उनका वितरण करना है ?

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र**: जब छपाई होती रहती है तब निर्वाचन आयोग समय समय पर अपने पदाधिकारियों को वहां भेजता है। यह बहुत मुश्किल है क्योंकि उन्हें बहुत अधिक कर्मचारी रखने होंगे। उन्हें राज्य सरकार के सहयोग से काम करना होता है लेकिन जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है ।

†**श्री रामेश्वरानन्द** : अध्यक्ष महोदय, गत चुनावों में कुछ पर्चियां, मतपत्र, बाहर छपे थे, जो कि अशुद्ध छापे गये थे और उस के कारण इलैक्शन पेटीशन चल रहे हैं, जैसे कि अलीगढ में । मैं यह जानना चाहूंगा कि भविष्य में बाहर मतपत्र छपवाने से फिर इस प्रकार की समस्यायें खड़ी न हों जायें कि इलैक्शन पेटीशन हों, इस के लिए—इस दलदल से निकलने के लिए—सरकार क्या यत्न कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि पहले ये जो पेपर्ज़ हैं ये कई जगहों पर छपते थे और एक इलैक्शन पेटीशन भी अलीगढ़ में चल रही है। इस को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : अलीगढ़ में निर्वाचन याचिका किस आधार पर ?

†**अध्यक्ष महोदय** : दोहरी पर्चियां

श्री रामेश्वरानन्द : बाहर की प्रेसों में . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठेंगे भी ?

श्री रामेश्वरानन्द : मैं बैठ गया । समझाइये ।

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र**: अलीगढ़ में किसी निर्वाचन मामले की मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन एक मामला उतर प्रदेश में शून्य घोषित किया गया है ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : हिन्दी में जवाब दीजिये ।

श्री रामेश्वरानन्द : हिन्दी . . . .

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी जवाब भी लेंगे या नहीं ?

श्री रामेश्वरानन्द : जवाब लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : जवाब लेना है तो बैठे रहिये। तसल्ली नहीं होगी तो जवाब में मैं आप को बता दूंगा ।

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक मामला था। एक निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव इस आधार पर शून्य घोषित कर दिया गया है कि दूसरे उम्मीदवार का नाम मतपर्ची पर गलत छप गया था। मैं केवल एक ही मामला जानता हूं और राज्य सरकार का ध्यान उस ओर दिलाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : एक जो ऐसा सवाल उठा था, उसकी एहतियात कर ली गई है। स्टेट गवर्नमेंट की तवज्जह इस ओर दिला दी गई है और कह दिया गया है कि और ज्यादा एहतियात करें कि ऐसी कोई चीज़ न उठे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वरानन्द : आपको तो मैं अन्यवाद देता हूं। लेकिन वह बिहार के हैं, हिन्दी उनको अच्छी आती है, वह हिन्दी में क्यों नहीं बोलते हैं। इंग्लिस्तान से तो नहीं आये हैं।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

चांदमारी क्षेत्र

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२. श्री कर्णी सिंहजी :
श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़ :
श्री बुलेश्वर मीना :
श्री ललित सेन :
श्री मानवेन्द्र शाह :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री इकबाल सिंह :
श्री मजीठिया :

क्या निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत की राष्ट्रीय राइफल एसोसियेशन के लिये चांदमारी क्षेत्रों की मंजूरी इतनी देर से क्यों रोक कर रखी गई है ?

† **निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शॅ० नास्कर)** : सितम्बर, १९६२ में सरकार ने अपर रिज रोड, नई दिल्ली, पर ९५·७ एकड़ जमीन राष्ट्रीय राइफल एसोसियेशन द्वारा खुले चांदमारी क्षेत्रों के तौर पर इस्तेमाल के लिये एक साल के अस्थायी पट्टे पर मंजूरी जारी की थी। उसके लिये एक शर्त यह थी कि उस जमीन पर किसी प्रकार का स्थायी या अस्थायी ढांचा खड़ा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। एसोशियेशन ने भुगतान किया और नवम्बर, १९६२ में उस पर कब्जा किया। जुलाई, १९६३ में एसोशियेशन में निर्माण योजनाओं की प्रतियां जो उसने दिल्ली नगर निगम को भी दी थीं, भूमि तथा विकास पदाधिकारियों को भेज दीं और उस जमीन पर क्लब हाउस, शेड आदि सहित कुछ निर्माण कार्य करने की उनसे अनुमति मांगी। वह जमीन दिल्ली बृहत योजना में 'ग्रीन लैंड' के रूप में दिखाई गयी है और दिल्ली विकास प्राधिकार की स्पष्ट स्वीकृति के बिना उस पर कोई निर्माणकार्य नहीं किया जा सकता। इस लिये यह मामला उस प्राधिकार के पास भेजा गया है और उसकी सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही उसका फैसला किया जायेगा।

†**श्री करण सिंह जी** : इस बात को देखते हुए कि राष्ट्रीय चांदमारी तैयार करने में चांदमारी और इमारतें भी बनानी होंगी, राष्ट्रीय राइफल एसोसियशन द्वारा जमीन का कब्जा लिये जाने और उन्हें ४,४३० रुपया भुगतान करने के लिये कहने के बाद आपत्ति उठाना और समझौते में रद्दोबदल करने का सुझाव देना कहां तक ठीक है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : जमीन के इस्तेमाल के लिये मंजूरी के मूल पत्र में यह शर्त रखी गयी थी कि वहां किसी तरह के निर्माण कार्य के लिये अनुमति नहीं दी जायेगी उस समय दिल्ली बृहत योजना नहीं थी। वह योजना बनने के बाद हमें उपयुक्त अधिकारियों से परामर्श करना पड़ा। इस क्षेत्र को 'ग्रीन' घोषित किया गया है और किसी निर्माण कार्य के लिये एसोशियेशन को अनुमति देने से पहले हमें दिल्ली विकास प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त करनी है। आपकी जानकारी के लिये मैं

---

†मूल अंग्रेजी में

यह कह सकता हूं कि यदि सभा चाहे तो इस मामले में शीघ्रता करने के लिये हम सभी अधिकारियों, सरकारी प्रतिनिधियों और एसोशियेशन के प्रतिनिधियों की एक बैठक कर सकते हैं ।

†**श्री कर्णी सिंहजी** : वर्तमान संकट काल में क्या यह ठीक है कि परस्पर विभागों के बीच तकनीकी बातों के कारण ऐसी महत्वपूर्ण योजना जिसमे बीस लाख लोगों को प्रशिक्षण देने की योजना है, रोक दी जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस मामले में शीघ्रता करने के लिये माननीय मंत्री सभी अधिकारियों की एक बैठक बुलाने वाले हैं । मैं समझता हूं कि इससे माननीय मंत्री का समाधान हो जाना चाहिये ।

श्री कर्णी सिंहजी : हमने यह सवाल कुछ समय पहले भी उठाया था औ इस बारे में माननीय प्रधान मंत्री को भी लिखा था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने बताया है कि यह सभी प्रतिनिभियों और अधिकारियों की एक बैठक बुलायेंगे और शीघ्रता करने की ओर ध्यान देंगे ।

†**श्री हो० ना० मकर्जी** : इसमें सिद्धांत की कुछ बातों को देखते हुए हमें सरकार से यह जानने का अधिकार है कि इस संकट काल में जब कि प्रायः सभी बातें असाधारण शीघ्रता से की जा रही हैं, इस प्रकार के मामले में ऐसे विभिन्न कारणो से क्यों अनुमति रोकी जा रही है जिन्हें विभिन्न दलों के प्रस्तावित सम्मेलन द्वारा शायद प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप से अब दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

†**निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** मुझे खेद है कि जो उत्तर दिया गया है उसे बिलकुल गलत समझा गया है । एक बार यह इच्छा प्रकट की गयी थी कि एक बहुत छोटी सी जमीन दी जाये । बाद में वह ९७ से १०० एकड़ तक पहुंच गयी । जिस समय यह प्रश्न सामने आया तो अस्थायी और स्थायी पट्टे के सवाल पर भी गौर किया गया । अब यह सुझाव दिया गया कि जमीन सिर्फ एक साल की मियाद के लिये दी जाये । हम सब मंजूर कर लेते हैं । अब हम जो कर रहे हैं वह यह है कि यदि बृहत योजना के अनुसार दिल्ली का विकास करना है और "ग्रीन" घोषित किये गये बड़े, बड़े क्षेत्रों पर कुछ बनाना है तो संबंधित अधिकारियों से परामर्श करना ही होगा । वह अधिकारी स्वास्थ्य मंत्रालय है । मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं स्वास्थ्य मंत्रालय, एसोशियेशन के सदस्यों और दिल्ली के चीफ कमिश्नर के साथ मिलकर इस प्रश्न पर विचार करूंगा और किसी निश्चय पर शीघ्र ही ब पहुंचने का प्रयत्न करूंगा । लेकिन बृहत योजना में उल्लिखित शर्तों को हम समाप्त भी करना चाहें तो भी हमें उन सब बातों पर विचार करना होगा । मैं एक या दो महीनें से इस प्रश्न को उठाने के लिये तैयार हूं । मैं नहीं चाहता कि इसमें और अधिक विलंब हो । लेकिन मैं सभा को यह आश्वासन नहीं देना चाहता हूं कि इस मामले पर विचार करने के बाद हम बृहत योजना की महत्वपूर्ण बातों का उल्लंघन करेंगे । उस सब की छानबीन हो चुकी है और वर्तमान सकट काल तथा राइफल चांदमारी क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मैं इस मामले को यथासंभव सहानुभूतिपूर्वक निपटाऊंगा ।

छोटी सिंचाई योजनाएं

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३. श्री बासप्पा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि बहुत स राज्यों में, जिनमें मैसूर भी शामिल है, और धन की कमी के कारण छोटी छोटी सिंचाई योजानयें रुकी पड़ी हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उन्हें इस सम्बन्ध में मैसूर के मुख्य मंत्री से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये चालू वर्ष में पहले से स्वीकृत परिव्यय १९६१–६२ में राज्य सरकार द्वारा किये गये वास्तविक व्यय और १९६२–६३ के प्रत्याशित परिव्यय से अधिक है । अतः इस प्रकार धनाभाव के कारण कोई छोटी सिंचाई योजना रुकी नहीं रही । तीसरी योजना के बकाया वर्षों में छोटी सिंचाई के अन्तर्गत तीसरी योजना लक्ष्य को बढाने के उद्देश्य के लिये अतिरिक्त छोटी सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकारों को साक्ष्य बनाने के लिये अतिरिक्त धन नियत करने का प्रश्न कुछ समय से विचाराधीन हैं। तब से चालू वर्ष विविध राज्यों को १५.५५ करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का फैसला किया गया है ।

(ख) और (ग) : मैसर के मुख्य मंत्री से अगस्त के अन्तिम दिनों इस के बारे में पत्र प्राप्त हुआ था और उनको सूचित कर दिया गया कि इस मामल में निर्णय होते ही अतिरिक्त धन की अपेक्षित मंजूरी जारी कर दी जायेगी ।

†**श्री बासप्पा** : छोटी सिचाई पर मैसूर राज्य में कितना धन मंजूर किया गया है और कितना धन व्यय किया गया है । क्या उन्होंने तीसरी योजना अवधि की शेष अवधि में और धन मांगा है और यदि हां, तो कितना ?

†**श्री अ० म० थामस**: जहां तक मैसूर राज्य का सम्बन्ध है तीसरी योजना में १६ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है । हम चालू वर्ष के लिये जो अतिरिक्त राशि मंजूर कर रहे है, उसको ध्यान में रखते हुए, मैसूर योजना के पहले तीन वर्षों में १६ करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगा । यह लगभग १६ करोड़ ६० लाख खर्चेगा । मैसूर सरकार ने चालू वर्ष के लिये ७ करोड़ से अधिक राशि के आवंटन की मांग की है । सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम ने चालू वर्ष के लिये २ करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की र और मंजूरी जारी हो रही है ।

†**श्री बासप्पा** : क्या उन्होने मिट्टी हटाने वाली मशीनों के आयात के लिये कहा है और यदि हां, तो क्या विदेशी मुद्रा मांगी जा रही है और मंजूर की जा रही है ?

†**श्री अ० म० थामस** : हम ने इसकी जोरदार सिफारिश वित्त मंत्रालय में की है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : १५ करोड़ रुपये के इस अतिरिक्त आवंटन के वितरण की कसौटी क्या होगी ? क्या यह मांग आधार पर होगी अथवा डाले गये दबाव के आधार पर ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह मुख्यतः प्रत्येक राज्य के कार्य पर निर्भर होगी उदाहरण के लिये, मैसूर, जैसा मैंने बताया, योजना के पहले तीन वर्षों में तीसरी योजना का समस्त आवंटित धन खर्च हो जाएगा अतः मैसूर को अतिरिक्त आवंटन मिलना चाहिये । इसी प्रकार आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्य में भी जहां संभवतः व समूचे आवंटन को तीन या साढ़े तीन वर्षों में पूरा कर लेंगे । ऐसे राज्यों के अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा । किसी दबाव का कोई प्रश्न नहीं ।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमख** : देश के किस राज्य को, छोटी सिंचाई के क्षेत्र में मैसूर को आवंटित २४ करोड़ रुपये की राशि से अधिक धन मिला है ? क्या यह सच है कि जिस वृद्धि का मंत्री ने पिछले वर्ष के वास्तविक धनोपयोग और इस वर्ष का प्रत्याशित व्यय के आधार पर विचार किया है और व्यक्त किया है, उस राशि से ४० प्रतिशत बढ़ गया है ?

---

†**मल अंग्रेजी में**

†**अध्यक्ष महोदय :** अनुपूरक प्रश्न इतने बड़े नहीं होने चाहियें ।

†**श्री अ० म० थामस:** मैंने मैसूर की स्थिति बतला दी है । यदि माननीय सदस्य महाराष्ट्र संबंधी स्थिति जानना चाहते हैं, तो हम तीसरी योजना में व्यवस्थित ५५० लाख रुपय के अतिरिक्त चालू वर्ष में १०० लाख रुपये दे रहे हैं ।

†**श्री भगवत झा आजाद :** यदि राज्य सरकार महाराष्ट्र और अन्य राज्यों को अतिरिक्त धन देने का विचार करती है, जिनका आवंटित अभ्यंश बढ़ गया है, क्या सरकार उन राज्यों को भी रियायत देने का विचार करती है, केन्द्रीय अनुदान का उपयोग नहीं कर सके, क्योंकि वे अपने साधनों से बराबर की राशि देने में असमर्थ हैं ?

†**श्री अ० म० थामस :** निस्संदेह, साधारण स्थिति यह है कि यह राज्य की उपरि-सीमा के अन्तर्गत आना चाहिये । परन्तु तो भी जहां तक छोटे सिंचाई कार्यों का संबंध है, उन राज्यों में जहां कार्य हुआ है हम उन को राज्य की उपरि-सीमा से अतिरिक्त धन देने को तैयार हैं ?

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या यह सच है कि राजस्थान के छोटे सिंचाई कार्यों में धनाभाव के कारण अधिक प्रगति नहीं हो सकी अथवा क्या इस का कारण यह है कि मंजूर धन का उपयोग नहीं किया जा सका ? भारत सरकार की दृष्टि में राजस्थान राज्य का काम कैसा रहा है ?

†**श्री अ० म० थामस :** राजस्थान के संबंध में योजना के पहले वर्ष में १०८ लाख रुपये खर्च किये गये और १९६२–६३ में ९७ लाख रुपय व्यये होंगे । परन्तु राज्य बजट में १०५ लाख रुपयों की व्यवस्था है । परन्तु तो भी वहां के कुल छोट सिंचाई कार्यों को ध्यान में रखते हुए, हमने ११७ लाख रुपयों का अतिरिक्त आवंटन किया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । शोर नहीं होना चाहिये ।

†**श्री रंगा:** क्या यह सच नहीं है कि मैसूर, महाराष्ट्र और आंध्र के राज्यों में कृषि अधिकतर तालाबों और कूंओं पर निर्भर रहती है और उनकी क्षमता को भी बढ़ाना पड़ता है और अधिकतर तालाब और कूंओं की मरम्मत की जरूरत होती है अत: उन्होंने अधिक सहायता मांगी है ?

†**श्री अ० म० थामस :** यह सच है कि इन तीन राज्यों की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि उन में काम को करने की क्षमता है । हमने समस्या के सभी पहलुओं पर विचार किया है । हम इस वर्ष अतिरिक्त आवंटन के द्वारा १५.५५ करोड़ दे रहे हैं वास्तव में आंध्र प्रदेश सर्व प्रथम है और इसे २८३ लाख मिलता है । मैं महाराष्ट्र के और मैसूर के बारे में उल्लख कर चुका हूं । मैंने प्रत्येक राज्य के कार्य की स्वयं जांच की है और जहां कहीं अतिरिक्त धन लगाने की संभावना होती है, हम ने उन मामलों की सिफारिश योजना आयोग से की और उसने हमारी सिफारिशों के पक्ष में विचार किया ।

†**श्री शिवाजीराव शं० देशमख :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया कि कितने राज्यों को २७ करोड़ रुपये से अधिक आवंटन किया गया है, महाराष्ट्र के बारें में १०० लाख रुपये क आंकड़े दिये गये हैं । छोटे सिंचाई लक्ष्य के ४० प्रतिशत का विचार किया गया है . . . .

†**श्री अ० म० थामस :** राज्यों का भी कर्तव्य होता है कि वे अपेक्षित बराबर की राशि जुटायें । साधारणतया यह राज्य की सीमाओं के अन्तर्गत होता है, संसाधनों आदि के सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए । परन्तु छोटी सिंचाई के मामले में हम इस में परिवर्तन करने को तैयार हैं । जिन

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों ने अच्छी प्रगति दिखाई है, हम शीघ्र सहायता करने के लिय तैयार हैं और अतिरिक्त धन भी देने को तैयार हैं। इस प्रकार प्रत्येक राज्य को धन दिया जाता है। यदि माननीय सदस्य प्रत्यक राज्य के आंकड़े जानना चाहते हैं, तो मैं वह बतान को तैयार हुं।

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ के बारे में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : औचित्य प्रश्न है कि निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री ने दिल्ली के चीफ़ मिनिस्टर का कैसे उल्लेख किया है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं ने दिल्ली का चीफ़ कमिश्नर कहा है !

प्रश्नों के लिखित उत्तर

काफी का निर्यात

†*७८६. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६२ में काफी का निर्यात कम हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) काफी का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाय गये हैं ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) और (ख). १९६२ में काफी का निर्यात १९६१ से कम था परन्तु उससे पहले वर्षों से अधिक था। इस कमी का कारण यह है कि १९६१–६२ के मौसम में काफी का उत्पादन जिसमें से मुख्यत: १९६२ का निर्यात हुआ, केवल ४६००० टन था, जब कि १९६०–६१ के मौसम में असाधारणतया बड़ी ज़रूरत ६८००० टन की हुई थी। १९६२–६३ की फसल बहतर है ५५०० टन है अत: काफी का निर्यात पुन: बढ़ रहा है।

(ग) काफी निर्यात को बढ़ाने के लिये की गई महत्वपूर्ण कार्रवाइयां ये हैं :–

(१) काफी का उत्पादन बढ़ाने के उपाय, विशेषकर बढ़िया, विपणि होने योग्य किस्म की काफी का, काफी सम्पदाओं की सघन और विस्तृत खेती, बढ़िया तथा अधिक उपज करने वाले और बीमारी को रोकने वाले बोने के सामान, कीटों और बीमारियों का नियंत्रण करने के बारे में परामर्श देने, सघन खती करने के तरीकों आदि के द्वारा।

(२) निर्यात के लिये बढ़िया काफी अधिकाधिक भेजने के प्रयत्न और केवल वही माल निर्यात बिक्री के लिये देना, जिसकी समुचित जांच हो चुकी है और काफी बोर्ड की जांच तालिका ने जिसे मंजूर कर दिया हो।

(३) विविध आयातक देशों के अधिमान का लगातार अध्ययन।

(४) विदेशों में व्यापार मेलों और प्रदर्शनों में भाग लेना।

(५) फिल्मों, पुस्तिकाओं एवं आकर्षक इश्तहारों के द्वारा भारतीय काफी के लिये विदेश में प्रचार बढ़ाना

(६) उपयुक्त निर्यात संवर्धन को प्रोत्साहन देना।

---

†मूल अंग्रेजी में

(७) पश्चिम-यूरोपीय देशों को काफी का निर्यात बढ़ाने के लिये पृथक उप-परिषद की स्थापना ।

भारत हाल ही में हुए अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार १९६२ का सदस्य भी बन गया है और स्वीकृत अभ्यंश अर्थात् २१६०० टन से अधिक निर्यात अभ्यंश का आवंटन मांग रहा है ।

दुकानों में मूल्य सूचियों का लगाया जाना

†*७८८. श्री गो० महन्ती : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक लाइसेंसधारी दुकानदार द्वारा मूल्य सूची अपनी दुकान पर खुली जगह लटकाये जाने के नियम का उल्लंघन करने के लिय अब तक कितने दुकानदारों को दंड दिया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस नियम को लागू करने के लिये और कड़ी कार्यवाही करने का है ?

†अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) कोई नहीं ।

(ख) अभी तक २७५ से अधिक व्यापारियों को चेतावनियां दी गई हैं । अब इरादा यह है कि यदि उसमें से कोई वैध विनियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध अभियोग चलाया जाऐगा ।

सामान के प्रबन्ध का तरीका

†*७९१. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री रा० बरुआ :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी विभागों तथा सरकारी उपक्रमों में सामान पर खर्च तथा व्यय कम करने की दृष्टि से सामान के प्रबन्ध के तरीकों का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख) . योजना परियोजनाओं संबंधी समिति के उद्योग और खनन दल ने भारत तथा राज्य सरकारों के सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों के संबंध में, माल तालिकाओं में पूंजी विनियोजन को कम करने की दृष्टि से अप्रचलन हानियों को कम करना और सामान तथा पुर्जों के स्टाक जमा रहने से उत्पन्न समय नाश को रोकन की दृष्टि से तालिका नियंत्रण के बारे में बहुत बार अध्ययन किया है । ऐसे अध्ययन निम्न परियोजनाओं में दल द्वारा पूरे किये जा चुके हैं :

१. हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड, दिल्ली ।

२. गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक फैक्टरी, बंगलौर ।

३. पंजाब रोडवेज, अम्बाला ।

४. हिन्दुस्तान केबल्स, रूप नारायणपुर ।

---

†मूल अंग्रेजी में

५. बबई स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन ।

६. मैसूर गवर्नमेंट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन ।

७. हिन्दुस्तान स्टील (क) रूरकेला (ख) दुर्गापुर ।

८. हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, नई दिल्ली ।

९. दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ।

कुछ अन्य उपक्रमों के बारे में अध्ययन प्रगति पर है । इन अध्ययनों से पता चला है कि सरकारी क्षेत्र की परियोजनानों में तालिका प्रबंध में सुधार की गुंजाइश है । वैज्ञानिक तालिका नियंत्रण की जरूरत के बारे में चेतना लाने के अतिरिक्त तालिका विनियोग में भी जन कमी हुई है ।

महराष्ट्र में बिजली के करघों वाले कारखाने

१० ०१५ १७ — १९९. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ब० ला० जाधव :
श्री [illegible]मानाथ :
श्री प० कुन्हन :

क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई तथा अन्य बुनाई केन्द्रों में बड़े पैमाने पर छापे मारे जा़न और पावरलूम के कपड़े के जब्त किये जाने के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र में छोटे पैमाने के बिजली के करघों वाले कारखाने (पावरलूम यूनिट्स) बन्द हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन तक देश में छोटे बिजली के करघों वाले कारखानों को सन्तोषजनक रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) ऐसा अनुमान है कि कुछ विद्युत् करघे महाराष्ट्र में बेकार हैं ।

(ख) जबकि सरकार विधि का जानबूझ कर किया गया उल्लंघन बर्दाश्त नहीं कर सकती, हम विद्युत् करघा समिति प्रतिवेदन के आने तक प्रविधिक या औपचारिक गलतियों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं ।

भारतीय पटसन मिल संघ

†*८००. **श्री इन्द्रजीत गुप्तः** क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री १६ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन मिल संघ ने श्रीवास्तव समिति की सिफारिशों पर अपने विचार सरकार को बता दिए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय पटसन मिल संघ ने बहुत सी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है और यदि हां, तो वे कौन कौन सी हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार ने भारतीय पटसन मिल संघ के कार्य-समय समझौते को खत्म करने अथवा बदलने का निर्णय किया है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रतिवेदन अभी सरकार के विचाराधीन है।

पिम्परी में स्ट्रैप्टोमाइसीन का निर्माण

†*८०१. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिम्परी के कारखाने में बड़े पैमाने पर स्ट्रेप्टोमाइसीन का निर्माण होने लगा है; और

(ख) यदि हां, तो कब से तथा कितनी मात्रा में ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) स्ट्रेप्टोमाइसीन क्षारों का नियमित उत्पादन जनवरी, १९६२ से शुरू हुआ और अगस्त १९६३ तक २०५११ किलोग्राम नमक तैयार हुआ और बाज़ार में बिक्री के लिये दिया गया।

भारतीय निर्यात

†*८०२. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६२–६३ में भारतीय निर्यात का नया रिकार्ड कायम हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो अधिकांश वृद्धि पुरानी वस्तुओं के कारण हुई है अथवा नई वस्तुओं के कारण; और

(ग) पहले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान निर्यात की क्या सम्भावनायें हैं ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**:(क) १९६२–६३ में भारत से निर्यात ७१० करोड़ रुपये तक का (गोआ को मिला कर) जो १९५२ को छोड़ कर जब कोरियाई युद्ध के कारण वस्तुओं के विश्व भाव बहुत बढ़ गये थे और एक वर्ष की अल्प अवधि के लिये युद्धकालिक मुद्रा विस्तार के कृत्रिम उच्च स्तरों पर अस्थायी तौर पर चढ़ गये थे, पिछले सोलह वर्षों में सर्वाधिक थे।

(ख)एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७९१/६३]**।

(ग) १९६३–६४ चालू वर्ष के पहले सात महीनों में भारत का कुल निर्यात, १९६२ के पहले सात महीनों के ३७१ करोड़ रुपये से बढ़ कर ४२७ करोड़ रुपये हो गया था, जिससे ५६ करोड़ रुपये की वृद्धि का संकेत मिलता है। समूचे चालू पत्रीवर्ष या राजकोषीय वर्ष १९६३–६४ के कुल निर्यातों का अनुमान लगाना कठिन है, परन्तु ऐसा सम्भव प्रतीत होता है कि चालू वर्ष का ७४५ करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

छोटे ट्रैक्टर

†*८०३. श्री प्र० के० देव :
श्री रा० बरुआ :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छोटे ट्रैक्टरों (बेबी ट्रैक्टर्स) के निर्माण की परियोजना में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उत्पादन कब तक आरम्भ हो जाने की आशा है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख). विद्युत् चालित टिलरों के निर्माण के लिये उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त फर्मों में से एक फर्म की १९६४ में उत्पादन आरम्भ करने की सम्भावना है। दो से अधिक फर्मों की योजनाएं सिद्धान्त रूप में अनुमोदित हो गई हैं। अतिरिक्ति क्षमता को लाइसेंस देने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

परिशोधित स्पिरिट

†*८०४. श्री हो० ना० मुकर्जी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिशोधित स्पिरिट बनाने वाले राज्यों ने इसको भारतीय संघ के अन्य राज्यों में ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) क्या उन्हें पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में औषधि उद्योग तथा विशेषतया होम्योपैथिक औषधि निर्माताओं की कठिनाइयां बताई गई हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) जी नहीं।

(ख) उत्तर भारत में इस वर्ष गन्ने की कम फसल होने के कारण देश के अलकोहल की सामान्यत: कमी है और सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार तथा अल्कोहल के अन्य उपभोक्ताओं को औषध उद्योग की कठिनाइयों का ज्ञान है।

(ग) शीरे और अल्कोहल का सारा निर्यात बन्द कर दिया गया है। सभी राज्यों की न्यूनतम अत्यावश्यक आवश्यकताओं का अनुमान सभी सम्बद्ध राज्य अधिकारियों के निकट परामर्श से किया गया है और अल्कोहल के अभ्यंश नियत किये गये हैं प्रत्येक राज्य सरकार को दिये गये हैं ताकि वे उनके द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार उनके उपभोक्ताओं को आवंटित कर सकें।

उड़ीसा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

†२२१८. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६३–६४ में (१) हाथ से बने कागज, (२) गुड़ और खंडसारी बनाने, (३) ताड़गुड़ बनाना तथा ताड़ की अन्य वस्तुयें बनाने का उद्योग तथा (४) कुटीर दियासलाई बनाने के उद्योग के विकास के लिए अलग अलग खादी तथा ग्रामोद्योग आयोगों द्वारा उड़ीसा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को कितनी रकम दी गई है अथवा देने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : १९६३-६४ वर्ष के लिए निम्नलिखित रकम का आवंटन किया गया है परन्तु अब तक भुगतान नहीं किया गया है :—

(१) हाथ का बना कागज	. ०.६५ लाख रुपया
(२) गुड़ तथा खांडसारी	. ३.५० लाख रुपया
(३) ताड़ गुड़	. १.८९ लाख रुपया
(४) माचिस बनाने का कुटीर उद्योग	. ०.४० लाख रुपया।

उड़ीसा में मिट्टी के बर्तन बनाने का कुटीर उद्योग

†२२१९. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२-६३ तथा १९६३–६४ वर्षों में मिट्टी के बर्तन बनाने के कुटीर उद्योगों के विकास के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उड़ीसा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को कितनी रकम दी गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** :

१९६२–६३	. ०.८२ लाख रुपये
१९६३–६४	. अब तक कोई नहीं।

लघु उद्योग निगम, उड़ीसा

†२२२०. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में लघु उद्योग निगम द्वारा कितनी रकम स्वीकार की गई है; और

(ख) यह अनुदान किन उद्योगों को मिला है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) ३ लाख रुपये।

(ख) निगम धन नहीं देता है और इसीलिए उपरोक्त विनियोजन में से पेशगी धन देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

उड़ीसा में खादी का उत्पादन

†२२२१. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में उड़ीसा में कितनी खादी का उत्पादन हुआ था ; और

(ख) १९६३–६४ में उड़ीसा में खादी उत्पादन में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) ६.५८ लाख वर्ग मीटर।

(ख) २६.४० लाख रुपये (मूल्य)।

रूरकेला इस्पात संयंत्र

†२२२२. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ में उपभोक्ताओं को अपने उत्पादों को बेच कर रूरकेला इस्पात सन्यन्त्र द्वारा कितनी आय हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक को अधिभार देकर ३४ करोड़ ९४ लाख ८० हजार रुपये ।

भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुएं

†२२२३. **श्री राम चन्द्र मलिक** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में जून १९६३ तक भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात के द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई है ; और

(ख) किन देशों में सभी प्रकार के भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं के लिए सबसे अधिक मांग है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क)

(१) १९६२–६३ . . . . २१.५३ करोड़ रु०

(२) १ अप्रैल, १९६३ से ३० जून, १९६३ तक . . . ५.१८ करोड़ रु० ।

(ख) ब्रिटेन, अमरीका, रूस, कनाडा, पश्चिम जर्मनी तथा आस्ट्रेलिया ।

"नीरा" का उत्पादन

†२२२४. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नीरा' का उत्पादन बढ़ाने के लिए उड़ीसा सरकार को केन्द्र द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में उड़ीसा को कितनी रकम दी गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा में काटन मिल

२२२५. { **श्री धुलेश्वर मीना** :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजनावधि में उड़ीसा में काटन मिलों की स्थापना के कोई प्रस्ताव सरकार को मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). उड़ीसा में काटन मिलों की स्थापना के लिये कितने ही आवेदनपत्र मिले हैं। उड़ीसा सरकार की सिफारिश के अनुसार पांच

†भूल अंग्रेजी में

मामलों में नीचे लिखे अनुसार लाइसेंस दिए गए हैं :—

पार्टी का नाम	स्पिंडल	स्थापना-स्थान
१. श्रीभवानी काटन मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता	२५,०००	भारसुगुडा
२. श्री नवकिशोर महन्ती, कटक	१२,०००	कटक
३. मैसर्स हिन्दुस्तान गैस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	२५,०००	बरहामपुर
४. मैसर्स उड़ीसा टैक्सटाइल लिमिटेड, कटक	२१,६००	कटक
५. श्री द्वारकादास शिवाजी आठा, भारसुगुडा	२५,०००	संभलपुर ।

उड़ीसा में भारी इंजीनियरिंग परियोजनायें

†२२२६. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजनावधि में उड़ीसा में नई भारी इंजीनियरिंग परियोजनाओं की स्थापना का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**:(क) और (ख). तीसरी योजना-में उड़ीसा में भारी इंजीनियरिंग परियोजनाओं की स्थापना के किसी प्रस्तावधिव पर सरकार विचार नहीं कर रही है। परन्तु उद्योग विकास तथा (विनियमन अधिनियम) १९५१ के अधीन इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्माण के लाइसेंस कुछ फर्मों को दिये गये हैं। जारी किए गए लाइसेंसों तथा आवेदनपत्रों का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७९२/६३]**

उड़ीसा में भारी उद्योग

†२२२७. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा में कौन-कौन से भारी उद्योग स्थापित किये गये हैं; और

(ख) ऐसे प्रत्येक उद्योग की अनुमानित लागत तथा उत्पादन क्षमता कितनी है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** :(क) और (ख).

भारी उद्योग	अनुमानित लागत	उत्पादन क्षमता
१. राउरकेला इस्पात कारखाना	२२२.१४ करोड़ रुपये	प्रति वर्ष १० लख टन के इस्पात का पिण्ड ।

†मूल अंग्रेजी में

भारी उद्योग	अनुमानित लागत	उत्पादन क्षमता
२. रूरकेला पाइप कारखाना	३.०८ करोड़ रुपये	आधार पर आकारित प्रति वर्ष १,२०,००० से १,८०,००० टन ।
३. रूरकेला उर्वरक परियोजना .	२३.०० करोड़ रुपये	कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिये नाइट्रोजन वार्षिक १,२०,००० टन ।

कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का प्रशिक्षण

†२२२८. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बत ने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ जुलाई से अब तक की अवधि में कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के प्रशिक्षण के लिये उड़ीसा से कितने व्यक्ति विदेश भेजे गए; और

(ख) वे किन-किन देशों को गए थे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हथकरघे का कपड़ा

†२२२९. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जुलाई, १९६३ तक हथकरघा निर्यात संगठन द्वारा उससे सम्बद्ध संस्थाओं के अतिरिक्त, कितने हथकरघे का निर्यात किया गया था; और

(ख) इसी अवधि में देश में कितना हथकरघे का कपड़ा बेचा गया था ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) १३,९९,५०० रुपये का ४,९०,००० गज ।

(ख) हथकरघा निर्यात संगठन सामान्यतः आन्तरिक व्यापार में भाग नहीं लेती है । केवल एक इस संगठन से उस ब्लीचिंग मद्रास कपड़े को खरीदने को कहा गया था जो बुनकरों के पास बिना बिका पड़ा था तथा जिसको घरेलू बाजार में बेचा जाना था । इसी प्रकार निर्यात के लिये बनाई गई वस्तुयें, जो निश्चित स्तर से नीची पाई गईं, सहकारी समितियों द्वारा बेचा गया है । इस अवधि में ऐसी बिक्री २,६१,५०० रुपये की हुई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सूडान को वेल्लित इस्पात[1] का संभरण

†२२३०. श्री रामहरख यादव :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात कारखाने ने सूडान को वेल्लित इस्पात की बड़ी मात्रा सम्भरण करने का काम लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). सूडान को ११/१९५९ को ब्रिटिश नमूने की ९० पौण्ड की १२,५००टन 'रेल्स' (पटरियों) के निर्यात के ठेकों पर अन्तिम फैसला कर लिया गया है तथा आशा है कि दिसम्बर, १९६३ तक जहाज से लदान हो जायेगा।

हाथ से बना कागज

†२२३१. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हाथ से बने कागज का कुल उत्पादन तथा खपत कितनी है ; और

(ख) क्या देश में निर्मित हाथ से बना कागज मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ?

†उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) गत पांच वित्तीय वर्षों के लिये उत्पादन तथा खपत के क्रमश: आंकड़े ६३५१ मीट्रिक टन (रुपयों में १२३.९१ लाख रुपये) तथा ५२५१ मीट्रिक टन (रुपयों में ११०.९७ लाख रुपये) हैं ।

(ख) जी नहीं। हाथ से बने कागज की बढ़िया किस्म का उत्पादन मांग से कम है।

आंध्र प्रदेश में औद्योगिक लाइसेंस

†२२३२. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ के लिये आन्ध्र प्रदेश से औद्योगिक लाइसेंसों के लि कितने आवेदन पत्र मिले; और

(ख) अस्वीकृत तथा स्वीकृत आवेदन पत्रों के अलग-अलग आंकड़े क्या हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख). १९६२-६३ में आन्ध्र प्रदेश में ७६ आवेदन पत्र मिले थे जिनमें से १४ स्वीकार किये गये तथा ४१ अस्वीकार किये गये थे। शेष आवदन पत्रों पर विचार हो रहा है ।

आंध्र प्रदेश में रेशम

†२२३३. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में रेशम के विकास के लिये आन्ध्र प्रदेश को कितना अनुदान तथा ऋण दिया गया ; और

(ख) १९६३-६४ के लिये कितनी रकम स्वीकार करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Rolled Steel.

†उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) १.५९ लाख रुपये (७१,००० रुपये अनुदान तथा ८८,००० रुपये ऋण) ।

(ख) १९६३-६४ के लिये व्यय २.२५ लाख रुपये है ।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, आन्ध्र प्रदेश

†२२३४. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में आन्ध्र प्रदेश के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को केन्द्र द्वारा कितना अनुदान दिया गया था; और

(ख) इसी अवधि में पूर्णतया रेशमी खादी का कुल कितना उत्पादन हुआ था ?

†उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) १.८ करोड़ रुपये ।

	मात्रा वर्ग मीटर	मूल्य लाख रुपये
(ख) सूती खादी	५६.८८	१३१.७५
रेशमी खादी	०.३२	४.३९ ।

अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र

†२२३५. श्री च० क० भट्टाचार्य : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान नैनीताल में हुए उपकुलपति सम्मेलन के इस निणय की ओर दिलाया गया कि विधान परिषद् के अध्यापक निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया जाये; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) परन्तु निर्वाचन आयोग ने अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र हटाने की सिफारिश की थी । उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस को हटाने की सिफारिश की थी । मामले पर निर्णय लेने से पूर्व विधान परिषद् वाले राज्यों की सरकारों के विचार जानने होंगे ।

केरल के पर्वतीय क्षेत्रों का औद्योगिक सर्वेक्षण

†२२३६. श्री अ० व० राघवन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कन्नूर, कोजीकोडे तथा पालघाट जिलों के पिछडे पवतीय क्षेत्रों का उन क्षेत्रों में औद्योगिक संभावनाओं का निर्धारण करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण दल की क्या सिफारिशें हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल का ग्राम्य उद्योगीकरण

†२२३७. **श्री अ० व० राघवन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी योजनावधि में केरल में ग्राम्य उद्योगीकरण की योजनाओं के लिए कितनी रकम स्वीकार की गई है ?

(ख) उक्त योजनावधि में कितनी रकम खर्च की गई ; और

(ग) तीसरी योजना के लिये इस शीर्ष के अधीन कितनी रकम आवंटित की गई थी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अमरीकी मक्का का आयात

†२२३८. **श्री राम हरख यादव** :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पी० एल० ४८० कायक्रम के अधीन ३ ·७ करोड़ रुपये की अमरीकी मक्का खरीदने के लिये अमरीका से समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) मांडी बनाने के लिये लगभग १,१०,००० टन मक्का का आयात होगा । समझौते के अधीन उपलब्ध रकम में से मक्का में समुद्र द्वारा परिवहन के लिये ५० प्रतिशत रकम दी जायगी ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिए डीजल इंजन

†२२३९. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का विचार दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिए बिजली के अतिरिक्त डीजल इंजन बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह आर्डर कब दिया गया था; और

(ग) कितने इंजन खरीदे जाने हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने २१·११-१९६२ को तीन औद्योगिक शंटकों (बिजली के अतिरिक्त डीजल इंजन) के आर्डर दिये गये थे ।

इस्पात कारखानों द्वारा रद्दी लोहे और इस्पात का बेचा जाना

†२२४०. **श्री रवीन्द्र वर्मा** :
श्री मुरारका :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) पिछले तीन वर्षों में तीनों इस्पात कारखानों द्वारा कितना रद्दी लोहा और इस्पात बेचा गया; और

(ख) इसका कितना मूल्य था, और किसने खरीदा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां

२२४१. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में तृतीय योजनाकाल में कितनी औद्योगिक बस्तियां बनाने का विचार था तथा अभी कितनी औद्योगिक बस्तियां बनाने को शेष हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): उत्तर प्रदेश में तीसरी पंच वर्षीय योजना काल में ५१ औद्योगिक बस्तियां बसाने का विचार था जिनमें से ४६ बस्तियों में विकास कार्य किया जा रहा है ।

मंगलौर में अनानास रेशा अनुसंधान केन्द्र

†२२४२. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मंगलौर में मूदविदरी स्थित अनानास रेशा अनुसन्धान केन्द्र ने कोई रिपोर्ट दी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : अनानास रेशा अनुसन्धान केन्द्र, मूदविदरी से एक रिपोर्ट मिली है जिस में १९५६ में इसके आरम्भ होने के बाद कार्य में हुई प्रगति का उल्लेख है और उसकी मुख्य बातें निम्न हैं :—

लक्ष्य तथा उद्देश्य :

अनानास की पत्तियों से उद्योग आरम्भ करने तथा अनानास उत्पादक क्षेत्रों में व्यक्तियों को रोजगार देने के उद्देश्य से मार्च, १९५६ में केन्द्र खोला गया था ।

सफलतायें :

आरम्भ के प्रयोग निकाले गये रेशे के निकालने तथा गांठ लगाने के अनेक ढंगों के बारे में थे । १९५७-५८ में रेशा बांधने में थोड़ा सा सुधार हुआ परन्तु वह प्रक्रिया महंगी थी । अनानास के कपड़े में लम्बाईवार सूती धागों के साथ प्रयोग किये गये । १९५८-५९ में केन्द्र रेशा निकालने तथा बांधने में लगा रहा । १९५८ के अन्त में, एक 'जापानी रसमादार' मशीन पूना से मंगाई गई । मशीन लगाने से उत्तम तथा एकसा रेशा प्राप्त करने में सहायता मिली । कताई तथा बांधने में और दोनों बुनाई में दोनों प्रकार सम्बन्धी प्रयोग किये गये । १९६० तक रेशा निकालने, बांधने और साधारण बुनाई के तरीकों को संभाला गया, और अनेक बुनाई निकालने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया ।

केन्द्र के आरम्भ से केन्द्र पर निम्न व्यय हुआ :—

वर्ष	व्यय
१९५६-५७ . .	२,७८९
१९५७-५८	४,१८४

†मूल अंग्रेजी में

१९५८-५९	१४,१२७
१९५९-६०	१५,९८४
१९६०-६१	३३,७५०
१९६१-६२	७६,५३५
१९६२-६३	४६,७४६

रेशा-उत्पादन लागत १·६२ रु० से घटा कर १·०० रु० प्रति पौंड कर दी गई है ।

आविष्कार संवर्धन बोर्ड

†२२४३. **श्री मो० महन्ती :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आविष्कार संवर्धन बोर्ड को अपनी स्थापना के बाद उड़ीसा से वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रार्थनापत्र मिला है;

(ख) उड़ीसा राज्य में किन आविष्कारों को वित्तीय सहायता या कोई पुरस्कार मिला; और

(ग) वित्तीय सहायता देने के लिए या पुरस्कार देने के लिए निर्धारण करने की क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) आविष्कार संवर्धन बोर्ड को अपनी स्थापना के बाद १९६० में उड़ीसा से वित्तीय सहायता के लिए दो पुरस्कार के लिए दस प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए ।

(ख) उड़ीसा के एक आविष्कारी को १९६१-६२ में उड़िया लिपि के टाइपराइटर के की-बोर्ड बनाने के लिए २,००० रु० का पुरस्कार दिया गया ।

(ग) विचारों या आविष्कारों के बारे में बोर्ड को प्राप्त हुए सभी प्रार्थन पत्रों की जांच पहिले उसके टेक्निकल कर्मचारी करते हैं । उसके बाद प्रार्थनापत्र अपनी नवीनता, उपयोगिता और व्यावहारिकता के लिए उस क्षेत्र के अग्रगण्य विशेषज्ञों के पास भेज दिया जाता है । तत्पश्चात् मामले पर एक टेक्निकल समिति विचार करतीं है, जिस में अग्रगण्य उद्योगपति तथा औद्योमिकीविज्ञ होते हैं । फिर इस टैक्निकल समिति की सिफारिशें अनुमति के लिए बोर्ड की कार्यकारिणी परिषद् में रखी जाती हैं ।

पुरस्कार की प्रविष्टियों के मामले में, सामान्यतया दो विशेषज्ञों की सिफारिश न होने पर पुरस्कार नहीं दिया जाता ।

भिलाई इस्पात कारखाना

२२४४. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विशेषज्ञ भिलाई इस्पात कारखाने के कर्मचारियों को प्रविधिक प्रशिक्षण देने के लिये भारत आ रहे हैं;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो ये विशेषज्ञ कितने दिन के लिये आ रहे हैं;

(ग) कितने अतिरिक्त विशेषज्ञ बुलाये जा रहे हैं; और

(घ) ये कब तक आ जायेंगे ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: (क) कोई रूसी विशेषज्ञ विशेष रूप से प्रविधिक प्रशिक्षण देने के लिये नहीं बुलाये जा रहे हैं लेकिन रूसी विशेषज्ञ भिलाई में इस्पात कारखाने के विस्तार के सम्बन्ध में कर्मचारियों को रूपांकन (डिज़ाइन) निर्माण, संचालन/संधारण के कार्यों में प्रशिक्षित करने तथा सहायता करने के लिए आ रहे हैं।

(ख) भिन्न भिन्न विशेषज्ञों की अवधि भिन्न भिन्न है ।

(ग) भिलाई की विस्तार योजना के अधीन निर्माण कार्यों पर कोई ३०० विशेषज्ञ काम करेंगे ।

(घ) लगभग १०० विशेषज्ञ भारत पहुंच चुके हैं। बकाया के जनवरी, १९६४ तक भारत पहुंच जाने की संभावना है ।

रांची में हतिया में गोदाम

†२२४५. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में बनाया गया रांची में हतिया में एक बड़ा गोदाम जून, १९६३ में उड़ गया और बरबाद हो गया; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसके कारणों की जांच की गई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). तूफानों के कारण, जो ४ और ६ मई, १९६३ को रांची में आये थे, भारी इंजीनियरी निगम का हतिया रेलवे स्टेशन के पास एक अस्थायी गोदाम उड़ गया। भारी इंजीनियरी निगम के अधिकारियों की समिति इसकी जांच करने के लिए बनाई गई थी। इस की रिपोर्ट आ गई है और अब प्रबन्ध उस का अध्ययन कर रहा है ।

कलकत्ता के लिये दुर्गापुर की गैस

†२२४६. **श्री प्र० के० देव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता को दुर्गापुर गैस ग्रिड से मिलाया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) कलकत्ता नगर को कुल कितनी गैस की आवश्यकता है और आजकल कलकत्ता को कितनी गैस मिलती है और कहां से मिलती है; और

(घ) दुर्गापुर से कितनी गैस ली जायेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). कलकत्ता को १८ जुलाई, १९६३ को दुर्गापुर गैस ग्रिड से मिलाया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) नगर में आजकल ३५ लाख घन फीट गैस की प्रति दिन आवश्यकता है। इस में से कलकत्ता का गैस कारखाना लगभग १० लाख घन फीट प्रति दिन गैस बना रहा है और शेष दुर्गापुर से ली जा रही है। १९६३ के अन्त में आवश्यकता बढ़ कर ५० लाख घन फीट प्रति दिन हो जायेगी और यही आवश्यकता अगले वर्ष, आदि में ७० लाख घन फीट प्रति दिन होगी।

(घ) १९६३ के अन्त से दुर्गापुर से गैस उपलब्ध होने से पूर्ण आवश्यकता पूर्ति होगी।

शीशा तथा कच्चा लोहा संबंधी एकीकृत परियोजनायें

†२२४७. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या उद्योग मंत्री १३ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार से समन्वित शीशा परियोजना तथा कच्चा लोहा परियोजना की वित्त-व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार समन्वित शीशा परियोजना के लिए अपेक्षित लगभग २५ प्रतिशत तक वित्त का एक भाग आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लि० द्वारा लगाया जायेगा। शेष राशि ऋण पूंजी और अंशों को जनसाधारण के लिए निकाल कर प्राप्त की जायेगी। निगम ने यह भी बताया है कि यदि आवश्यकता हुई, तो यह अपना सम्बन्ध अन्य संस्थाओं और/या कम्पनियों से प्रवर्तक के रूप में २५ प्रतिशत तक धन लगाने के लिए सम्बद्ध कर सकता है।

कच्चा लोहा परियोजना सम्बन्धी जानकारी राज्य सरकार से अभी प्राप्त नहीं हुई है।

पश्चिमी बंगाल में सीमेंट का कारखाना

†२२४८. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में आलदा में एक सीमेन्ट कारखाना खोलने के लिए कोई औपचारिक लाइसेन्स दे दिया गया है ;

(ख) क्या सभी देशी मशीनें प्राप्त कर ली गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो कारखाने में उत्पादन कब आरम्भ होगा ; और

(घ) पास में कितना कच्चा सामान उपलब्ध होगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) से (ग) पश्चिमी बंगाल में आलदा में सीमेन्ट कारखाना बनाने के लिए अभी तक कोई औपचारिक लाइसेन्स नहीं दिया गया है। केवल अनुमतिपत्र भेजा गया है। मशीनें प्राप्त करने के लिए अभी कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। अब तक हुई प्रगति की दृष्टि से अनुमतिपत्र रद्द करने पर विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) पास में उपलब्ध चूने के पत्थर की मात्रा लगभग ३०० लाख मीट्रक टन बताई जाती है।

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड

†२२४९. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रादेशिक कार्यालयों के कर्मचारियों को अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के मुख्यालय के कर्मचारियों के साथ मिलाने और समान्य वरिष्ठता सूची बनाने का विचार है?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : मामला विचाराधीन है ।

इस्पात का विक्रय मूल्य

†२२५०. **श्री प्र० च० बरुआ :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात, उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण इसका विक्रय मूल्य बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) तथा (ख) कच्चे माल की लागत, युद्ध जोखिम बीमा प्रीमिया, आदि में वृद्धि होने के कारण इस्पात के प्रतिधारण मूल्य में हाल में हुई वृद्धि के फलस्वरूप विक्रय मूल्य कुछ बढ़ा दिये गये थे, औसत रूप में, १–७–१९६३ से १० रु० प्रति मीट्रक टन बढ़ा दिया गया है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पास विमान

†२२५१. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पास अधिकारियों के प्रयोग के लिए अपने विमान हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी कितनी संख्या है, उनकी पूंजीगत लागत कितनी है और उनके रखने तथा प्रयोग करने पर कितना औसत मासिक व्यय होता है?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** (क) जी हां।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पास दो विमान हैं और उनकी लागत पूंजी १४·५ लाख रु० है। इन विमानों को रखने और चलाने पर लगभग ३६,००० रु० औसत मासिक व्यय होता है।

सरकारी उपक्रमों के विमान

†२२५२. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिन्दुस्तान स्टील लि० को छोड़कर किसी अन्य पब्लिक उपक्रम ने भी अपने अधिकारियों के प्रयोग के लिए विमान खरीदे हैं या खरीदने का विचार कर रहे हैं?

---

†मूल अंग्रजी में

†उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : हिन्दुस्तान स्टील लि० के अतरिक्त अन्य किसी पब्लिक उपक्रम ने अपने अधिकारियों के प्रयोग के लिए कोई विमान नहीं खरीदा है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एक विमान खरीदने पर विचार कर रहा है।

कम्पनियों पर जुर्माना करना

†२२५३. **श्री द्वारका दास मंत्री** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली में १९६१ और १९६२ के सन्तुलन पत्र तथा वार्षिक विवरण न देने के लिए उब तक कितनी कम्पनियों पर जुर्माना किया गया है ; और

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली में पंजीबद्ध प्रत्येक कम्पनी ने १९६० से १९६३ तक जो अपराध किये और सन्तुलन पत्र तथा वार्षिक विवरण न देने के कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का पालन न करने के लिए किये गये जुर्माने दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखा जायेगा ?

†उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क)

	वार्षिक विवरण न देने के लिए जिन कम्पनियों पर जुर्माना हुआ	सन्तुलन पत्र न देने के लिए जिन कम्पनियों पर जुर्माना हुआ	योग
पश्चिमी बंगाल	८८	१९१	२७९
महाराष्ट्र	१६४	१९३	३५७
दिल्ली . . .	२३	१९	४२

(ख) जी नहीं। क्योंकि यह विवरण तैयार करने में जो समय लगेगा और मेहनत होगी उसके अनुसार फल प्राप्त न होगा।

सीमान्त क्षेत्रों में खादी आयोग

†२२५४. **श्री राम रतन गुप्त** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या खादी आयोग ने नेफा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों में अपनी कार्यवाही बढ़ा दी है ; और

(ख) यदि हां, तो १९६२–६३ में इस कार्य के लिए कितना व्यय किया गया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां।

(ख) ३·८४ लाख रु० (अनुदान के रूप में ०·९४ लाख रु० और ऋण रूप में २·९० लाख रु)।

†मूल अंग्रेजी में

'हिज मास्टर्स वायस कम्पनी'

†२२५५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में रिकार्ड और ग्रामोफोन बनाने का एकाधिकार 'हिज मास्टर्स वॉयस कम्पनी' को प्राप्त है !

(ख) क्या यह पूर्णतया अंग्रेजी उपक्रम है ;

(ग) क्या यह सच है कि इसका मूल्य उत्पादन में हुई वृद्धि की अपेक्षा कहीं अधिक है ;

(घ) निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि निर्यात-बीजक कम मात्रा का बनता है और आयात देने वाले देशों में उनके कार्यालय लाभराशि सीधे इंग्लैंड भेज देते हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) मैसर्स ग्रामोफोन कम्पनी लिमिटेड, डम डम, कलकत्ता ही एक ऐसी फर्म है जो भारत में ग्रामोफोन रिकार्ड और ग्रामोफोन बना रही है। "हिज माहटर्स वॉयस" उनका पंजीबद्ध व्यापार चिह्न है।

(ख) यह कम्पनी ग्रेट ब्रिटेन में निगमित हुई है। फिर भी, इसके अंश ढांचे के बारे में और कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विदेशी कम्पनी के लिए, जिसने भारत में व्यापार जमा लिया है, यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने अंशधारियों की सूची दे।

(ग) स्पष्ट जानकारी नहीं मांगी गई है। सामान्यतया उत्पादन में वृद्धि होने से मूल्य में वृद्धि नहीं होती।

(घ) फोनोग्राफों (ग्रामोफोनों), रिकार्ड बजाने के यंत्रों तथा फोनोग्राफ (ग्रामोफोन) रिकार्डों सहित, का निर्यात १९६०–६१ से १९६३–६४ (जून १९६३ तक) निम्नाकूल हुआ है :—

१९६०–६१	१९६१–६२	१९६२–६३	१९६३–६४
रु०	रु०	रु०	रु०
१३,१३,०००	१४,८३,०००	१५,६०,०००	३,५२,०००
			(जून १९६३ तक)

(ङ) ऐसी अनियमितताओं की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा मोटर टायरों का आयात

†२२५६. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री उमानाथ :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने जैकोस्लोवाकिया से ४० लाख रुपये के मूल्य के (मध्यम आकार के) मोटर टायर खरीदे थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या लोक सभा के कुछ सदस्यों ने प्रधान मंत्री को यह लिखा था कि ये टायर प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा उपयोग में न लिये जायें क्योंकि ये विशिष्ट विवरण के अनुसार नहीं थे ;

(ग) क्या गवेषणा और विकास निदेशक ने इन टायरों को प्रथम श्रेणी का बताया था ; और

(घ) यदि हां, तो आपातकाल में इन टायरों का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) राज्य व्यापार निगम ने जैकोस्लोवाकियां से मध्यम आकार के कोई मोटर टायर नहीं खरीदे थे।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कोठागुडम में भारी उद्योग

†२२५७. **श्री वें० वेंकटासुबयया** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सिंगरेनी कोयला खानों के निकट घोठागुडेम में एक भारी उद्योग चलाने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख) यूरिया के निर्माण के लिये ८०,००० टन नाइट्रोजन प्रतिवर्ष की क्षमतावाला एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये मैसर्स आंध्र सुगरस लिमिटेड को एक लाइसेंस दे दिया गया है।

सिद्धान्त रूप में यह भी निश्चय कर लिया गया है कि १,००,००० टन कच्चे लोहे का प्रतिवर्ष उत्पादन करने के लिये एक संयंत्र की स्थापना करने के हेतु, मैसर्स आंध्र प्रदेश इण्डस्ट्रियल डवलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड को एक औद्योगिक लाइसेंस दिया जाय।

दिल्ली में विद्युत करघे

†२२५८. **श्री शिव चरण गुप्त** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र आयुक्त तथा उसके प्रादेशिक कार्यालयों की वर्तमान नीति के अधीन, निवाड़ आदि का निर्माण करने के लिये विद्युत करघों को स्थापित करने की अनुमति इस आधार पर नहीं दी जाती कि अविलम्बनीय प्रतिरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये निवाड़ आदि की आवश्यकता है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार से अनुमति प्राप्त किये अथवा लाइसेंस लिये बिना ही दिल्ली की कुछ फर्मों ने विद्युत करघे स्थापित कर लिये हैं और वे उनमें निवाड़ तथा फीते आदि बनाने का कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) सरकार की वर्तमान नीति के अधीन, सूती अथवा गैर-सूती धागे से बुनाई करने के लिये विद्युत करघों के अर्जन अथवा स्थापना की अनुमति नहीं है, सिवाय उन मामलों के जहां कि किसी शिक्षा संस्था में व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के लिये अथवा वस्त्र आयुक्त द्वारा स्वीकृत किन्हीं अन्य विशेष प्रयोजनों के लिये उनकी आवश्यकता होती है ?

(ख) जी, हां।

(ग) दो मामलों में विद्युत करघे सील कर दिये गये हैं। तीसरे मामले में कार्यवाही रोक दी गई है क्योंकि वे प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के लिये अविलम्बनीय मांगों को पूरा करने के लिये माल बना रहे हैं और फर्म ने अब आवश्यक अनुमति के लिये वस्त्र आयुक्त को प्रार्थनापत्र दे दिया है।

लौह अयस्क का निर्यात

†२२५९. श्री मोहसिन : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यपार मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक आपरटर्स यूनियन ते सरकार से यह अभ्यावदन किया है कि, कारवार और बलीकेरी बन्दरगाहों से लौह अयस्क का निर्यात करने वाले, लौह अयस्क के निर्यातकों के लिये जो परिवहन की दर निर्धारित की गई हैं वे अन्य स्थानों पर दी गई दरों की तुलना में बहुत कम हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो विभिन्न स्थानों पर जहाज पर दाम व्यापार की क्या दरें निर्धारित की गई हैं ;

(ग) क्या सरकार को यह आशा है कि निर्धारित अवधि के अन्दर ही लोह अयस्क कि अनुमानित मात्रा का निर्यात हो जायगा ; और

(घ) हुगली के करादार और बलीकेरी बन्दरगाहों तक लौह अयस्क का परिवहन करने में कितनी गाड़ियां लगी हुई हैं ?

†अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) राज्य व्यापार निगम को इस मामले में कर्नाटक ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स युनियन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों की जांच की जायेगी ।

(ख) राज्य व्यापार निगम जहाज पर दाम व्यापार[1] तथा रेल तक निष्प्रभार[2] दोनों ही आधारों पर अपने सम्भरण की व्यवस्था करता है। मूल्यों को बताना लोक हित में नहीं है क्यों कि राज्य व्यापार निगम एक व्यापारिक संस्था है ।

(ग) निर्धारित अवधि के अन्दर ही अनुमानित मात्रा का परिवहन करने के लिये राज्य व्यापार निगम प्रत्यक प्रयत्न करता है।

(घ) उपयोग की जाने वाली गाड़ियों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है ?

(ग) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] FOBT

[2] F O R

तम्बू तथा दरी कारखाना

†२२६०. श्री उमानाथ
श्री स० मो० बनर्जी

क्या सम्भरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एल्गिन मिल्स लिमिटेड कानपुर के अधीन जो तम्बू तथा दरी कारखाना सेना के लिये तम्बुओं का निर्माण कर रहा था वह बन्द हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस संस्था को अपने हाथों में लेने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

†सम्भरण विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) सम्भरण तथा उत्सर्जन महानिदेशालय की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

सरकार द्वारा घड़ियों की खरीद

†२२६१. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सम्भरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातकाल की उद्घोषणा के पश्चात् सरकार ने अपने दिल्ली तथा नई दिल्ली स्थित कार्यालयों के लिये कितनी घड़ियां खरीदी हैं तथा उन पर कितना रुपया व्यय किया गया है ;

(ख) क्या यह खरीद प्रतिरक्षा अथवा अन्य आपातकालीन आवश्यकताओं से सम्बन्धित थी; और

(ग) यदि नहीं , तो वे किस प्रयोजन के लिये खरीदी गई थी ?

†सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जायगी ।

केरल के लिये सीमेन्ट का अभ्यंश

†२२६२. श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री अ० व० राघवन :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६२–६३ तथा १९६३–६४ के केरल के सीमेंट के अभ्यांश (कोटा) में कटौती कर दी गई है ; और

(ख) केरल के लिये सीमेंट के अभ्यांश की बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० च० सेठी): (क) और (ख) प्रतिरक्षा प्रयत्नों से सम्बन्धित कार्यों के लिये सीमेंट की मांग में भारी वृद्धि के कारण, आपातकाल के पश्चात सीमेंट के लगभग सभी उपभोक्ताओं के सामान्य आवंटनों में एक आम कमी कर दी गई

---

†मूल अंग्रेजी में

है। यह कटौती धीरे धीरे कम की जा रही है। केरल के मामले में, १९६२–६३ के चौथे चतुर्थांश में जो बीस प्रतिशत की कटौती थी उसे १९६३-६४ के तीसरे चतुर्थांश में घटाकर ५% से कम कर दिया गया गया है ।

नामरूप उर्वरक परियोजना

†२२६३. **श्री प्र०च० बरुआ** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नाम रूप उर्वरक परियोजना की क्रियान्वित में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : नामरूप में उर्वरक कारखाना स्थापित करते के कार्य में अब तक जो प्रगति हुई है वह निम्नलिखित है : —

१. **भूमि अर्जन** : कारखाने तथा उससे सम्बद्ध नगर के लिये अपेक्षित ८०६ एकड़ भूमि अर्जित कर ली गई है ।

२. **नगर** : नगर के लिये वृहद योजना राज्य सरकार के वस्तु शिल्पी तथा नगर आयोजक के परामर्श में तैयार कर ली गई है तथा उसे अन्तम रूप दे दिया गया है ।

(क) **आवास इकाइयां** : जो ९०० आवासिक मकान बनाय जाने हैं उनमें से १५० क्वार्टर बन गये हैं तथा कर्मचारी गण उनमें चले गय हैं । विभिन्न प्रवर्गों के अन्य १०० क्वार्टरों का निर्माणकार्य प्रगति कर रहा है ।

(ख) **सरकारी इमारतें** : निर्माण काल के दौरान विदेशी तथा अन्य विशेषज्ञों और इंजीनियरों के लिये होस्टल भवन का निर्माण लगभग पूरा हो गया है ।

३. **कारखाने का निर्माण, संयंत्र संबंधी मशीनरी का सम्भरण तथा सम्बद्ध कार्यवाहियां** :

(क) एमोनिया, यूरिया और सल्फारिक एसिड संयंत्रों के सम्बन्ध में संयंत्र और मशीनों के सम्भरण और उनके लगान के लिये लन्दन और के मैसर्स केमीकल कान्सट्रक्शन (जी० बी०) लिमिटेड को ठेका दे दिया गया है।ऐसा प्रस्ताव है कि सिन्द्री के भारतीय उर्वरक निगम के केन्द्रीय आयोजन तथा विकास विभाग द्वारा एमोंनियम सल्फेट संयंत्र की डिजाइन तैयार की जायेगी,उसकी व्यवस्था का प्रबन्ध किया जायेगा तथा उसे लगाया जायेगा । कार्य संतोषजनक रूप से प्रगति कर रहा है ।

(ख) आशा है कि इंगलैंड से कुछ मशीने तथा उपकरण शीघ्र ही स्थल पर पहुंच जायेंगे ।

(ग) **रेलवे साईडिंग** : नामरूप रेलवे स्टेशन से कारखाने के स्थल तक रेलवे साईडिंग लगभग पूरी हो चुकी है । अधिकांश भाग में रेलवे लाइन बिछा दी गई है और इन लाइनों की जांच शीघ्र ही की जायेगी ।

(घ) सामान रखने के लिये शेडों का निर्माण पूरा हो गया है ।

भिलाई इस्पात कारखाना संयंत्र

†२२६४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखाने मे एक दूसरी कोक भट्टी बैटरी, एक नई धमन भट्टी और एक खुली भट्टी लगाने का निश्चय किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनकी अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ग) इस निर्णय को कार्यरूप देने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ।

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग). इस बात की प्रत्याशा में कि चतुर्थ योजना काल में प्रसार होगा भिलाई में एक कोक भट्टी बैटरी, एक धमन भट्टी तथा अन्य अनुषंगी चीजे लगाने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजन के लिये परियोजना प्रतिवेदन इस समय भिलाई "डिजाइन सेल" में तैयार किया जा रहा है । जैसे ही परियोजना प्रतिवेदन तैयार हो जायेगा, लागत मालूम हो जायेगी और निर्णय को कार्यरूप देने के लिये अन्य कार्यवाही की जायेगी ।

श्रेणी २ के पुस्तकाध्यक्ष के पद

२२६५. श्री कछवाय : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में ग्रेड २ के पुस्तकाध्यक्ष के कितने पद हैं ;

(ख) इनमे से कितने पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित हैं ; और

(ग) इन जातियों के कितने लोग वास्तव में इन पदों पर काम कर रहे हैं अथवा क्या सुरक्षित पदों को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) छः (तीन स्थायी पद और तीन अस्थायी पद) ।

(ख) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के लिये इन पदों पर सुरक्षण, विधि मन्त्रालय में तृतीय श्रेणी के पदों में, जो कि किन्ही संगठित सेवाओं के अन्तर्गत नहीं हैं, विषेश प्रतिनिधित्व के प्रयोजनों के लिये रखे रोस्टरों में के प्रक्रमों के अनुरूप किया जाता है जबकि उनमें रिक्ततायें होती हैं ।

(ग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का कोई व्यक्ति विधि मंत्रालय में पुस्तकाध्यक्ष ग्रेड २ के रूप में इस समय काम नहीं कर रहा है । सुरक्षित रिक्तताओं के रूप में विज्ञापित रिक्तताओं के लिये आवश्यक न्यूनतम योग्यताओं वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार नहीं मिले । विधि मंत्रालय में पुस्तकाध्यक्ष ग्रेड २ का कोई पद असुरक्षित घोषित नहीं किया गया है ।

बुनकर सेवा संस्थायें

२२६६. श्री कछवाय : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अब तक कितने वीवर्स सर्विस इन्स्टीट्यूट (बुनकर सेवा संस्थायें) खोलें हैं और उनके लिये स्थान चुनने में किन किन बातों का ध्यान रखा गया है ;

(ख) ऐसी संस्थाओं से कितने बुनकरों को और क्या क्या लाभ पहुंचा है ; और

(ग) क्या इनके काम का पुनरीक्षण करने के लिये सरकार किसी समिति के गठन पर विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) सरकार ने अब तक ७ वीवर्स सर्विस इन्स्टीट्यूट (बुनकर सेवा संस्थायें) खोले हैं। इनके लिये स्थान चुनते समय क्षेत्र विशेष में रहने वाले हथकरघे के बुनकरों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है। राज्य सरकारों से भी इस मामले में सलाह ले ली जाती है। अब तक खोले गये केन्द्रों का ब्योरा और उनसे लाभ उठाने वाले क्षेत्र इस प्रकार हैं :—

१. बम्बई (सूरत के एक उपकेन्द्र सहित)।	.	महाराष्ट्र और गुजरात राज्य।
२. मद्रास	.	मद्रास, केरल और आन्ध्र प्रदेश के राज्य तथा पाण्डीचेरी।
३. वाराणसी	. .	उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य।
४. कलकत्ता	. .	बंगाल, आसाम और उड़ीसा राज्य तथा मणिपुर और त्रिपुरा।
५. दिल्ली	. . .	दिल्ली तथा पंजाब राज्य और हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर।
६. इन्दौर	.	राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य।
७. बंगलौर	. .	मैसूर राज्य।

(ख) बुनकर सेवा संस्थाओं से सभी बुनकरों को लाभ पहुंचता है, वे चाहे सहकारिता क्षेत्र के हों अथवा उससे बाहर के। इन संस्थाओं को स्थापित करने का उद्देश्य सम्पूर्ण हथकरघा उद्योग की आवश्यकतायें पूरी करना है। सहकारी संगठनों को कुछ तरजीह दी जाती है। बुनकरों की सूती तथा रेशमी कपड़ों के लिये रंगों के मेल के सम्बन्ध में प्रविधिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसके अलावा रंगाई, छपाई आदि के विषय में भी हिदायतें दी जाती हैं। इन संस्थाओं में नमूनों और डिजाइनों का विकास किया जाता है। जिन्हें सहकारी क्षेत्र के बुनकरों को मुफ्त और उससे बाहर वालों को नाम मात्र के मूल्य पर दे दिया जाता है। निर्यात बाजारों के लिये भी डिजाइनों का विकास किया जाता है और वे भारतीय दस्तकारी तथा हथकरघा निगम और अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र बिक्री सहकारी समिति को मुफ्त दे दी जाती है।

(ग) जी नहीं।

अखिल भारतीय हथकरघा बुनकर कांग्रेस

२२६७. **श्री कछवाय** : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हथकरघा बुनकर कांग्रेस ने ऐसी कोई मांग की थी कि अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को संविहित आयोग में परिवर्तित कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को एक सांविधिक आयोग के रूप में परिणत कर देने के सम्बन्ध में अखिल भारतीय बुनकर कांग्रेस से जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ था वह नीचे लिखे कारणों से सरकार को मंजूर नहीं था :—

हथकरघा उद्योग अत्यधिक बिखरा हुआ है, अतः उसे सरकार से हर स्तर पर और हर समय लगातार मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। दूसरे कपड़ा आयुक्त के संगठन से निकट संबंध बनाये

---

†मूल अंग्रेजी में

रख कर वर्तमान हथकरघा बोर्ड राज्य सरकारों तथा मिल उद्योगों को हाथकरघों के लिए सहायता की आवश्यकता महसूस करा सकता है । तीसरे, कपड़ा मिल उद्योग का नियंत्रण चूंकि कपड़ा आयुक्त करते हैं और वह अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, अतः हथकरघा बुनकरों को सूत का संभरण करने की समस्या तथा कपड़ा उद्योग के विभिन्न खण्डों के साथ सामंजस्य रखने संबंधी अनेक समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है । यदि बोर्ड को एक सांविधिक आयोग में परिणत कर दिया गया तो यह सब लाभ जाते रहेंगे ।

प्रदर्शनी निदेशालय में सहायक निदेशक

२२६८. **श्री कछवाय** : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रदर्शनी निदेशालय में सहायक निदेशकों के कितने पद हैं ;

(ख) इनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सुरक्षित हैं ; और

(ग) वास्तव में इन जातियों के कितने कर्मचारी इन पदों पर काम कर रहे हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग). एक विवरण साथ में नत्थी है।

विवरण

प्रदर्शनी निदेशालय में सहायक निदेशकों के स्थानों की कुल संख्या	इन स्थानों में से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सुरक्षित स्थानों की संख्या	इन स्थानों पर वास्तव में काम करने वाले इन जातियों के व्यक्तियों की संख्या
(क)	(ख)	(ग)
८	२	१

हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल

†२२६९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल के श्रमिकों में असंतोष है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस उलझन को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) से (ग). श्रमिकों में थोड़ी अनुशासनहीनता है । इस समस्या को हल करने के लिए पग उठाये जा रहे हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा के अखबारी कागज का कारखाना

†२२७०. { **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय योजना काल में उड़ीसा में अखबारी कागज का एक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में लोहे का उत्पादन

†२२७१. { **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में लोहे के उत्पादन में भारी कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) से (ग). इस अनुमान पर कि माननीय सदस्यों का प्रश्न उड़ीसा में कच्चे लोहे के उत्पादन के सम्बन्ध मे है, वास्तव में बात यह है कि उड़ीसा में केवल एक कारखाना बारबिल में है जिसमें निम्न धमन भट्टी के द्वारा कच्चे लोहे का उत्पादन किया जाता है । पहले इसके स्वामी कलिंग इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड कलकत्ता थे और अब इसको (उड़ीसा सरकार के एक उपक्रम) उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम समिति, भुवनेश्वर ने अपने हाथों में ले लिया है । इस कारखाने ने १९६१–६२ में २९,५८४ टन और १९६२–६३ में २८,२२४ टन कच्चे लोहे का उत्पादन किया था । १९६२–६३ में १३६० टन की थोड़ी सी कमी हुई है जो कि मुख्यतया बिजली के चले जाने का कारण हुई है । कारखाने को बिजली के उचित सम्भरण को सुनिश्चित करने के लिये उड़ीसा सरकार द्वारा परिशोधक कार्यवाही की गई है ।

रूस के लिये भारतीय सिगरेट

२२७२. **श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में मास्को में हुई प्रदर्शनी में दिखाये गये भारतीय सिगरेट रूस में बहुत पसन्द किए गए ;

(ख) यदि हां, तो सबसे अधिक पसन्द किए गए सिगरेटों के नाम क्या हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या रूस को सिगरेटों का निर्यात करने की कोई प्रस्थापना है और यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) जहां तक पता लगा है सभी प्रकार की भारतीय सिगरेटों को पसन्द किया गया था ।

(ग) आरम्भ में २७० लाख भारतीय सिगरेटों का रूस को निर्यात करने का आर्डर मिला है ।

जम्मू तथा काश्मीर के लिए नालीदार लोहे की चादरें[1]

†२२७३. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर में नालीदार लोहे की चादरों की कमी की सरकार को जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो आगामी शीतकाल से यथासम्भव पूर्व नालीदार लोहे की कथित चादरों के सम्भरण को उपलब्ध करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी, हां ।

(ख) इनका स्वदेशी उत्पादन न्यूनाधिक स्थिर ही रहा है, जबकि इस किस्म की चादरों की मांग बढ़ती ही जा रही है जिसका परिणाम यह हुआ है कि उत्पादकों के पास क्रयादेशों का एक बड़ा ढेर इकट्ठा हो गया है । इसलिये, १ अप्रैल, १९६२ से जी० सी० चादरों का कोई आवंटन नहीं किया गया है परन्तु अवशिष्ट क्रयादेशों का निबटान करने के लिये (मासिक) प्रेषकों की एक अनुसूची जुलाई, १९६२ से प्रारम्भ की गई थी । इरादा यह था कि अवशिष्ट क्रयादेशों का निबटान चालू उत्पादन में से किया जाय । आपातकाल की घोषणा और प्रतिरक्षा के लिये भारी मांग को पूरा करने की आवश्यकता होने पर, प्रेषकों की योजना को निलम्बित करना पड़ा । राज्यों की अपरिहार्य आवश्यताओं को पूरा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए,जुलाई, १९६३ से यह योजना आंशिक रूप में पुन: चालू कर दी गई है और नियन्त्रित पैमाने पर सम्भरण किये जा रहे हैं । इस पुनरीक्षित योजना के अधीन जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लिये जुलाई से सितम्बर, १९६३ तक की अवधि के लिये २४० टन का आवंटन किया गया है । अक्टूबर और उसके आगे से इससे अधिक आवंटन की सम्भावना है ।

स्थगन प्रस्ताव और ध्यान दिलाने के प्रस्ताव की सूचना के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री स० मो० बनर्जी, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री दाजी तथा श्री ही० ना० मुकर्जी से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, जो निम्न प्रकार है :—

> "पश्चिम बंगाल के वित्त मन्त्री के पश्चिम बंगाल में सम्भावित चीनी संकट तथा भीषण खाद्यान्न संकट सम्बन्धी वक्तव्य पर तुरन्त चर्चा की आवश्यकता, जब कि खाद्य स्थिति में सुधार का कोई लक्ष्य नहीं पाया जाता ।. . . . . "

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Corrugated Iron Sheets.

[अध्यक्ष महोदय]

श्री दीनेन भट्टाचार्य तथा अन्य सदस्यों ने ध्यान दिलाने के प्रस्ताव की एक अन्य प्रस्ताव की सूचना दी है जो इस प्रकार है :–

"कलकत्ता कपड़ा बाजार में ठीक पूजा त्यौहार से पूर्व कपड़े के मूल्यों का बढ़ना तथा बढ़िया कपड़े की कुछ किस्मों की अप्राप्यता ।"

माननीय मन्त्री की इस वियष में क्या सूचना है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: मैं ५ बजे इस बारे में एक वक्तव्य दूंगा । यह वक्तव्य दूसरे विषय के बारे में होगा ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं भी पांच बजे एक वक्तव्य दूंगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : इन सूचनाओं को अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय का रूप दिया जायेगा अथवा स्थागन प्रस्ताव ही माना जायगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इन्हें अभी स्थगन प्रस्ताव के रूप में ही रख रहा हूं, फिर बाद में मैं विचार करूंगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(१) पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के निकट चांगसारी स्टेशन के यार्ड में एक माल डिब्बे में से गेलेटाइन के बक्सों की चोरी

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं रेलवे मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें, अर्थात् :

"पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के निकट चांगसारी स्टेशन यार्ड में एक माल डिब्बे में से गेलेटाइन के आठ बक्सों की कथित चोरी ।

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : चांगसारी की कर्मशालाओं के सहनिरीक्षक द्वारा बुक किये गये ६० गेलेटाइन के बक्सों में से आठ बक्से, जो उत्तर-पूर्वी सीमान्त रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के थे, और जो ३०–५–१९६३ को क्वैरी स्थान पर (स्टेशन से एक मील दूर) वैगन संख्या एन० ई० सी० ९७६९३, में लादे गये थ, और जो उत्तर सीमान्त रेलवे के बोंगाये-गोन के ज़िला इंजीनियर को भेजे गये थे, चोरी हुए पाये गये । वैगन को कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण ८–६–१९६३ तक नहीं भेजा जा सका । ७–६–१९६३ को एक रेलवे संरक्षण दल के रक्षक द्वारा चांगसारी स्टेशन पर वैगन के कार्ड लेबल को फटा हुआ और कुंडी को ढीला पाया गया । रेलवे संरक्षण दल डाकखाना रंगिया, के कार्यभारी अधिकारी को सूचित किया गया जो दो पुलिस कांस्टबुलों के साथ ९–६–६३ को चांगसारी पहुंचे और एक साधन से सूचना मिलने पर खोज की ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खोज करने पर एक धान के खेत से, जो अब्दुल हुसैन का था, गेलेटाइन के २५ टुकड़े पकड़े गये। अज़ीमुद्दीन के घर के उत्तरी दालान में एक गढ़े में से गेलेटाइन के टूटे हुए बक्स भी पकड़े गये। इन दो बक्सों के १५० टुकड़े चार पैकटों में एक बक्से के और २५५ टुकड़े दूसरे बक्से के प्राप्त किये गये।

मामले की अग्रेतर जांच सरकारी रेलवे पुलिस, अमीनगांव, द्वारा की गयी और तीन बाहर के व्यक्तियों को गिरफ्तर किया गया : अज़ीमुद्दीन, उसका पुत्र और नियामत अली तथा एक रेलवे कर्मचारी हबीबुर्रहमान, मैराइन खलासी, चांगसारी। एक अन्य व्यक्ति जमशेद अली जिस पर शक था, ने अपने आपको न्यायालय के हवाले कर दिया। जांच के दौरान अभियुक्त हबीबुर्रहमान ने बताया कि उसने अपने साथियों के साथ चोरी की थी। चोरी किये गये माल का अनुमानित मूल्य ९६७ रुपये ५० नये पैसे है जब कि अब तक प्राप्त किये गये माल का मूल्य २२६ रुपये है। शेष माल को प्राप्त करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

चांगसारी स्टेशन रंगिया जंकशन और अमीनगांव के बीच है और वह पूर्वी पाकिस्तान की निकटतम सीमा से १२५ किलोमीटर की दूरी पर है।

पुलिस/गुप्तचर विभाग आसाम के डी० आई० जी० ने भी मामले की जांच की है और यह रिपोर्ट दी गई है कि इस मामले में कोई ध्वंसात्मक अथवा राजनीतिक उद्देश्य नहीं पाया गया। यह मामला गृह-कार्य मंत्रालय के गुप्तचर विभाग को भी निर्दिष्ट किया गया है। जांच हो रही है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इस विशिष्ट क्षेत्र में रेलवे कर्मचारियों द्वारा पाकिस्तानी जासूसों की सहायता से रेलगाड़ी को अन्तर्ध्वस्त करने के प्रयत्न किये गये थे ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हमें इस प्रकार की सूचना नहीं है।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : क्या वरिष्ठ स्टेशन स्टाफ वालों पर भी खुले तौर पर शक किया जा रहा है ? यदि हां, तो उस तथ्य की जांच के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : केवल एक सहायक स्टेशन मास्टर, ए० ए० खान पर शक था। वह मामला अभी जांचाधीन है।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : देखने वाली बात यह है कि यह विस्फोटक किस उद्देश्य से चुराये गये थे। गत वर्ष रेल गाड़ियों के उड़ाये जाने से ३१ जानें गई थीं। पहले कुछ दस्तावेज़ चोरी हुए फिर गेलेटाइन चोरी हुआ। हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय इस मामले पर अधिक गम्भीरता-पूर्वक दृष्टि डालें। यह चोरी मामूली ढंग की चोरी नहीं थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस विषय में इसलिये अधिक चिन्तित हैं क्योंकि पहले दस्तावेजों की चोरी हो चुकी है, इसलिये यह मालूम करने के लिये कि कुछ लोग जासूसी वगैरह तो नहीं कर रहे उच्चस्तरीय जांच की जानी चाहिए।

†**रेलवे मंत्रालय के भार साधक मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : मैं माननीय सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इस मामले को साधारण तौर पर नहीं ले रहे हैं। यदि ऐसी धारणा पैदा हुई है

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री स्वर्ण सिंह]

तो मुझे इसके लिये खेद है। निश्चय ही, हम इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की कोशिश करेंगे और यह देखेंगे कि क्या किया जाय ; यदि कोई विशिष्ट कार्यवाही करना वांछनीय हुआ तो निश्चय ही ऐसा किया जायगा। यदि कोई व्यक्ति अनुचित कार्यवाही के लिए उत्तरदायी पाया गया तो उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : क्या यह सच है कि बंगाल-आसाम पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर वैगनों से इस प्रकार की चोरियां बढ़ रही हैं ? और क्या मंत्रालय ने इस सम्भाव्यता पर विचार किया है कि जासूसों और विध्वंसात्मक कार्यवाही करने वालों के दल इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं ? यदि हां, तो इस मंत्रालय तथा गृह-कार्य और प्रतिरक्षा मंत्रालयों के साथ समन्वित रूप से उन्हें समाप्त करने के प्रयत्न किये गये हैं ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : जहां तक समन्वय का प्रश्न है, इन मामलों में जांच रेलवे पुलिस द्वारा की जाती है और उपयुक्त मामलों में अन्य जांच अभिकरणों, जैसे विशेष पुलिस अथवा गुप्तचर विभाग का सहयोग भी प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार समन्वय होता है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से सम्बन्धित प्रश्न है और यह आपातकाल है। तो क्या प्रतिरक्षा तथा गृह मंत्रालयों से समन्वय रख कर कार्यवाही करना वांछनीय नहीं ह ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय ने कहा है कि वह इस मामले को साधारण तौर पर नहीं लेंगे और वह सम्भव जांच करेंगे। इस समय इससे अधिक आप क्या आशा कर सकते हैं ?

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : मंत्री जी ने बतलाया कि इस खबर से पहले भी इस तरह की कोशिश हुई थी और अब भी जो पकड़ गये हैं स्टेशन मास्टर से लेकर नीचे तक, उनमें मुसलमानों के नाम ज्यादा हैं। क्या सरकार यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसमें पाकिस्तान को सपोर्ट करने वालों का तो हाथ नहीं है जो कि हमारे देश में मौजूद हैं और जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इसका क्या जवाब दूं। मुझे तो पता नहीं कि चोरों में मुसलमान ज्यादा हैं या दूसरे ज्यादा हैं। चोर चोर हैं, उनका किसी मजहब से कोई सम्बन्ध नहीं। मैं समझता हूं कि चोरों का कोई मजहब नहीं होता, चोर सभी मजहबों के हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अपने सवाल के दूसरे हिस्से में उन्होंने कहा है कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाए कि आया इसमें पाकिस्तान का तो हाथ नहीं है।

श्री स्वर्ण सिंह : यह इशारा बहुत वाजिब है, इस बात पर भी तवज्जह दी जाएगी।

श्री हरि विष्णु कामत : चोर नहीं हैं गद्दार हैं।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : आसाम के सीमान्त राज्य में यह घटना पहली बार नहीं हुई है। पहले भी चीनी आक्रमण के समय सैनिकों से भरी रेलगाड़ियों को पटरी से उतारने की घटनायें हुईं। क्या यह सच है कि इस मामले में जांच स्थिति की गम्भीरता के अनुकूल नहीं हुई ?

†**स्वर्ण सिंह** : जी नहीं। मैं इस प्रश्न के सभी भागों से असहमत हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

प्रशुल्क आयोग आदि का प्रतिवेदन

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं:—

(क) आग बुझाने के उपकरण का निर्माण करने वाले कारखानों की मूल्य नीति के बारे में प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट (१९६२)।

(ख) दिनांक २४ जुलाई, १९६३ की सरकारी संकल्प संख्या ई ई आई—१५(४)/६०(ए ई आई)।

(ग) ऊपर (क) और (ख) में उल्लिखित दस्तावजों की एक-एक प्रति उक्त उपधारा में निर्धारित अवधि के भीतर टेबल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० १७७३/६३]

(२) (क) कम्पनीज एक्ट, १९५६ की धारा ६१९-क की उपधारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६२–६३ के लिये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर की वार्षिक रिपोर्ट, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपरोक्त कम्पनी के कार्य-संचालन के बारे में सरकार की समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये सख्या एल० टी० १७७४/६३]

आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाने वाला विवरण

†संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह : मैं विभिन्न सत्रों में जो, प्रत्येक के सामने बताये गये हैं, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई बताने वाला निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) विवरण संख्या १ — पांचवां सत्र, १९६३ (तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७७५/६३]

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ४ — चौथा सत्र, १९६३ (तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७७६/६३]

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ८ — तीसरा सत्र, १९६२–६३ (तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७७७/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सत्य नारायण सिंह]

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १० दूसरा सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७७८/६३]

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या १३ पहला सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७७९/६३]

(छै) अनुपूरक विवरण संख्या १२ चौदहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७८०/६३]

(सात) अनुपूरक विवरण संख्या २१ तेरहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७८१/६३]

(आठ) अनुपूरक विवरण संख्या १५ बारहवां सत्र, १९६० (दूसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७८२/६३]

वर्ष १९६१-६२ के लिए चाय बोर्ड के लेखे की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं वर्ष १९६१–६२ के लिये चाय बोर्ड के लेखे की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १७८३/६३]

समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का वार्षिक प्रतिवेदन, १९६३, भाग २

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : मैं भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का वार्षिक प्रतिवेदन, १९६३ (भाग २) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १७८४/६३]

पटसन उद्योग के बारे में केन्द्रीय मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवेय)**: मैं पटसन उद्योग के बारे में केन्द्रीय मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १७८५/६३]

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): श्री पालकिंगटन जो कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं इंग्लैंड चले गये थे तो उन के हस्ताक्षर कैसे कराये गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री र० कि० मालवीय** : वह सदस्य कुछ समय पूर्व तक यहां उपस्थित थे और सभी मदों पर उन की उपस्थिति में ही विचार किया गया। हस्ताक्षर करने का अधिकार वह किसी अन्य सदस्य को दे गये थे।

प्राक्कलन समिति

सिफारिशों के उत्तर

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : मैं प्राक्कलन समिति (तृतीय-लोक-सभा) के चौदहवें प्रतिवेदन के अध्याय ४, सोलहवें प्रतिवेदन के अध्याय ४, अट्ठारहवें प्रतिवेदन के अध्याय ८, और इक्कीसवें प्रतिवेदन के अध्याय ४ की सिफारिशों में उल्लिखित उन उत्तर बताने वाले चार विवरणों को, जो सम्बन्धित प्रतिवेदनों म सम्मिलित किये जाने के लिए सरकार द्वारा समय पर नहीं दिये गये थे, सभा पटल पर रखता हूं।

गैरसकारी सदस्यों के विधेयकों तया संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही-सारांश

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं चालू सत्र में हुई गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति की बैठकों (२२वीं से २६वीं) के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक प्रबन्ध के बारे में विवरण

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: गत सप्ताह दिये गये वचन के अनुसार मैं सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में उचित और औद्योगिक प्रबन्ध प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिये की जाने वाली और कार्यवाही के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७८८/६३]**

गौहाटी तेल शोधक कारखाने के बारे में वक्तव्य

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : सभा ने गौहाटी शोधनशाला के कार्यपालन के बारे में भूतकाल में काफी दिलचस्पी दिखाई है इसलिए वह नवीनतम स्थिति जानने और अपने उपमंत्री की अध्यक्षता में आये रूमानिया के तकनीकी दल तथा हमारे विशेषज्ञों द्वारा किये गये प्रयासों के परिणाम जानना चाहेगी।

जैसाकि सभा को ज्ञात है परिचालन सम्बन्धी कठिनाईयों के परिणामस्वरूप उत्पादन में बाधा पड़ी थी और मिट्टी का तेल साफ करने वाला एकक बन्द हो गया था। वर्ष १९६२ में मिट्टी के तेल के एकक को चलाते समय मुख्य समस्या यह सामने आई कि कई स्थानों पर बहुत अधिक

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अलगेशन]

संक्षारण हो गया था । यह पहली बार कैम्प्रैसर्स में तब पाया गया जब मई १९६२ में एकक चालू किया गया । बाद में, जुलाई और अगस्त १९६२ में संक्षारण प्रासेस स्तम्भों में मालूम पड़ा । कई एक फेर बदल किये गये और यह एकक नवम्बर-दिसम्बर, १९६२ तक ठीक ढंग से चलता रहा परन्तु कुछ परिचालन सम्बन्धी कारणों से इसे बन्द करना पड़ा । जब यह जनवरी १९६३ के अन्त में फिर चालू किया गया कम्प्रैसर्स में बहुत अधिक कठिनाईयां पेश आईं । इस कालावधि में मुख्य कठिनाई पानी की मात्रा को एस० ओ० २ तक बनाये रखने, यानी सलफर-डायक्साईड को ०·०८ प्रतिशत की अनुज्ञेय सीमा तक बनाये रखने, संबंधी हुई । यह ०·०६ से ०·२५ प्रतिशत के बीच में रही और उस का कारण फ्रैकशनिंग स्तम्भ (सुखाने वाले स्तम्भ) का ठीक प्रकार से काम न करना था जिस का काम जल को एस० ओ० २ से अलग करना था । एकक के भाप पुनः वाष्पित्रों में अधिक अत्यधिक संक्षारण एस० ओ० २ में जल की अधिक मात्रा के कारण हुआ । इस के परिणामस्वरूप जल की मात्रा बढ़ती गयी और संक्षारण भी बढ़ता गया । कम्प्रैसर्स पर भी इस का बहुत प्रभाव पड़ा ।

सुखाने वाले स्तम्भ में सुखाने की प्रणाली की कुशलता को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ मार्च १९६३ में काफी फेर बदल किये गये । अगस्त १९६३ में जब बड़े पैमाने पर पुनर्नवन किया गया तो एकक के प्रत्येक भाग को खोला गया, उस का निरीक्षण किया गया और साफ किया गया और प्रत्येक बिगड़ी मशीनरी को या तो ठीक किया गया या रूमानिया से प्राप्त नया सामान लगाया गया । दो कम्प्रैसर्स का पूर्णतया पुनर्नवन किया गया । इस बड़े पैमाने पर किये गये पुनर्नवन के पश्चात ही सुखाने वाले स्तम्भ का समुचित टैस्ट हुआ और २५ अगस्त, १९६३ को मिट्टी के तेल का एकक चाल किया गया ।

जब मिट्टी के तेल के एकक को पुनः चालू किया गया तो एस० ओ० २ की जल की मात्रा वांछनीय लैवल तक बराबर रखी जा रही थी और जल की सुखाई स्तम्भ से निरन्तर और कुशलता पूर्वक सुखाया जा रहा था । यह बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि एकक सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है और कम्प्रैसर्स सन्तोषजनक ढंग से काम कर पाये हैं । यह सुनिश्चित करने के लिये कि यह एकक हर प्रकार ठीक काम करे कदम उठाये गये है । विशेषतया हाल ही के पुनर्नवन के समय रूमानियन विशेषज्ञों ने अपने नेता के नेतृत्व में, जो रूमानिया सरकार के तेल उपमंत्री हैं, काफी सहायता की । उन्हों ने स्वयं अपने पैसे से जिन अतिरिक्त भागों की आवश्यकता थी उन के सम्भरण का भी प्रबन्ध किया ।

अगस्त १९६३ से उत्पादन बढ़ने लगा और स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त प्रत्येक दिन औसत ४४ रेल टैंक वैगन भेजे गये । सितम्बर के आरम्भ से शोधनशाला की वैगन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रेलवे ने विशिष्ट प्रयास किये हैं । प्रति दिन ६६ वैगन तक भेजे जाते हैं । इस मास के प्रथम दो सप्ताहों में २०,००० टन से ऊपर माल भेजा गया ।

उत्पादन बढ़ने से और मिट्टी का तेल साफ करने के एकक के पुनः चालू करने से गौहाटी शोधनशाला अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार ही काम कर रही है, जो २२५० टन प्रति दिन है । मैं सहर्ष

सभा को विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में यह शोधनशाला सन्तोषजनक ढंग से काम करेगी और अधिकतम अपेक्षाओं के अनुसार उत्पाद उपलब्ध होंगे ।

सरकारी आश्वासनों के बारे में

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : युद्ध सामग्री के चोरी होने, सीमा पर धावे तथा अन्य विषयों के बारे में एक आश्वासन आज दिया गया है और कुछ पहले भी दिये गये थे । मेरा सुझाव है कि आप प्रतिरक्षा मंत्रालय के साथ साथ अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों को निदेश दें कि ज्योंही उन्हें सूचना प्राप्त हो वह आप को अपनी प्रतिक्रियायें भेज दें ताकि आप आवश्यक सूचना सदस्यों को समय पर दे सकें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर विचार करूंगा ।

नेफा जांच के बारे में चर्चा तथा "हमारी प्रतिरक्षा तैयारी" के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा २ सितम्बर, १९६३ को प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे गये नेफा जांच तथा श्री भक्त दर्शन और श्री रघुनाथ सिंह के प्रस्ताव सम्बन्धी वक्तव्य पर अग्रेतर विचार करेगी । ४ घंटे और ४५ मिनट का समय शेष है ।

†**श्री नाथपाई** (राजापुर) : यह विषय चूंकि अधिक गम्भीर है इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस पर वाद-विवाद के लिये और अधिक समय निर्धारित किया जाय । सभा की भी यही इच्छा प्रतीत होती है ।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : विषय सूची में सरकारी क्षेत्र उपक्रमों सम्बन्धी प्रस्ताव और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा विषयों को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कल हम इन विषयों को ले सकेंगे और शेष विषय सोमवार को लिये जायेंगे अथवा नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सोमवार बैठने का तो प्रश्न ही नहीं है । सभा ने निश्चय किया था कि हम शनिवार बैठेंगे । इसलिये जिन विषयों पर चर्चा करना सम्भव होगा उन पर चर्चा की जायेगी ।

†**श्री दाजी** : यदि सभा चाहे तो एक दिन हम और बैठ सकते है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब एक दिन के लिए सत्र को बढ़ाना सम्भव नहीं है । बहुत से सदस्य प्रबन्ध कर चुके होंगे और उन को असुविधा होगी ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता–दक्षिण पश्चिम) : मेरा अनुरोध है कि नेफा जांच के लिये समय इस प्रकार निर्धारित किया जाय कि इस पर चर्चा समय पर समाप्त हो सके और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सम्बन्धी प्रस्ताव कम से कम प्रस्तुत अवश्य कर दिया जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर विचार करूंगा । कल एक प्रस्ताव किया गया था और एक अन्य अभ्यावेदन किया गया है कि आज इस वाद-विवाद को निर्बाध रूप से जारी रखा जाय और गैर-

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

सरकारी सदस्यों के कार्य को कल लिया जाय । श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने भी आपत्ति की थी कि सत्र कभी कभी शुक्रवार को स्थगित हो जाता है और इस तरह गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य रह जाता है । यदि सभा की यह इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि इस को एक प्रथा नहीं बनाया जायगा । मुझे खेद है कि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती इस समय उपस्थित नहीं हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य क्या आज लिया जायगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां ।

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** (बिजनौर): अध्यक्ष महोदय, कल मैं अपने भाषण के पूर्वार्द्ध में सैनिक गुप्तचर विभाग की चर्चा कर रहा था और मैं ने अपनी चर्चा के क्रम में यह संकेत किया था कि युद्धों में सैनिक गुप्तचर विभाग का एक अपना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है । इस संबंध में मैं ने एक उदाहरण भी दिया था कि द्वितीय महायुद्ध में सैनिक गुप्तचर विभाग ने किस तरह फ्रांस से होकर इंग्लेंड की ओर बढ़ रही युद्ध की काली घटाओं का मुंह रूस की ओर मोड़ दिया था ।

लेकिन हमारे देश में इस विभाग की ओर अपेक्षित सावधानी नहीं बरती गई । जब कि इस विषय में चीन बहुत सतर्क था । उस ने हमारे देश में हमारे रहस्यों का पता लगाने के लिये तरह-तरह से प्रयत्न किया है । पिछले दस बारह बरसों से कहीं भेड़ चराने वालों की शक्ल में, कहीं भीख मांगने वालों की शक्ल में, कहीं रेस्टोरेंट और बैंक चलाने वालों की शक्ल में, और कहीं राजनीतिज्ञों की भी शक्ल में उसने अपने गुप्तचर हमारे रहस्यों का पता लगाने के लिए रखे हुये हैं ।

मेरी जानकारी में कुछ और बातें भी आई हैं, जब कि हमारा गुप्तचर विभाग इतनी असावधानी के साथ कार्य कर रहा है, चीन के गुप्तचर विभाग ने किस प्रकार सावधानी के साथ पग उठाए हैं । अभी पाकिस्तान द्वारा हमारे कुछ हवाई रहस्यों का पता लगाने का प्रयत्न किया गया, जिस में एक भारतीय व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ । मुझे पता चला है कि अब से कुछ दिन पहले ब्रिटेन, अमरीका और भारत के संयुक्त हवाई अभ्यास की जो बात चल रही थी, उसके लिए जो एक नक्शा तैयार किया गया था, हमारे किन्हीं जिम्मेदार सरकारी दफ्तरों से वह नक्शा हटाया गया और दिल्ली स्थित एक विदेशी दूतावास में ले जा कर उस नक्शे के फ़ोटो लिये गए और फिर फ़ोटो लेने के बाद उस नक्शे को जहां का तहां रख दिया गया । वहां जो व्यक्ति फ़ोटोग्राफर था, वह एक भारतीय था । उसने अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुये अपने देश की सरकार तक वह बात बताई पहुंचाई, जिस का दुष्परिणाम उसको इस रूप में भुगतना पड़ा कि उस को उस दूतावास की फ़ोटोग्राफ्स सर्विस से हटा दिया गया । परन्तु क्या हमारे लिए यह चिन्ता का विषय नहीं है कि इतने गुप्त रहस्य हमारे दफ्तरों से ग़ायब कर दिये जायें और इतने महत्वपूर्ण नक्शों का फ़ोटो ले कर उनको ज्यों का त्यों वहां रख दिया जाय ? इससे पता लगता है कि हमारे देश में चीन का गुप्तचर विभाग कितना सक्रिय है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरी यह भी जानकारी है कि हमारे गुप्त रहस्यों को प्रकट करने में शराब भी एक बहुत बड़ी सहायक हो रही है। कुछ ऊंचे अधिकारी और ऊंचे अफ़सर सायंकाल क्लबों में जा कर शराब पीते हैं। उन की इस आदत का लाभ उठा कर उन को शराब पिला कर मस्त कर दिया जाता है, जिस के बाद वे अपने रहस्यों को उगल देते हैं। मैं चाहता हूं कि कम से कम संकट-काल में तो इस बात पर अवश्य प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिये कि जिन अफ़सरों का सेना से सीधा सम्बन्ध है, या जो इस प्रकार के गुप्त रहस्यों से सम्बन्धित ऊंचे अफ़सर हैं, वे क्लबों में जा कर शराब न पीयें, ताकि हमारे रहस्य बाहर प्रकट न हों।

उदाहरण देते हुए दुःख होता है कि सेला क्षेत्र में हमारे गुप्तचर विभाग की निष्क्रियता का इतना दुष्परिणाम हुआ कि हम को ब्रिगेडियर होश्यार सिंह जैसे उच्च सेनाधिकारी को अपने हाथों से खोना पड़ा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी है कि संरक्षण मंत्री ने अपने वक्तव्य में इस बात का आश्वासन दिया है कि अब वह इस विभाग की देख-रेख स्वयं कर रहे हैं। यह देश के लिए संतोष की बात है, लेकिन क्या म नम्रता से यह पूछ सकता हूं कि इस डी० एम० आई० जिस की उपेक्षा के कारण देश को इस प्रकार से लज्जित होना पड़ा और नेफ़ा में पराजय का मुंह देखना पड़ा, क्या वहां डायरेक्टर से लेकर नीचे तक किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया गया है? और क्या मैं संरक्षण मंत्री से यह भी जान सकता हूं कि क्या डायरेक्टर आफ़ मिलिटरी इन्टेलीजेंस के विभाग में अभी तक यह स्थिति है कि सीक्रेट डाकुमेंटरी का अनुवाद करने के लिए कोई भारतीय अधिकारी न हो कर चीनी अधिकारी वहां पर नियुक्त हैं? क्या मैं संरक्षण मंत्री से यह भी पूछ सकता हूं कि हमारे यहां यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में चीनी भाषा से सम्बन्धित नौकरियों के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए जो विशेषज्ञ शान्ति-निकेतन से आमंत्रित किया जाता है, वह वही व्यक्ति है, जिस का एक लड़का चीनी आर्मी में एक बड़ा ऊंचा आफिसर है और क्या वह वही व्यक्ति है, जिस के सम्बन्ध में गृह-मंत्रालय में यह रिपोर्ट है कि उस को पीकिंग से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है? यदि यह बात सत्य है तो मैं कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं भारतीय बालकों को हांगकांग में, फार्मूसा में, अमरीका या जहां कहीं भी चीनी भाषा अच्छी तरह से सिखाई जाती हो, वहां भेज कर शिक्षित किया जाता। इस प्रकार की बातों के लिये चीनी नागरिकों पर, हम क्यों निर्भर कर रहे हैं?

संरक्षण मंत्री ने अपनी रक्षा संबंधी तैयारियों के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया है, उस से भी देश को सन्तोष की सांस लेने का मौका मिला है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि वर्दी, बूट, हथियार, सड़क, हवाई अड्डे इत्यादि सब की उपयुक्त व्यवस्था की जा रही है। इस से यह ध्वनि तो अवश्य निकलती है कि देश के कुछ पहले जो यह शिकायत की थी कि बर्फ के बूट उन के पास नहीं थे, गर्म कपड़े उन के पास नहीं थे, सही थी। अब सरकार उन सब की व्यवस्था कर रही है। पर मैं तो इस से भी आगे बढ़ कर कहना चाहता हूं कि सेना के जो बड़े अधिकारी हैं, उन के मस्तिष्कों का भारतीयकरण भी आप अवश्य करें। इस बात को मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं केवल संकेत रूप में ही कहता हूं कि उन के मस्तिष्कों का भारतीयकरण होना बहुत जरूरी है। एक बात यह भी है कि फौज और सेना के उच्च अधिकारियों के बीच में जो एक लम्बी खाई खुद गई है, उसको भी पाटने का यत्न रक्षा सम्बन्धी तैयारियों में सम्मिलित कर लिया जाए। अंग्रेज़ मिलिट्री आफिसर्स अपने जवानों के साथ मिल कर फुटबाल खेलते थे, दूसरे खेल खेलते थे और जब कर्तव्य पर डटने का समय होता था तो कर्तव्य का

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

पालन भी करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में इस पद्धति का पालन नहीं किया जा रहा है ।

पर रक्षा सम्बन्धी तैयारियों में इन सब से भी बड़ी तैयारी एक और है जो सब से पहले होनी जरूरी है । देश के असैनिक राजनीतिक नेता जो सेना की गतिविधियों का संचालन करते हैं, या फिर—जिन के कन्धों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी जिम्मेवारी है, रक्षा सम्बन्धी तैयारियों के लिये आवश्यक है कि उन के मन और उन के कान जरूर मजबूत किए जाएं। इस बात को मैं अपनी ओर से न कह कर भारतीय राजनीति के कुशल नेता और जो बरसों तक यहां प्रधान मंत्री की बगल में बैठकर शिक्षा मंत्री का पद सम्भाल चुके हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन के शब्दों में ही कहना चाहता हूं । उन्होंने अपनी पुस्तक "इंडिया बिन्ज़ फ्रीडम" में इसकी चर्चा की है । उन्होंने लिखा है कि प्रधान मंत्री के कानों के कच्चेपन का लाभ उठा कर कृष्णमेनन किस तरह से उनको गुमराह करता रहा है । मौलाना ने यह भी लिखा है कि वह और सरदार पटेल दोनों बहुत सी बातों तक पर एक मत नहीं हो पाते थे लेकिन इस विषय में उनकी और सरदार पटेल की एक राय थी कि मेनन एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रधान मंत्री को गुमराह करता है रक्षा संबंधी तैयारियों में इस बात को अवश्य सम्मिलित कर लिया जाना चाहिये ।

अब मैं रक्षा साधन उत्पादन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । आज तक हमारे रक्षा उत्पादन के साथ किस तरह से शर्मनाक खिलवाड़ होती रही है, उसका एक उदाहरण भी मैं देना चाहता हूं । इसका परिचय एक प्रश्न से मिल जाता है जो मैं आपको सुनाता चाहता हूं । २५-२-१९६३ को रक्षा उत्पादन मंत्री श्री रघुरमैया से पूछा गया था ईसापुर की राइफल फैक्ट्री के बारे में कि वहां राइफल बनाने का क्या अनुपात रहा है । रक्षा साधन उत्पादन मंत्री ने अपने उत्तर में कहा था कि ईशापुर की राइफल फैक्ट्री में फौज की पक्की मांग पर राइफल बनाये जाते हैं और फौज की ओर से वहां कोई मांग नही आई थी इसलिए १९५५ से इस फैक्ट्री में राइफल बनाने का काम स्थगित रहा । अब लड़ाई आरम्भ होने पर वह शुरू किया गया है । पर इसकी जगह बनता क्या रहा है, प्रश्न के उत्तर में यह भी बताया गया है । रेल गाड़ी के डिब्बों को खोलने की लोहे की चाबियां तैयार होती रहीं हैं, स्प्रिंग तैयार होते रहे हैं और भी दूसरी तरह की सामग्री तैयार होती रही है । क्या हमारे लिये यह कोई शोभा की बात थी ? क्या संरक्षण मंत्री को यह जानकारी है कि देहरादून की एम्यूनिशन फैक्ट्री में फोटो एनलार्जर तैयार किये जाते रहे हैं जब कि दुश्मन अपने कारखानों में धड़ाधड़ शस्त्र तैयार कर रहा था । तब जो प्रतिरक्षा मंत्री थे जब उनसे यह पूछा जाता था कि आप बतायें कि हमारी तैयारियों का क्या हाल है तो जो उत्तर उनका उस समय होता था, उसको मैं उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूं । राज्य सभा में २६ अप्रैल को, डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर एक वक्तव्य देते हुए उस समय के प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा था :—

> "यदि वास्तव में ही गंभीर स्वरूप का आपात काल हो तो अनुमान है कि हमें प्रतिरक्षा उत्पादन दस गुना बढ़ाना होगा ।"

अभी संरक्षण मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है उस में तो उन्होंने कहा है कि उत्पादन दुगुना कर दिया गया है। पर पहले प्रतिरक्षा मंत्री का कहना यह था कि अगर सीरियस कैरेक्टर की एमरजेंसी

आएगी तो दस गुना इसको बढ़ा दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें वास्तविकता क्या थी ? वह बाकी आठगुना कहां गया ?

मेरी जानकारी में यह भी है कि जिस समय अमरीका में हमारे तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री एक बार गए तो हमारे कुछ हित चिन्तकों ने उन से पूछा कि आप बतायें कि आपके डिफेंस प्रोडक्शन का क्या हाल है तो गुस्से में आ कर उन्होंने कह दिया कि आप परवाह मत कीजिए, अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो हम कोई पोस्ट कार्ड या कोई टेलीग्राम आपके मिलिट्री हैडक्वार्टर्स में नहीं भेजेंगे। जब इन बातों की याद आती है तो कभी कभी मन इतना तिलमिलाता है और जी चाहता है कि इस षड़यंत्र के घड़े को चौराहे पर रख करके फोड़ा जाये लेकिन जब यह खयाल आता है कि अगर इन सारी बातों की चर्चा होने लगी और देश का ध्यान सीमाओं से हट गया और कोई चोट दुबारा लग गई तो नेफा की पहाड़ियों पर लगे खून के गीले छींटे हमें क्या कहेंगे, ब्रिगेडियर होशियार सिंह और मेजर शैतान सिंह की आत्मा क्या हमसे पूछेगी, और क्या जवाब देंगे उन हजारों विधवा बहनों को जिन्होंने अपने सुहाग चिह्नों—मंगल-सूत्रों—को उतार करके राष्ट्रीय रक्षाकोष में प्रधान मंत्री की झोली में डाल दिया था। जब इन बातों को सोचकर कि किसी बात से शत्रु को लाभ न पहुंचे, जब यह खयाल आता है तो मन मसोस कर रह जाते हैं।

पर दुःख के साथ कहना पड़ता है कि प्रधान मंत्री भी तथ्यों को छिपाते रहे हैं। उन्होंने आटोमैटिक राइफल्ज के सम्बन्ध में कहा था कि वे इंग्लैंड के पास भी अभी तक नहीं थीं, इंग्लैंड की फौज को भी अभी हाल में आटोमैटिक राइफल्ज दी गई हैं। लेकिन अध्यक्ष जी ! इंग्लैंड की स्थिति में और भारत की स्थिति में बड़ा अन्तर है। इंग्लैंड पर अगर आपत्ति आ सकती है तो समुद्र के रास्ते या हवाई रास्ते से आ सकती है। इसलिये उसने आधुनिकतम जिन शस्त्रों का आविष्कार किया है उनमें हवाई और समुद्री शस्त्रों के आविष्कार को प्राथमिकता दी है पर हमारी जैसी स्थिति वाले जो देश हैं, जैसे फ्रांस है, युगोस्लाविया है, जर्मनी है, मिश्र है, उनको देखें कि कितने बरस पहले उन्होंने अपनी मिलिट्री को ये आटोमैटिक राइफल्ज आदि दे दी थीं। अपनी भूल छिपाने के लिये इस प्रकार की बात करते हैं कि इंग्लैण्ड में आटोमैटिक राइफल्ज भी कल दी गई हैं। मुझे खुशी है कि संरक्षण मंत्री ने यह कहा है कि हम अपनी रक्षा के लिए शस्त्र भी लेंगे बाहर से और फैक्ट्रीज भी उनकी सहायता ले कर स्थापित करेंगे। लेकिन संरक्षण मंत्री जी! बाल्मीकी ने अपनी रामायण में लिखा है "शुभस्य शीघ्रम्" शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिये। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि संसद में आपका वक्तव्य होने के बाद से बहुत से लोगों के पेट मे दर्द शुरू हो गया है और बहुत सम्भव है कि वे आपके कानों में भी आ कर फुसफुसायें और कहें कि नहीं, अमुक देश से हथियार लेना हमें सस्ता पड़ेगा, अमुक देश से हथियार लेने से काश्मीर की समस्या के समाधान में आसानी हो जाएगी, उस देश से अगर हम हथियार प्राप्त करेंगे तो बहुत संभव है कि चीन से उनकी सहानुभूति हट कर हमारी ओर हो जाए। इसलिये ऐसी बातों में आ कर आपका मन कहीं हिल न जाये। इस समय आपको बड़े दृढ़ रहने की आवश्यकता होगी क्योंकि पीछे इन्हीं भूलों के दुष्परिणाम हम भुगत चुके हैं।

एक बात मैं मिग फैक्ट्री के सम्बध में कहना चाहता हूं। जो भारत में लगने जा रही है। यह सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसका आधा हिस्सा तो लगेगा महाराष्ट्र में और आधा हिस्सा लगेगा उड़ीसा में, ढांचा तो तैयार होगा नासिक में और इंजिन तैयार होगा उड़ीसा में।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

कहीं यह भी कोई राजनीतिक निर्णय तो नहीं है जो इस तरह से इसको भी दो हिस्सों में बांट दिया गया है। आप इस सारी फैक्ट्री को नासिक में ही क्यों न स्थापित कर दें, इंजिन और बाडी दोनों वहीं बनें क्योंकि आपस में अगर कोई भेद होगा, तो उसको वहीं दूर किया जा सकेगा। महाराष्ट्र से जब उड़ीसा पहुंचना पड़ेगा तो कितना चक्कर काट कर जाना पड़ेगा? यहां अगर आप चाहें तो उड़ीसा में एक और फैक्ट्री खोल दें। इस में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। एक ही विमान का एक हिस्सा एक स्थान पर और दूसरे दूसरा स्थान पर बने यह बुद्धिमत्ता की बात मालूम नहीं पड़ती है।

जांच विधि के सम्बन्ध में एक बात और मैं कहना चाहता हूं। जिस जांच के आधार पर आपका यह संक्षिप्त वक्तव्य हुआ है, वह जांच क्यों की गई थी, इसको भी मैं बतलाना चाहता हूं। एक वक्तव्य प्रधान मंत्री जी ने नवम्बर, १९६२ में राज्य सभा में दिया था और उस वक्तव्य में प्रधान मंत्री ने जो शब्द कहे थे, वे उन्हीं के शब्दों में सुनाना चाहता हूं। सबसे पहली बार उन्होंने इस सम्बन्ध में कहा था :—

> "२० अक्तूबर और उसके बाद खास तौर से जो घटनायें घटी हैं और हमारी जो पराजय हुई है, उससे हम सबको बहुत धक्का लगा है। मुझे उम्मीद है कि इस बात की जांच होगी ....

और फिर प्रधान मंत्री जी ने आगे कहा :

> "जिससे यह पता लग सके कि क्या क्या गलतियां की गई और कौन उसके लिए जिम्मेदार हैं।"

यह प्रधान मंत्री जी का अपना ही वक्तव्य है जो उन्होंने राज्य सभा में दिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको यह खयाल आया होगा कि कौन उसके लिये जिम्मेदार हैं, अगर यह बात भी सामने आ गई तो बहुत संभव है कि वह आंच मेरे सहयोगी तक और मुझ तक भी पहुंच न जाये, इसलिये झट उन्होंने अपनी बात बदल कर ३१ दिसम्बर, ६२ को एक दूसरा वक्तव्य दे दिया कि जांच का उद्देश्य भविष्य में मार्ग दर्शन के लिये एक प्रकार का सैनिक मूल्यांकन करना होगा। जो पहले यह कह रहे थे कि पता लगायेंगे कौन उसके लिए जिम्मेदार था, वह ही ३१ दिसम्बर, को वक्तव्य देते हैं जो सर्वथा भिन्न होता है और दुःख की बात तो यह है कि संरक्षण मंत्री ने भी उसी पद्धति का अनुसरण करते हुए १६ मार्च को लोक सभा में यह कहा कि सरकार ने यह निर्णय नहीं किया है कि निर्देश पदों को भी प्रकट किया जाए या नहीं। उन्होंने इस बात को फिर दोहराया, कि यह जांच केवल एक सैनिक मूल्यांकन होगी और लोगों को दण्ड देने की नीयत से नहीं की जा रही है। यह उन्होंने कहा। लेकिन फिर जब उन पदों का निर्देश आगे चल कर किया गया तो वह स्पष्ट था। संरक्षण मंत्री की आत्मा में शायद यह बात चुभी होगी कि क्यों इस देशद्रोह के रहस्य को दबा कर रखा जाए, इसलिये उन्होंने पहली अप्रैल को फिर एक वक्तव्य दिया कि कुछ सैनिक अफसरों के खिलाफ यदि आरोप सिद्ध हो जायेंगे तो सरकार उन के विरुद्ध कार्यवाही भी करेगी। लेकिन अब यह जो जांच रिपोर्ट पर वक्तव्य उन्होंने दिया है, इससे प्रतीत होता है कि वह बात बिलकुल ही हटा दी गई है। मैं समझता हूं कि शायद संरक्षण मंत्री ने इस भाग को जो हटाया उसका कारण यह भी हो सकता है कि यह वक्तव्य पहली अप्रैल को दिया गया था, इसलिये उस वक्तव्य की कोई खास जिम्मेवारी नहीं है .....

अध्यक्ष महोदय : क्या शास्त्री जी भी पहली अप्रैल को मानते हैं ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उनका वह वक्तव्य अंग्रेजी में था और अंग्रेज़ पहली अप्रैल को मानते हैं। इसलिये मुझे उसका उद्धरण देना पड़ा है। पर इस पर जो विशेष बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि संरक्षण मन्त्री ने इस सारी रिपोर्ट को हाउस के सामने रखने में एक कठिनाई यह प्रकट की है कि सुरक्षा सम्बन्धी हमारी तैयारियों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और हमारे कुछ रहस्य दूसरों को भी पता लग जायेंगे। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कहीं और यह घटना नहीं घटी और क्या उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट को प्रकट नहीं किया ? उदाहरण के लिये अमरीका में। जिस समय मैकआर्थर पद्च्युत किया गया था उस समय जो जांच हुई थी उसकी सारी कार्यवाही न्यूयार्क टाइम्स में प्रकाशित की गई थी, और फिर उसे ऐसे वक्त में प्रकाशित किया गया था जब कोरिया की लड़ाई चल रही थी और उसके बाद भी दो साल तक वह लड़ाई चलती रही। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका हमारी सुरक्षा तैयारियों पर असर पड़ेगा, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

लेकिन मैं इस से भी आगे बढ़ कर एक बात और पूछना चाहता हूं। जैसी यह जांच रिपोर्ट है, आप सच्चाई के साथ बतलाइये कि क्या ईस्टर्न कमान्ड ने भी कोई ऐसी जांच की थी? अगर ईस्टर्न कमान्ड की ओर से जांच हुई थी तो उसमें किस-किस व्यक्ति पर दोष लगाये गये थे, और किस-किस व्यक्ति को वहां पर जिम्मेदार बतलाया गया था ? यह भी आप जरूर बतलायें। मैं अपनी कल की बात को दोहराते हुए आज फिर इस बात पर बल देना चाहता हूं कि केवल सेना के अधिकारियों की ही जांच न कराई जाय, असैनिक राजनीतिक नेता जो उस समय सेना के संचालक बने हुए थे उनकी भी अवश्य जांच कराई जाय। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री भी मेरी इस बात का स्वागत करेंगे क्योंकि कई बार उन्होंने इस सदन में कहा है कि गलती किसी की भी हो, वह छिपाई नहीं जानी चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसमें यह पता लगाया जाये कि जिस समय सेना की ओर से सड़कें आदि बनाने का सुझाव आया था तो किस की ओर से यह निर्देश दिया गया था कि सड़कें बनाने की कोई जरूरत नहीं, उस पर बहुत खर्च होगा और कोई लाभ भी नहीं होगा ? एक ओर तो ब्रिटिश आर्मी का वह तरीका है कि उन्होंने पैशावर से जमरुद तक रेल की सड़क बनाई इस लिये कि कभी वजीरिस्तान पर मिलिटरी न भेजनी पड़ जाये, दूसरी ओर सड़क बनाने से आमदनी नहीं होगी और खर्च अधिक होगा यह सोचते रहे। वह रेलवे लाइन सदा घाट में रही पर उसे चलाये रखा। इसी प्रकार हथियार बाहर से बिल्कुल न मंगाये जायें, देश में जितनी हथियारों की फैक्ट्रियां हैं, वे भी आराम से काम करें, आदि आदि निर्देश दे रखे थे। पर यह निर्णय सैनिक निर्णय थे या राजनीतिक निर्णय थे, इन सारी बातों का पता लगाया जाना चाहिये। मेरा तो अपना कहना इस सम्बन्ध में यह भी है कि १२ अक्तूबर को लंका जाते हुए प्रधान मंत्री ने जो हवाई अड्डे पर यह कहा था कि मैंने अपनी फौजों को आदेश दे दिया है कि जो चीनी फौज हिन्दुस्तान की सीमा में घुस कर चली आई हैं उन्हें निकाल बाहर कर दिया जाय, इस बात की भी जांच होनी चाहिये। प्रधान मंत्री यह कहते हैं कि आर्मी आफिसर्स से पूछ कर राय दी गई, लेकिन उस समय के प्रतिरक्षा मंत्री क्या कहते हैं? अभी अविश्वास प्रस्ताव पर उनका जो भाषण हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि लड़ाई लड़ने के लिये क्या सेना से पूछा जाता है ? उस आदेश के सम्बन्ध में प्रधान मत्री का और प्रतिरक्षा मंत्री का आपस में विरोध है। इसलिये यह बात जांच की आवश्यकता रखती है।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

मेरी राय यह है कि असैनिक राजनीतिज्ञों की जांच करने के लिये जो कमेटी बनाई जाय उसमें कोई भूतपूर्व कमान्डर इन चीफ, जनरल करिअप्पा या जनरल थिमैया जैसा आदमी, जरूर रहना चाहिये जिसे पता लगे कि इस आदेश में देने में किस का क्या सम्बन्ध था।

मैं संरक्षण मंत्री को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने नेफा की जांच पर इतना यथा शक्ति स्पष्ट वक्तव्य दिया है। उनका वक्तव्य देखकर ऐसा लगता है कटघरे में बन्द शेर अपनी सीमाओं में जितना उछल सकता है। उन्होंने उतनी उछलने की कोशिश की है। लेकिन सारी रिपोर्ट के सामने न आने से देश में तरह-तरह के सन्देह व्याप्त हैं। राज्य सभा में भी पीछे इस प्रकार की एक मांग की गई थी कि देश के कुछ ऊंचे और निष्पक्ष नेताओं को यह रिपोर्ट दिखला दी जाय और वे अपनी राय इस पर दें। राज्य सभा में इसके लिये श्री गंगाशरण सिंह का नाम प्रस्तुत किया गया। मैं चाहता हूं कि राज्य सभा की ओर से श्री गंगाशरण सिंह और लोक-सभा की ओर से आचार्य कृपालानी, इन दोनों को पूरी रिपोर्ट दिखला दी जाय। अगर यह दोनों व्यक्ति अपना वक्तव्य दे दें कि नहीं, यह रिपोर्ट वास्तव में ऐसी है जिसको प्रकाशित करना देश हित में ठीक नहीं है तो मैं समझता हूं कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

मैं अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुये एक बात यह कहूंगा कि अब तक इस युद्ध में जितने काम हुये हैं वे सारे प्रतिरक्षा के लिये हुये। डिफेंस मिनिस्टर बन कर तत्कालीन मंत्री ने काम किया। लेकिन माओ त्से तुंग की राजनीति यह थी कि लड़ाई लम्बे मोर्चे पर करो, जहां शत्रु का कमजोर मौका देखो, वहां हमला कर दो। लेकिन भारत की युद्ध नीति क्या थी? जहां से हमला हो केवल वही मुकाबला करो, कमजोर हो तो पीछे हटते जाओ या फिर मरते चले जाओ अथवा भागते चले जाओ, यही नीति थी। हमारे सैनिकों ने डिफेंस तो थोड़ा किया, आफेन्स कभी नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आता कि १५०० मील लम्बे मोर्चे पर क्या उनका कोई भी कमजोर स्थान ऐसा नहीं था जहां से हम भी उन पर हमला कर सकते। उससे क्या इस प्रकार की स्थिति हो सकती थी? अब तक जो काम हुआ वह केवल प्रतिरक्षा का काम हुआ, मैं चाहता हूं कि अब हमारे वर्तमान संरक्षण मंत्री प्रतिरक्षा से हटकर दूसरी तरह की ट्रेनिंग भी सैनिकों को दें। जिस काम को अब उन्होंने आरम्भ किया है उसे प्रतिरक्षा नहीं कहा जायेगा, उसको संरक्षण कहा जायेगा। इसीलिये मैंने अपने सारे भाषण में श्री मेनन के लिये प्रतिरक्षा मंत्री शब्द का प्रयोग किया है और श्री चव्हाण के लिये संरक्षण मंत्री शब्द का प्रयोग किया है। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि आप बचाव तो करें ही पर हमला भी जरूर करें। मैं चाहता हूं कि आज के पश्चात् श्री चव्हाण प्रतिरक्षा मंत्री न कहे जायें बल्कि संरक्षण मंत्री कहे जायें। दोनो दृष्टियों से ही इस बात की जरूरत है।

अन्त में इस बात को कह कर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। संरक्षण मत्री जी, देश ने बड़ी नाजुक घड़ियों में अपनी रक्षा की बागडोर आप के हाथों में सौंपी है, और धीरे-धीरे अब वह समय आ रहा है जिसको आपकी भी परीक्षा की घड़ी कहा जायेगा। अब अगर कहीं देश को दुबारा चोट लगी तो देश यह उत्तर सुनने के लिये तैयार नहीं होगा कि हमारे पास हथियार नहीं थे अथवा हमें हमले की पहले से कल्पना नहीं थी? इस उत्तर को देश सहन नहीं करेगा।

मेरा अनुमान यह भी है कि अब की बार जो आक्रमण होगा उसमें आक्रांता देश एक नहीं, दो होंगे। पाकिस्तान के इरादे अभी से खराब हैं। बहुत सभव है कि पाकिस्तान को आगे करके उसकी कमर पर खड़ा होकर चीन हमला करे। यह स्थिति भी आ सकती है। चलते-चलते और एक बात मैं

कहना चाहता हूं कि दिल्ली को पानी में कुछ ऐसा असर है कि बाहर से जो नया आदमी आता है या तो वह अपनी शिष्टतावश अपनी बुद्धि की लगाम दूसरों के हाथ में दे देता है या यदि अधिक अक्लमन्द है तो दूसरों के दिमाग पर हावी होकर उनके मुंह से अपनी बात कहलाने लगता है। अब तक रक्षा कार्य में दूसरी बात ज्यादा होती रही है। एक सीधे सादे मस्तिष्क पर हावी होकर अब तक अपनी बात उसके मुंह से उगलवाई गई है। लेकिन कृपा करके पहली बात जो मैंने कही शिष्टता के नाते से आप भी अपनी बुद्धि की लगाम किसी दूसरे के हाथ में न दे दें। देश की आज बड़ी आवश्यकता है स्वतंत्र निर्णय लेने की। आप देश के प्रति वफादार रहें, व्यक्ति विशेष के प्रति बफादार न रहें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त अनुग्रहीत हूं कि नियम १८९ के अन्तर्गत जिस प्रस्ताव को मैं सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं उसे आपने ग्रहीत किया और स्वीकृत किया। उसकी भाषा इस प्रकार है :

> "यह सभा ९ सितम्बर, १९६३ को प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा 'हमारी प्रतिरक्षा की तैयारी' के बारे में किये गये वक्तव्य पर विचार करती है।"

मैं कल से अपने आदरणीय मित्र श्री प्रकाशवीर शास्त्री के भाषण को बड़े ध्यान से सुनता रहा हूं। उन्होंने अपनी प्रांजल और प्रभावपूर्ण हिन्दी भाषा में अपने विचारों को प्रकट किया है। उनके संबंध में मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी की यह उक्ति याद आती है :

> "जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी।"

नेफा की पराजयों के संबंध में जो प्रतिवेदन हमारे प्रतिरक्षा मंत्री जी ने इस सदन के सामने रखा और उसके बाद ९ सितम्बर को उन्होंने जो जानकारी से भरा हुआ वक्तव्य हमारे सामने प्रस्तुत किया उसको विभिन्न दृष्टिकोणों के लोग अपने-अपने दृष्टिकोण से देखेंगे। जहां तक श्री शास्त्री का संबंध है उनके प्रति व्यक्तिगत आदर रखते हुये मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने भावावेश में आकर जिन कड़े शब्दों का प्रयोग किया उनसे ऐसा मालूम होता है कि कई महीनों से उनके अन्दर जो ज्वालामुखी अन्दर ही अन्दर उबल रहा था उसे एकाएक फूट पड़ने का मौका मिला है। इस वक्तव्य का एक दूसरा पहलू भी है।

मैं तो समझता हूं कि नेफा की पराजयों के बारे में जो जांच कराई गई और जो उसका प्रतिवेदन यहां रक्खा गया वह हमारे देश के इतिहास में एक बड़ी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना है।

मैं सबसे पहले अपने उन उच्च सेनाधिकारियों को हार्दिक बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इन पराजयों की जांच की। क्योंकि जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक मेरा अध्ययन है, उन्होंने बहुत ही निर्भयता और निष्पक्षता के साथ (विदाउट फियर) ऐंड फेवर) बड़ी बारीकी से सारे मामले की छानबीन की। वे स्वयं आज भी सेना के अन्दर अधिकारी हैं, उनका भविष्य प्रतिरक्षा मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी के हाथों में है, फिर भी उन्होंने निष्पक्षता से भरी हुई रिपोर्ट देश के सामने और इस सदन के सामने रखी इसके लिये मैं उनकी हृदय से प्रशंसा करता हूं।

लेकिन श्रीमन्, इससे भी आगे मैं अपने आदरणीय प्रधान मंत्री जी और अपने वर्तमान प्रतिरक्षा मंत्री जी को भी हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, इसलिये कि उन्होंने इस जांच पड़ताल

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

का आदेश देकर के और इस प्रतिवेदन को इस सदन के समक्ष और सारे देश के समक्ष प्रस्तुत करके बहुत ही साहस, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिचय दिया है। एक प्रकार से उन्होंने स्वयं अपने आपका निरीक्षण किया है और यह जानने का प्रयास किया है कि हमारे यहां क्या कमियां थीं, किन कमियों की वजह से हमें पराजय का मुंह देखना पड़ा ताकि उनका हम बारीकी से अध्ययन कर सकें और उन भूलों से लाभ उठायें और भविष्य के लिये ऐसी तैयारियां करें ताकि हमें फिर वह दिन न देखना पड़े। इसलिये, श्रीमन्, जहां मैं अपने प्रधान मंत्री जी और प्रतिरक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं, वहां एक बात उनका एक अनुयायी होने के नाते कहना चाहता हूं।

नेफा संबंधी रिपोर्ट के दो पहलू हैं। एक तो उसका नकारात्मक पहलू है कि हमने जो गलतियां कीं क्या उनके लिये किसी को दंड दिया जा सकता है? शास्त्री जी ने अपने भाषण में प्रतिरक्षा मंत्री के १ अप्रैल के आश्वासन का हवाला देते हुये मजाक उड़ाने का प्रयत्न किया है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रतिरक्षा मंत्री किसी कच्ची मिट्टी के बने हुये नहीं हैं। उन्होंने कुछ ही महीनों के अन्दर अपनी दृढ़ता का पूरा परिचय इस सदन के सामने रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे और हमारे प्रधान मंत्री जी, जिन पर आज भी हमारा अचल और अटल विश्वास है, बारीकी से हर एक चीज का अध्ययन करेंगे और वे उस आश्वासन को पूरा करेंगे। मुझे इसका पूरी तरह से विश्वास है। सदन को मालूम है कि तीन व्यक्तियों पर तो पहले ही कार्रवाई हो चुकी है, आखिर आप गुस्सा अब किस पर निकालना चाहते हैं। हमारे पुराने प्रतिरक्षा मंत्री उसके कारण हटाये गये, चीफ आफ स्टाफ को त्यागपत्र देना पड़ा और कोर कमांडर साहब भी तशरीफ ले गये, और उनकी जगह दूसरी नियुक्तियां की गयीं। इस प्रकार तीन व्यक्ति जिनका मुख्यतः इससे संबंध था उनके हाथों से सत्ता ले ली गयी। इसके बाद जो उनके नीचे.....

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : जो और अपराधी हों उनको भी हटना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्री रामेश्वरानन्द : विषयान्तर।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको समय दूंगा।

एक माननीय सदस्य : तपस्या कीजिये तपस्या।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस तरह से यह बहस चलेगी। अगर इस तरह की आवाजें इधर से या उधर से आयेंगी तो मैं नहीं इस कार्रवाई को चला सकता।

स्वामी जी, आप विषयान्तर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कहिये।

श्री रामेश्वरानन्द : जो अभी शास्त्री जी ने वक्तव्य दिया उसके संबंध में आलोचना की जा रही है। मैं कहता हूं कि अगर छोटा राज्य कर्मचारी अपराध करता है तो उसको जेल में बन्द किया जाता है। लेकिन अगर कोई बड़ा राज्य कर्मचारी अपराध करे तो उसको तो उससे भी ज्यादा दंड दिया जाना चाहिये क्योंकि उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप भाषण दे रहे हैं?

श्री रामेश्वरानन्द : मैं समाप्त करता हूं । मैं कहता हूं कि अगर कोई आदमी रेल में शराब पीकर बैठता है, तो वह केवल अपना ही नुकसान करता है लेकिन अगर ड्राइवर शराब पीकर चले तो वह सारी रेल को ही चौपट करेगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, मैं बड़ी विनिम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हमको अपने प्रधान मंत्री जी और अपने प्रतिरक्षा मंत्री जी के हाथों को मजबूत करना है । हम अपराधियों को दंड दिलाने के पक्ष में हैं, कम से कम मैं बड़ी नम्रता और दृढ़ता से यह कहना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रतिरक्षा मंत्री जी और हमारे प्रधान मंत्री जी, जिनको भी दोषी पाया जायेगा, उनको अवश्य दंड देंगे । पर मैं यह भी विश्वास रखता हूं, और हमारे सदन का भी यह दृष्टिकोण होना चाहिये, कि हम इस अवसर पर अपने नेताओं के हाथों को कमजोर न करें, जबकि हमको चीन का मुकाबला दृढ़ता से करना है, और इस काम के लिये सारा देश उनके पीछे है । एक ओर अगर हम उनकी टांगे खींचें और दूसरी ओर कहें कि इस कार्य को करो, तो ये दोनों परस्पर विरोधी बातें नहीं चल सकतीं ।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन का एक रचनात्मक (पाजिटिव) पहलू भी है और वह यह है कि हमने अपनी गलतियों के आधार पर आगे के लिये क्या प्रोग्राम बनाया है। हमारे प्रतिरक्षा मंत्री जी ने ९ सितम्बर को जो वक्तव्य इस सदन के सम्मुख रखा वह बहुत स्पष्ट और जानकारी से भरा हुआ है । उन्होंने एक बड़ी कमी की पूर्ति की है । उन्होंने सब से पहली बार इस सदन को और इस देश को अपने विश्वास में लिया है। उन्होंने यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि विभिन्न दिशाओं में सरकार जनता के सहयोग से देश की रक्षा के लिये क्या-क्या तैयारियां कर रही है । इसके लिये मैं अपने प्रतिरक्षा मंत्री जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं ।

इतना कहने के बाद मुझे प्रतिरक्ष मंत्री जी क्षमा करेंगे यदि मैं कुछ रचनात्मक सुझाव उनके सामने रखने का साहस करूं । उन्होंने अपने वक्तव्य में एक महत्वपूर्ण बात कही है कि हम अपनी सेना को बढ़ा रहे हैं और इसके लिये वह ६ पर्वतीय डिवीजन बनाने की तैयारियां कर रहे हैं । लेकिन मुझे यह जानकर कुछ निराशा हुई कि अभी तक केवल तीन डिवीजन ही बन पाये हैं और तीन के लिये तैयारियां की जा रही हैं । अभी कुछ समय पहले समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि तीन और डिवीजनों की तैयारी की जा रही है और उनके लिये विदेशों से शस्त्रास्त्र लाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । मैं प्रतिरक्षा मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह जो तीन डिवीजनों का समाचार निकला है ये उन ६ डिवीजनों में से तीन हैं या उनके अतिरिक्त तीन और डिवीजन बनाये जायेंगे । अर्थात् मैं जानना चाहता हूं कि कुल ९ डिवीजन बनाये जायेंगे या ६ ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी विवरण में बताया गया है जो एक हाई आल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल है उसमें सैनिकों की संख्या दुगनी कर दी गयी है । यह उत्साहवर्धक बात है, लेकिन लद्दाख से लेकर नेफा तक जो हमारी ढाई हजार मील लम्बी सीमा है और जिसकी रक्षा के लिये हम सात, आठ, नौ डिवीजन तैयार कर रहे हैं, मेरा अपना अनुमान है कि इस अवस्था में एक ट्रेनिंग स्कल से काम नहीं चल सकता । इसके लिये तो हर क्षेत्र में एक-एक नया ट्रेनिंग स्कूल खोलने की आवश्यकता है ताकि सैनिकों को पहाड़ों की लड़ाई का विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा सके ।

सैनिकों की भरती के बारे में माननीय प्रतिरक्षा मंत्री जी ने कहा है कि :

[श्री भक्त दर्शन]

'हमारा कार्य सम्पादन काफी सन्तोषजनक रहा है ।'

लेकिन यह बात मेरी समझमें नहीं आयी । मेरे पास इस तरह की रिपोर्टें हैं कि अभी भी भरती के दफ्तरों से हजारों नवयुवक, जो उत्साही हैं, जो देश के लिये मरने को तैयार हैं, और जो हर तरह से भरती के योग्य हैं, निराश होकर वापिस जा रहे हैं । क्योंकि उनको भरती नहीं किया जा रहा है । विशेषकर जिन लोगों का पर्वतीय इलाकों में इस काम का पेशा है उनको भी वापस जाना पड रहा है । गोल्ड स्मिथ ने एक जमाने में स्विटजरलैंड के बारे में कहा था, जिसका अनुवाद श्री श्रीधर पाठक ने अपने शब्दों में इस प्रकार किया है :

"रण में भरती होकर लड़ना, यही यहां की खेती है ।"

पर्वतों के लोगों को, जिनका तिब्बत से सीधा संबंध रहा है, भरती के दफ्तरों से निराश होकर वापस जाना पड़ रहा है । मैं यह बात कोई स्थानीय संकुचित नैरो—पैरोकियल—दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं । अगर हमको कुछ ही महीनों में ६ से ९ डिवीजन पर्वतीय सेना तैयारी करनी है तो माननीय मत्री जी को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये क्योंकि चीनी तो इन्तिजार करने वाले नहीं हैं कि हम अपनी तैयारी कह लें उसके बाद वे आक्रमण करें । शत्रु तो हमेशा अपने प्रतिपक्षी की कमजोरी का लाभ उठाने की प्रतीक्षा में रहता है । तो हमें भी इन्तिजार करने की गुंजाइश नहीं है । इसलिये मैं अपने प्रतिरक्षा मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं । मेरे पास रिपोर्टें आ रही हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों के लोग जिनकी सेना में काम करने की परम्परा रही है, जिनमें इस काम के सस्कार पड़े हुये हैं, उनको भरती नहीं किया जाता और उनको भरती के दफ्तरों से निराश लौटना पड़ रहा है । मैं फिर दुहरा दूं कि मैं यह सुझाव कोई संकुचित दृष्टिकोण के कारण नहीं दे रहा हूं । अगर हम पर्वतीय युद्ध के लिये सेना तैयार करना चाहते हैं तो हमको इन क्षेत्रों के लोगों को अधिक लेना चाहिये ।

नेफा संबंधी रिपोर्ट में एक सबसे बड़ी बात यह कही गयी है कि हमारे सैनिक जो कि बड़ी विकट परिस्थितियों में लड़े हैं और पहिले कई सफलतायें प्राप्त की थीं उनको नेफा में असफलता मिलने का कारण यह था कि इनको उस क्षेत्र में सांस लेने में कठिनाई होती थी, वे अपने को वहां की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बना सके । लेकिन जो पहाड़ी लोग हैं, जिनको पानी पीने के लिये भी एक मील नीचे उतरना पड़ता है और जो उस क्षेत्र की ऊंची चोटियों में अपने पशुओं को चराते हैं उनको इस क्षेत्र में काम करने में कोई कठिनाई नहीं होती । पहले जो भारतीय व्यापारी तिब्बत से व्यापार करने जाते थे, वे हैवी स्नो बूट पहन कर नहीं जाते थे, वे साधारण गरम कपड़े पहन कर जाते थे क्योंकि उनको उस वातावरण को सहने का अभ्यास होता था, उनमें स्टेमिना होता था । तो मेरा निवेदन है कि अगर हम पर्वतीय डिवीजन बनाना चाहते हैं तो मेरे सुझाव पर अवश्य ध्यान दिया जाये ।

श्रीमान्, अफसरों की भरती के बारे में माननीय प्रतिरक्षा मंत्री जी ने कहा है कि और अफसर तो उनको काफी तादाद में मिलते हैं लेकिन इंजीनियरों व डाक्टरों के बारे में उनको निराशा हुई है । इसके लिये कुछ उपाय करने का उन्होंने स्वयं उल्लेख किया है, और मुझे आशा है कि कुछ समय में डाक्टरों और इंजीनियरों की जो कमी है वह बड़ी मात्रा में दूर हो जायेगी । लेकिन एक बुनियादी सवाल मैं यहां पर रखना चाहता हूं । नेफा के बारे में जो रिपोर्टें मिली हैं, जिन्होंने आंखों देखा हाल वहां का बताया है, चीन से जो लोग वहां युद्ध के मोर्चे से लौटे हैं, उनसे बातें करने का मुझे कुछ अवसर मिला । मैं इस परिणाम पर पहुचा कि आमतौर से हमारे सैनिकों ने कोई गलती नहीं

की। उनकी वीरता में कोई कमी नहीं थी। कमी अधिकांश मात्रा में हमारे अफसरों की रही है। अब इस बात पर मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता कि इन लोगों ने क्या गलतियां कीं लेकिन कमजोरियां उनकी तरफ से ज्यादा जान पड़ीं। अब तक क्या होता आया है? चाहे वह खड़गवासला का इंस्टीट्यूट हो चाहे नेशनल डिफेंस एकेडैमी देहरादून हो, उनके अन्दर पब्लिक स्कूल्स और कालिजों के पढ़े हुये बड़े परिवारों के लड़के ही लिये जाते हैं। एक तरीके से विलासिता में जिनका कि जीवन बीता है, ऐसा न भी कहा जाय तब भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि आरामतलबी में जिनका जीवन बीता है, अंग्रेजी में जो गिटपिट कर सकते हैं, अच्छे कपड़े धारण करते हैं, परसनालिटी थोड़ी अच्छी रहती है, बड़े अफसरों के लड़के होते हैं उनकी ही वहां पूछ होती है। और पहले तो हालत यह थी कि वे पलटन में भरती इसलिये भी होते थे कि सलाम करने को मिलता था और अच्छी पत्नी भी मिलती थी। विवाह रूपी बाजार में ऐसे लड़कों का भाव भी ऊंचा होता था। आमतौर पर ऐसे लड़के ही उन फौजी स्कूलों में जगह पाते थे। लेकिन जब वास्तविक लड़ाई आई तब मालूम पड़ा कि वे कितने गहरे पानी में हैं? हमारे प्रतिरक्षा मंत्री महोदय जरा इस पर बारीकी से विचार करें। वे स्वयं एक ऐसे प्रांत के रहने वाले हैं, जिसने शिवाजी सरीखा हमारे देश का रक्षक उत्पन्न किया। वे शिवाजी के वशधर हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे इस पर गम्भीरता से विचार करें। मैं उनसे यह आशा करता हूं कि वह नई नीति का अवलम्बन करेंगे।

श्रीमन्, मैं दो तीन बातें फौजी अफसरों की भर्ती के बारे में कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि हमारे बहुत से ग्रेजुएट्स, बहुत से इंटरमीडिएट और हाई स्कूल पास नौजवान फौज में भर्ती हैं और वह इस आशा में भरती हुये थे कि बाद में चल कर उनको अफसरी का मौका मिलेगा। लेकिन मेरे पास इस तरह की रिपोर्टें हैं कि इनमें से जो १०० आदमी गये थे तो उनमें से केवल दस आदमी लिये गये। मैं इसके लिये यह सुझाव देना चाहता हूं कि फौज में इस समय जो नौजवान काम कर रहे हैं अगर वह बेसिकली शिक्षा की दृष्टि से क्वालिफाइड हैं तो सब से पहले आप उन को लीजिये क्योंकि वे अग्नि परीक्षा में से निकल चुके हैं। वह सिपाहियों का कठोर और कठिन जीवन बिता चुके हैं और वे उन आरामतलब नौजवानों से अच्छे अफसर साबित होंगे, आरामतलबों की अपेक्षा उनका स्टैन्डर्ड ऊंचा रहेगा और वे सफल अफसर सिद्ध होंगे।

ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि जिनको कि एन० सी० सी० में "सी" सर्टिफिकेट मिला हुआ है, फुटबाल के केप्टन हैं, अच्छे तकड़े ऐथेलीट हैं स्पोर्टसमैन हैं, और जो कि सैलेक्शन के लिये उपयुक्त हैं, उनको न लेकर सैलेक्शन बोर्ड पता नहीं उसका क्या स्टैन्डर्ड सैलेक्शन का रहता है कि वह दुबले-पतले लोगों को चुन लेता है। अब मैं कोई दोष नहीं देना चाहता लेकिन ऐसा हो रहा है। मुझे यहां तक बताया गया है कि स्वयं प्रतिरक्षा मंत्री जी के ध्यान में यह बातें हैं कि ऐसे लोग जोकि बिलकुल हर तरीके से फिट थे, उनको निराश होकर जाना पड़ा। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो एन० सी० सी० में काम करने वाले हैं, जो स्पोर्टसमैन हैं, उनका सैलेक्शन अलग हो और जनरल कैटगरी में उनको शामिल न किया जाये। अगर ऐसी व्यवस्था की जाती है तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे और हर तरह से योग्य आदमी मिल सकेंगे।

श्रीमान्, अफसरों की भरती के बारे में अभी जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया था कि अंग्रेजी को वहां पर बहुत महत्व दिया जा रहा है। एक दिन यहां पर भी जब श्री रघुनाथ सिंह रक्षा बजट पर बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात को उठाया था। प्रधान मंत्री जी उस अवसर पर मौजूद थे। उन्होंने शायद उस समय कुछ दिलचस्पी दिखलाई थी, लेकिन वह दिलचस्पी शायद

[श्री भक्त दर्शन]

वहीं समाप्त हो गई। मुझे अभी तक यह पता लगा है कि सेलेक्शन बोर्ड में इस पर काफी जोर दिया जा रहा है, जिसकी कि वजह से हमें अच्छे कैंडीडेट्स नहीं मिल रहे हैं। मैं प्रतिरक्षा मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि अगर अंग्रेजी का इतना ही मोह है तो पहले उनका सैलेक्शन कर लीजिये, उसके बाद उनको अंग्रेजी की ट्रेनिंग दे दीजिये। जब उन्हें कमीशन मिल जाये तब उनका अंग्रेजी का ज्ञान बढ़ाने के लिये स्पेशल कोर्स उनको दे दीजिये लेकिन केवल अंग्रेजी के कारण वे अफसरी में जाने से वंचित रह जायें, मैं समझता हूं कि यह न्यायपूर्ण नहीं होगा।

श्रीमन्, हम उन अपने मित्र देशों के बड़े आभारी हैं जिन्होंने कठिन परीक्षा के अवसर पर, विपत्ति के अवसर पर हमारी सहायता की। श्रद्धा से हमारा हृदय, हमारा मस्तक, उनके सामने झुक जाता है। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि जो विवरण हमारे रक्षा मंत्री महोदय ने दिया उससे कुछ चित्र स्पष्ट मालूम नहीं होता है। अब हमारे रक्षा मंत्री जी का एक वाक्य इस संबंध में यह है कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका की सरकार ने जितनी सहायता का वायदा किया था उसका आधे से अधिक भाग अब तक प्राप्त हो चुका है और बाकी का बहुत बड़ा भाग शीघ्र ही मिलने की आशा है। फिर आगे वह कहते हैं कि इसी प्रकार यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने जो सहायता देने का वचन दिया था उसका महत्वपूर्ण भाग हमें प्राप्त हो चुका है। अब यह गोल चीज हमारी समझ में नहीं आती। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। वे यह नहीं कह सकते कि हमें कितने टैंकों की आवश्यकता है, कितनी मशीनगनों की आवश्यकता है, यह मैं मान सकता हूं। इन आंकड़ों को देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन कम से कम यह तो बतलाने की कृपा करें कि अपनी आवश्यकताओं का हमने क्या अन्दाजा लगाया है? दूसरा पहलू इस का यह है कि हमारे जो केवल अपने ६ पर्वती डिवीजन हैं, उनको ही नये औजार और हथियार नहीं देने हैं बल्कि हमें तो अपनी सम्पूर्ण सेना को ही कुछ वर्षों के अन्दर अन्दर सब तरह से अस्त्र शस्त्र आदि से सुसज्जित करना है। उनको सब तरह के आवश्यक साज सामान से लैस करने का एक व्यापक कार्यक्रम हमारे सामने है। ऐसी स्थिति में रक्षा मंत्री महोदय हमारे सामने कम से कम यह तो बतलायें कि जो १०० का हमने एक लक्ष्य निश्चित किया था कि इतनी हमें आवश्यकता है, उसमें से ५० मिले, २५ मिले, एक तिहाई या एक चौथाई, अब तक उनमें से कितना प्राप्त हो चुका है और कितना हमें अभी और मिलने की आशा है? मैं यह देख रहा हूं कि हालांकि इसको दस महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक वार्तालाप जारी है। अभी बातचीत हो रही है। अभी हमारा डेलीगेशन मास्को से लौटा है। माननीय रक्षा मंत्री जी के इस उत्तर से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। उनसे जो उत्तर मिला उससे उत्साह बढ़ता है लेकिन मैं समझता हूं कि अगर वे इस संबंध में कुछ और प्रकाश डाल सकें तो बड़ी कृपा होगी।

श्रीमन्, मैं इस सदन के उन सदस्यों में से हूं जोकि पिछले कई वर्षों से इस बात का प्रयत्न करते रहे हैं और लगातार आवाज उठाते रहे हैं कि हमारे अपने देश के अन्दर ही अस्त्र शस्त्रों और अन्य फौजी सामान का उत्पादन होने लगे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये।]

कुछ आर्डिनेंस फैक्टरियों को पिछले दिनों मुझे देखने का अवसर मिला। मुझे यह देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि कुछ वर्ष पहले हमारी आर्डिनेंस फैक्टरीज में जो शिथिलता आ गई थी वह अब दूर हो गयी है। चीन ने हमें झकझोर कर के हिला दिया है और जगा दिया है। उसका धक्का हमारी आर्डिनेंस फैक्टरीज पर भी पड़ा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे संसद भवन में जो छोटी सी प्रदर्शिनी की गई थी उससे भी हम को काफी ज्ञान प्राप्त हुआ, आत्मविश्वास भी पैदा हुआ कि

हमारे देश के अन्दर कुछ सामग्री का उत्पादन होने लगा है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने बतलाया है कि इस बीच में हमारा उत्पादन पहले से दुगुना हो गया है। सेमी आटोमैटिक राइफल्स का जो उत्पादन है यह भी सफलता का एक बड़ा भारी द्योतक और चिन्ह है। लेकिन मेरा अपना ख्याल यह है कि अभी तक सेमी आटोमैटिक राइफल्स नमूने के तौर पर ही शायद बनी हैं। अभी हमारा परीक्षण सफल ही हुआ है। उसको बहुत बड़े पैमाने पर हजारों, लाखों की तादाद में बना सकें और उनसे अपने तमाम सैनिकों को सज्जित कर सकें, उस स्टेज में हम अभी नहीं पहुंच पाये हैं। उधर प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, यह जो आंकड़े दिये जाते हैं कि हमारी आर्डिनेंस फैक्टरीज़ का उत्पादन दुगना हो गया है उसके बारे में मैं रक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कुछ भ्रमपूर्ण भी है क्योंकि जो आंकड़े हमें दिये जाते हैं उनके अन्दर जो इम्पोर्टेड कम्पोनेंट्स हैं, जो कल-पुर्जे बाहर से आते हैं उनको भी पूरे तरीके से सम्मिलित कर लिया जाता है हालांकि उनका देश में उत्पादन नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए मैं बतलाऊं कि शक्तिमान ट्रक्स बनाये जा रहे हैं, लेकिन तथ्य यह है कि कितने प्रतिशत कल-पुर्जे विदेशों से आ रहे हैं और कितने अपने देश में बनने लगे हैं इसके बारें में स्पष्ट रीति से आंकड़े नहीं दिये जाते हैं। यही बात निशान जीप के बनाने के बारे में लागू होती है। निशान जीप जापान की एक फर्म के सहयोग से हमारे देश में बनाई जा रही है। इसके बारे में भी साफ तौर से यह आंकड़े देकर नहीं बतलाया जाता है कि उसके लिए कितने कल-पुर्जे आदि विदेश से मंगाये जा रहे हैं। और कितने अपने देश में ही बनने लगे हैं। ट्रैक्टर्स की कहानी यह है कि समूचे के समूचे ट्रैक्टर्स जापान से मंगा लिये गये और उनको दण्डकारण्य अथोरिटीज़ को दे दिया गया और दूसरे लोगों को दे दिया गया। इस प्रकार हालांकि अधिकांश हिस्सा उनका बाहर से आ रहा है, लेकिन आर्डिनेंस फैक्टरीज़ के उत्पादन में उनको भी शामिल कर लिया गया और इस तरह से बतला दिया गया कि उत्पादन वहां पर काफी अधिक बढ़ गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आंकड़े बढ़ाये भी जा सकते हैं और रबड़ की तरह खींचे भी जा सकते हैं, लेकिन वास्तविक तथ्य क्या है इस पर वे गहराई से जाने की कृपा करें।

श्रीमन्, दो, तीन फैक्टरीज़ में मुझे जाने का अवसर मिला। मैं उनके नाम इस समय नहीं लेना चाहता लेकिन मुझे यह देखकर बड़ी निराशा हुई कि अभी तक पिछले महायुद्ध के ज़माने में जो मशीनें लगाई गई थीं वही पुरानी घिसी पिटी मशीनें चली आ रही हैं। यह ठीक है कि उनसे हम २४ घंटे का काम कर रहे हैं। तीन तीन पारियों में काम चल रहा है, यह सब ठीक है। लेकिन उनसे कितना उत्पादन हो सकता है और कितनी तेज़ी से हो सकता है इस पर स्वयं विचार किया जाये। रक्षा मंत्री महोदय ने एक इशारा भी किया है कि उनके रिप्लेसमैंट करने का कार्यक्रम शायद बनाया गया है।

लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ६ नई फैक्टरियों की स्थापना के बारे में निश्चय किया गया था उसकी प्रगति से मुझे थोड़ी निराशा होती है। कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्री जी ने एक्सप्लोसिव्ज़ फैक्टरी के बारे में एक प्रश्न का जवाब देते हुए बतलाया था कि चार साल पहले उसका निर्णय किया गया था, उसका स्वरूप स्थिर हो चुका था लेकिन अभी तक चार साल के बाद भी उसका सामान आ रहा है। तो इस गति से तो काम नहीं चलेगा। हम रक्षा मंत्री जी को हर तरह का सहयोग देने के लिये तैयार हैं। सारा देश उनके पीछे है। परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अफसरों और सैनिकों की भर्ती के संबंध में और रक्षा सामग्री के उत्पादन के संबंध में वह और गहराई से, बारीकी से, दिलचस्पी लें, तब जा कर सफलता मिल सकती है।

[श्री भक्त दर्शन]

श्रीमन्, इससे पहले कि मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूं, मैं दो तीन छोटे सुझाव देना चाहता हूं ।

आज भी हमारे जो समर-विशारद हैं, जो हमारे स्ट्रैटेजिस्ट्स हैं, उनके दिमाग़ के किसी कोने में शायद यह भ्रम फैला हुआ है कि हिमालय की चोटियों में लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। और उस का सीधा परिणाम क्या है ? अभी कुछ दिन पहले इस सदन में प्रश्न करने पर प्रकट हो गया कि नेफा के इलाके में कमेंग डिवीज़न में जहां चीनी सेनायें पीछे हटी हैं, वहां हमारे सैनिक आगे नहीं बढ़े हैं। केवल आसाम राइफल्स का वहां पर इन्तजाम किया गया है, जिसे हम एक तरह की मिलिटरी पुलिस कह सकते हैं। हमारे सिविल अधिकारियों ने वहां जा कर प्रशासन स्थापित कर लिया है, यह प्रसन्नता की बात है। लेकिन अगर शत्रु की ओर से एक भी धक्का लगे, यदि उस की ओर से आगे बढ़ने का कोई प्रयत्न हो, तो जब वहां रहते हुए भी हम उस को नहीं रोक सके, तो वहां से दो तीन सौ मील दूर मैदानों में रहकर फुटहिल्ज़ और तेजपुर में बैठ कर, कैसे हम उस क्षेत्र की रक्षा कर सकेंगे, यह बड़ा विवादास्पद प्रश्न है और इस पर बड़ी चिन्ता होती है।

इसलिए मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इतिहास के उस सबक की ओर दिलाना चाहता हूं कि हिमालय की चोटी पर जिसका अधिकार रहा है, उस का गंगा और यमुना के मैदान पर भी अधिकार रहा है। हम इस आशा में नहीं रह सकते कि हम दुश्मन को हिमालय की चोटी से उतरने दें और फिर मैदान में उस का मुकाबला करें। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले प्रधान मंत्री जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ यह कहा था कि हम हिमालय को दहेज़ के रूप में नहीं देना चाहते और यह नहीं कहना चाहते कि साहब, आप टहलते हुए तशरीफ ले आइये। हम नहीं चाहते कि वहां पर कोई मुकाबला ही न हो। मैं समझता हूं कि अगर किसी भी मिलिटरी अधिकारी के दिमाग में अभी तक यह भावना है कि हम हिमालय की ऊंची चोटियों को छोड़ कर नीचे मैदान में आ कर युद्ध लड़ेंगे, तो उनको भ्रम में नहीं रहना चाहिये। यह एक घातक बात होगी, यह एक आत्मघाती नीति होगी। अगर एक बार चीन का हिमालय की चोटियों पर कब्ज़ा हो गया, तो चाहे वह बाद में नीचे हम पर हमला न भी करे, किन्तु वहां से हम उस को भी नहीं हटा सकेंगे। इसलिए इस संबंध में स्पष्ट निर्णय किया जाना चाहिए।

इसके बाद मैं मध्यवर्ती क्षेत्र के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। पिछली बार जब चीन ने बड़े पैमाने पर आक्रमण किया था, तो लद्दाख में और पूर्व में नेफा के इलाके में ही वह आगे बढ़ा था; और मध्यवर्ती क्षेत्र में मिडल सैक्टर में, लड़ाई नहीं हुई थी। लेकिन मेरा अपना अनुमान है--और बहुत से लोगों को इस बात की आशंका है--कि अगर अब कभी चीन ने दुबारा हम पर आक्रमण किया,, तो वह मिडल सैक्टर में करेगा। इस के कई कारण भी मालूम पड़ते हैं। अभी २९ अगस्त को चीन ने हमारी सरकार को बड़ाहोती के संबंध में जो विरोधपत्र भेजा है, उससे बड़ी **ओमिनस** (खतरनाक) सूचना मिलती है। वह बड़ी चिन्ताजनक बात है और उस पर बड़ी गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। चीन एक तरह से हमला करने के लिए बहाना खोज रहा है और कहता है कि इस देश के सैनिक वहां चले आ रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, कैम्प लगा रहे हैं, आदि।

लेकिन हमारी सरकार की ओर से ४ सितम्बर को जो जवाब दिया गया है, उससे भी मुझे निराशा होती है। हमारी ओर से कहा गया कि यद्यपि पहले हम वहां पर असैनिक अधिकारी भेज दिया करते थे, लेकिन इस साल हमने असैनिक अधिकारी भी नहीं भेजे, यानी उस इलाके को बिल्कुल उनकी मर्ज़ी और दया पर छोड़ दिया गया है। यह बात बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों रक्षा मंत्री जी ने उत्तर दिये थे कि चीन की ओर से जो हमारी वायु-सीमा के अतिक्रमण हो रहे हैं, उनमें अब उन का ध्यान मध्यवर्ती क्षेत्र पर है। ६ मई, १९६३ को टिहरी-

गढ़वाल जिले में छाम स्थान तक, यानी साठ मील अन्दर तक, चीन का वायुयान आया था। उस के बाद २७ मई से ले कर १ अगस्त तक नौ बार चीनी वायुयानों ने हमारी वायु-सीमा का अतिक्रमण किया और उन नौ में से सात बार ऐसे इलाकों में किया, जोकि मध्यवर्ती क्षेत्र में पड़ते हैं। इस से यह साबित होता है कि चीन की नजर अब मध्यवर्ती क्षेत्र पर है। इस का कारण भी है—अगर मध्य-वर्ती क्षेत्र पर आक्रमण किया जाये, तो दिल्ली सब से नजदीक है। यह कारण भी हो सकता है।

इस लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय से यह विनम्र और जोरदार निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बारे में गम्भीरता से विचार करें और उस क्षेत्र में यथासम्भव पूरी तैयारी की व्यवस्था करें। मैं जानता हूं कि पहले की बनिस्बत मध्यवर्ती क्षेत्र में कुछ अच्छी तैयारियां हो रही हैं, जिन से वहां की जनता का मनोबल बढ़ा है। वहां की जनता में हजारों भूतपूर्व सैनिक हैं, जो लड़ना जानते हैं, जिन्होंने दो-दो विश्व महायुद्धों में नामवरी हासिल की है। वे इस बार भी सहयोग देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन असली मोर्चा तो हमारी सेना को ही लेना पड़ेगा। इस लिए इस बारे में पहले से ही सतर्कता से तैयारी होनी चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि बार बार यह कहा जा रहा है कि हमारी जो पराजय हुई, उससे हमारा एक राष्ट्रीय अपमान हुआ। मैं स्वयं कांग्रेस दल के उन व्यक्तियों में से हूं, जो अपने प्रधान मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी पर अटल विश्वास रखते हुए इस बात की मांग करते रहे हैं कि हमें इस से सबक सीखना चाहिए, हमें इस से लाभ उठाना चाहिए। लेकिन इस का एक पहलू यह हो सकता है कि "बीती ताहि बिसारि दे, आगे की सुधि ले" इस की एक तरकीब यह हो सकती है कि हम अपनी कामेंग डिवीज़न की पराजयों पर ध्यान न दे कर, चुशूल में जो हल्दी घाटी हुई, जो महाभारत हुआ,—लद्दाख में हालांकि हम कुछ मील हटे, लेकिन बहादुरी के साथ और एक एक इन्च जमीन के लिए लड़ते हुए और स्वयं नेफा में वेलौंग में जब हमारे सैनिकों को पीछे हटना पड़ा, तो वे एक-एक इंच के लिए लड़ते हुए, अपना सारा सामान वापस लाते हुए, दुश्मन को नुक्सान पहुंचाते हुए पीछे हटे— हम अपने सैनिकों के इन कारनामों पर अधिक बल दें। मैं रक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय की ओर से एक अथौरिटेटिव, अधिकारपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की जाये, जिस में इस बहादुरी का और इन शूरवीरता के कार्यों का वर्णन हो। मैं देख रहा हूं कि हिन्दी और अंग्रेजी में नये नये प्रकाशन हो रहे हैं, नये-नये ग्रन्थ निकल रहे हैं, "लद्दाख के वीरों की कहानियां", "नेफा के वीरों की कहानियां," आदि और उन में बड़ा अतिरंजित वर्णन होता है। एक तरह से उन में फिक्शन का एलीमैंट होता है — कथा-कहानी की तरह के वे प्रकाशन होते हैं। अतः अगर सरकार की ओर से एक अधिकारपूर्ण और अथोरिटेटिव पब्लिकेशन निकाला जाये, तो उस का परिणाम यह होगा कि हम को अपनी पराजयों का ध्यान नहीं होगा, बल्कि हम को अपनी विजयों का, अपने शहीदों का और बलिदानी वीरों का ध्यान आयेगा, जिन्होंने अपने जीवन को आहूत किया और जो वास्तव में हमारे सम्मान के अधिकारी हैं।

श्रीमान्, इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री इंद्रजीत गुप्त** (कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम) : मुझे मालूम हुआ है कि प्रतिरक्षा मंत्री आज शाम को दूसरी सभा में इस विषय पर चल रहे वाद-विवाद का उत्तर देंगे। मेरा निवेदन

†मूल अंग्रेजी में

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

है कि वे आज उत्तर न दें। अन्यथा कल यहां इस पर चलने वाली चर्चा का कोई लाभ नहीं होगा।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : यह सारी स्थिति मेरे हाथ में नहीं है। मैं भी राज्य-सभा के ही अधीन हूं। वहां भी मैं स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकता।

†**श्री इंद्रजीत गुप्त** : कुछ भी हो मैं आशा करता हूं कि वे मेरी प्रार्थना को ध्यान में रखेंगे।

मैं अनुभव करता हूं कि यदि सुरक्षा की दृष्टि से नेफा जांच प्रतिवेदन को सभा-पटल पर नहीं रखा जा सकता था तो यही अच्छा था कि उस विषय में कुछ कहा ही नहीं जाता। दिया गया वक्तव्य हमारे लिये कुछ भी उपयोगी नहीं है। इससे अनुमान लगाने और तरह तरह की बातें करने के लिये एक और आधार मिल जाता है।

यह प्रतिवेदन—इसके विषय में दिया गया वक्तव्य-नेफा जांच के विषय में अन्तिम प्रतिवेदन नहीं कहा जा सकता। जांच स्वभातवतः ही सीमित थी। मुख्य जांच अधिकारी—लेफ्टिनेंट जनरल हैन्डर्सन ब्रुक्स अपने सेना के पद के कारण ही अपने से ऊंचे पद के अथवा समान पद के कमांडिंग अधिकारियों की जांच करने की स्थिति में नहीं था। इसमें सन्देह नहीं कि इस जांच समिति ने इस के सामने प्रस्तुत किये गये लिखित प्रतिवेदनों के आधार पर ही अपना प्रतिवेदन तैयार किया होगा। इसने व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों से पूछ-ताछ नहीं की होगी। इसलिये मैं इस प्रतिवेदन को इस सम्बन्ध में अन्तिम शब्द नहीं मान सकता।

प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में, बड़े सतर्क शब्दों में, कुछ स्वीकारोक्तियां की गई हैं। पहली तो यह कि पर्वतीय युद्ध के विषय में उच्च कमांडरों की धारणा गलत थी, उसे ठीक किये जाने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जो अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार की गई है, यह है कि सैन्य संचालन के कार्य में हमारे लोग पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं थे। तीसरी बात यह स्वीकार की गई है कि हमारे पास पर्याप्त हथियार थे किन्तु यह परिवहन आदि की कठिनाई के कारण उन्हें उचित समय पर; उचित स्थान पर नहीं पहुंचाये जा सके। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि स्वचालित रायफल आदि होती तो यह अधिक उपयोगी हो सकती थी। चौथी बात यह स्वीकार की गई है कि विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायित्व की भावना का अभाव था और स्थानीय कमांडरों के कार्य में सेना के उच्च अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। इसी प्रकार की अन्य स्वीकारोक्तियां हैं। किन्तु जो वक्तव्य प्रतिरक्षा मंत्री ने दिया है उससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस स्थिति का सुधार करने के सम्बन्ध में क्या उपाय अपनाये जा रहे हैं। अच्छा होता यदि इन में से प्रत्येक बात के साथ ही साथ यह भी बता दिया होता कि इसके सम्बन्ध में अब क्या कार्य-वाही करने का इरादा है।

उदाहरणार्थ प्रतिरक्षा की तैयारी सम्बन्धी वक्तव्य में सेना का काफी विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में उल्लेख है—प्रशिक्षण संस्थाओं के विषय में भी उल्लेख किया गया है किन्तु उनके विषय में कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

शस्त्रों के सम्बन्ध में भी हमसे कहा गया है कि उनका उत्पादन बढ़ रहा है, दुगना हो गया है । यह भी कहा गया है कि अर्ध-स्वचालित रायफलों का उत्पादन आरम्भ किया जा रहा है । कुछ पुराने संयंत्रों और मशीनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है । किन्तु अर्ध-स्वचालित रायफलों का पूरे पैमाने पर उत्पादन कब आरम्भ होगा ? यह स्थिति संतोषजनक नहीं है । चीनियों के पास स्वचालित राफयलें थीं, केवल अर्ध-स्वचालित ही नहीं ; और यदि हमें पाकिस्तान का सामना करना पड़ा तो उसके पास भी सेन्टो पैक्ट के अधीन राष्ट्रों से प्राप्त स्वचालित अस्त्र होंगे ।

दूसरी बात उन छः शस्त्रास्त्र कारखानों के बारे में है । जिनकी स्थापना करने का प्रस्ताव था। उन में से अभी केवल दो ही आरम्भ किये गये हैं। एक अमरीका की सहायता से और दूसरा ब्रिटेन की सहायता से। शेष कब आरम्भ होंगे, इनमें क्या-क्या चीजें बनाई जायेंगी ; इस बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया ।

गुप्त-वार्ता विभाग (इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट) के सम्बन्ध में कहा गया है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीक्षण के अधीन इसका नवीकरण किया जायेगा । मैंने गत अप्रैल में पूछा था कि क्या हम गप्तचर्या विभाग के सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्रालय पर ही आश्रित रहेंगे अथवा प्रतिरक्षा मंत्रालय का सेना के प्रयोजन के लिये स्वयं का गुप्तचर्या विभाग होगा। इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया ।

इसके अतिरिक्त चीफ आफ जनरल स्टाफ को कार्य-बल (टास्क फोर्स) का कमांडर बना दिया गया। चीफ जनरल स्टाफ के पद पर कार्य करते हुए, उनके विभाग में कई गलतियां हुई थीं। वहां का कार्य असंतोषजनक नहीं था। फिर भी उन्हें कार्य-बल का कमांडर बना दिया, यद्यपि उन्होंने सक्रिय युद्ध में कभी भाग नहीं लिया था। क्या यह सत्य नहीं है कि जब उन्हें कार्य-बल का कमांडर बना दिया गया तब चीफ आफ जनरल स्टाफ का पद खाली ही पड़ा रहा? हमें यह भी बताया जाये। कि क्या यही वह जनरल नहीं था जिसने प्रधान मंत्री को युद्ध क्षेत्र के सम्बन्ध में परामर्श दिया था और जिसने कहा था कि हम लोग आगे बढ़ने के लिये काफी सशक्त हैं? इस बात पर विश्वास करने के कई कारण हैं कि कुछ जनरलों ने आगे बढ़ने की सलाह दी थी? और यदि इस सलाह पर कार्य किया गया है तो यह उन कमांडरों का ही उत्तरदायित्व समझा जाना चाहिये । और मुझे बहुत आश्चर्य होता है, श्री शास्त्री ने यहां पहल ही इस बात का उल्लेख कर दिया है कि जांच समाप्त होने के पहले ही उस भद्र पुरुष को १०,००० रुपये मासिक के एक पद पर चला जाने दिया गया है ।

सी प्रकार चौथे डिविज़न के कमांडर के विरुद्ध कहने के लिये मेरे पास कुछ नहीं है। मैं केवल यही पूछना चाहता हूं कि क्या उसे यह आदेश नहीं दिये गये थे कि जब तक रसद न पहुंचे वह सेला में ही डटा रहे ?

कई बार हमसे कहा गया ह कि सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया । किन्तु जब तक इस के विरुद्ध कोई सबूत नहीं दिये जाते हम इसी बात पर विश्वास करेंगे ।

हमें इन बातों की ओर उचित दृष्टिकोण से देखना चाहिये । लोग यह नहीं सोचते कि शत्रु के पीछे हटने के क्या कारण हैं । क्या व हमारे शस्त्रों की श्रेष्ठता के कारण पीछे हटे हैं ? नहीं दुनियां में ओर भी कई शक्तियां जो शांति, प्रजातंत्र और प्रगति के हित के

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

लिये लड़ने को तैयार हैं और वे शक्तियां आज शत्रु को पीछे हटने के लिये बाध्य करने के लिये पूर्ण समर्थ हैं । रूस भी आज चीन के विरुद्ध अपनी रक्षा करने में हमारा साथ दे रहा है । इस प्रतिवेदन से जो सब से बड़ी शिक्षा हमें मिलती है वह यह है कि हम प्रतिरक्षा उत्पादन में आत्म निर्भर बनें। दूसरे देशों से हथियारों की सहायत लेने से हमारा कार्य नहीं चलेगा। जहां तक पश्चिमी राष्ट्रों से सहायता लेने का प्रश्न है हमें यह समझ लेना चाहिये कि इसके साथ कुछ बन्धन भी होते हैं क्योंकि हमने पहले ही यह वचन दे दिया है कि पाकिस्तान के विरुद्ध हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। ब्रिटेन चीन को भी उपकरण दे रहा है । इसलिये हमें दूसरों की सहायता पर अधिक भरोसा नहीं रखना चाहिये ।

उदाहरण के लिये मिश्र को लीजिये । स्वेज के झगड़े के बाद अब उन्होंने सुपर-सोनिक जेट कारखाना चाल कर दिया है । उनके पास प्रक्षपणास्त्र भी हैं । इसके लिये उन्होंने धन का प्रबन्ध बहुत से व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण कर के किया है। इसी बात के लिये हम भी इतने दिनों से जोर दे रहे हैं ।

हमें अपनी प्रतिरक्षा तैयारी के लिये प्राथमिकता निश्चित कर लेनी चाहिये। इस्पात हमारी पहली आवश्यकता है।

यह केवल शस्त्रों की और उपकरणों की ही बात नहीं है। आक्रामक हमेशा अनुकूल स्थिति में रहता है। फ्रांस की मेगनेट लाइन २४ घटे में तोड़ दी गई थी और रूस को भी हिटलर की सेना के मुकावले में कई सौ मील पीछे हटना पड़ा था।

इसलिये हमें इस स्थिति को गलत दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिये अपितु कमर कस कर उचित मार्ग पर बढ़ना आरम्भ कर देना चाहिये।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** (शिब सागर): पूर्व वक्ताओं तथा प्रतिरक्षा मंत्री का भाषण सुनने के बाद यह पता चलता है कि भारतीय सेना का संगठन बहुत ही सुदृढ़ आधारों पर किया जा रहा है। नेफा में कई कारणों से काफी हानि उठानी पड़ी है। हमारे लोकतंत्र का अहिंसा और पंचशील के सिद्धान्तों का पूरा गठबंधन है। हम किसी देश की एक इंच भी भूमि नहीं लेना चाहते। हम तो हरेक को मित्रता के सूत्रों से बांधना चाहते थे। हमारी कभी भी यह इच्छा नहीं हुई कि हम किसी पर हमला करें । हम तो हिन्दी चीनी भाई-भाई करते रहे और उसने हम पर आक्रमण कर दिया ।

प्रतिवेदन में जो भी समस्यायें प्रस्तुत की गयी है, वे बड़ी व्यापक है। प्रतिरक्षा मंत्री ने अपने ९ सितम्बर के वक्तव्य में प्रतिरक्षा तैयारियों का जो विवरण दिया है उसके कारण पता चलता है कि इस दिशा में स्थिति को ठीक करने का सरकार दृढ़ निश्चय किये है।

सैनिक तैयारियों के सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आसाम के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सीमान्त राज्य होने के कारण इसकी ओर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। नेफा में संचार साधन सन्तोषजनक नहीं है । नेफा की सड़के किसी काम नहीं आयेगी, जब तक कि उसके साथ लगते मैदानों की सड़कों का काफी

†मूल अंग्रेजी मे

सुधार नहीं हो जाता। अतः आसाम से सड़कों और पुलों को बनाये जाने और जो हैं उनको सुधारने की बहुत सख्त जरूरत है। यह भी तथा उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए कि उस राज्य में सामान्यतः गाड़ियों का चलना बन्द हो जाने के कारण असैनिक तथा सैनिक परिवहन को बहुत हानि पहुँच रही है। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि उन गाड़ियों का पुनः चलना जारी होना चाहिए।

इस संदर्भ में दूसरी महत्वपूर्ण बात कि नेफा क्षेत्र में आबादी बहुत कम है और जो भी यहां के निवासी हैं वे बाकी के सारे देश से अलग थलग रहते हैं। काफी बड़ा क्षेत्र है, लगभग ३५००० वर्ग मील का क्षेत्रफल है। और आबादी ३½ लाख से अधिक नहीं। ये लोग विभिन्न जातियों के हैं और कई प्रकार की विभिन्न बोलियां बोलते हैं। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि 'नेफा' के लोगों को राष्ट्र के अन्य लोगों के साथ पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण करने में सहायता दी जानी चाहिए। उन लोगों को यह कभी भी महसूस नहीं होने देना चाहिए कि संकट के समय हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। चीनियों द्वारा उत्तर की ओर से आने तथा उनकी खतरनाक गतिविधियों में क्रियात्मक रूप में कोई बाधा नहीं है। इस मामले की ओर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।

तीसरी महत्वपूर्ण बात जिस ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं वह यह कि जहां तक प्रतिरक्षा तैयारी का सम्बन्ध है, आसाम-नेफा-नागालैंड-त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल, जलपायगुड़ी और कूच बिहार के जिलों को एक ईकाई मान लेना चाहिए। यदि प्रतिरक्षा व्यवस्था की दिशा में एक आत्मनिर्भर प्रदेश स्थापित हो सके, तो हम बड़ी मजबूती से चीनी हमला आवरों का मुकाबला कर सकते हैं। इस प्रदेश में एक सम्पूर्ण सेना प्रधान कार्यालय स्थापित किया जाना चाहिए।

उत्तरी सीमा पर जो सबसे खतरनाक बात हुई है वह यह है कि हाल ही में नागा विद्रोहियों ने पाकिस्तान और चीन से अपने सम्पर्क स्थापित कर लिए हैं। वे लोग इन देशों से शस्त्र अस्त्र प्राप्त कर रहे हैं। अतः मेरा निवेदन है कि सीमान्त घटनाओं के अधिक होने तथा पाकिस्तानियों की घुस पैठ के कारण स्थिति बहुत गम्भीर हो गयी है, उस पर उसके अनुरूप ही गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

†श्री प्र० के० देब (कालाहांडी): प्रतिरक्षा मंत्री ने एक अच्छी स्वस्थ परम्परा का निर्माण किया है जो इस प्रकार के महत्वपूर्ण मामले पर सदन को चर्चा करने का अवसर दिया है। उसके लिए मैं उसे बधाई देता हूं। परन्तु इस प्रतिवेदन का जो संक्षेप हमें दिया गया है वह आशातीत नहीं है। यह देश की रक्षा करने और उसकी क्षेत्रीय अखंडता बनाये रखने के प्राथमिक कार्य में सरकार की असफलता की स्वीकृति है। यदि सारी घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाये तो वह इस बात से सहमत होंगे कि इस बारे में सबकी सब जिम्मेदारी तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री की है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग इन सब घटनाओं के लिए उत्तरदायी है, उन्हें सज़ा अवश्य दी जानी चाहिए। यह तो बिलकुल स्पष्ट है कि जहां तक नेफा की प्रतिरक्षा का सम्बन्ध है, कभी भी कोई उचित मार्ग-दर्शन नहीं किया गया है और न कोई उचित निदेश ही दिये गये है।

विस्तारवादी चीन के इरादों के बारे में भी सरकार को कई बार चेतावनी दी गयी परन्तु इसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। अक्तूबर, १९६२ के बाद भी जो

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० के० देव]

रहस्योद्घाटन हुए वे बहुत ही शोचनीय है। हम तैयार नहीं थे, सामान की कमी थी और उचित संचार की कोई व्यवस्था नहीं थी। सैनिक गुप्तचर विभाग भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। सैनिक कामों में प्रायः केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप कर रही थी। हमने १२ सितम्बर, १९५९ को सरकार को चेतावनी दी तो सरकार ने हमें कमजोर, कायर और भयभीत करने वाले कह कर पुकारा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकेंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन

†**श्री हेम राज** (कांगड़ा): श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन से, जो १८ सितम्बर, १९६३ को सभा में प्रस्तुत की गयी थी, सहमत है।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन से, जो १८ सितम्बर, १९६३ को सभा में प्रस्तुत की गयी थी, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के बारे में संकल्प—जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम श्री गोपालन द्वारा २७ अप्रैल, १९६३ को प्रस्तुत भारत प्रतिरक्षा अधिनियम सम्बन्धी संकल्प पर तथा ६ सितम्बर, १९६३ को श्री स० मो० बनर्जी द्वारा उस पर प्रस्तुत संशोधन पर चर्चा करेंगे।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार मैं यह कह रहा था कि यह जो प्रस्ताव श्री गोपालन द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है, इसको जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। परन्तु इसके साथ साथ मैं यह कहने को भी तैयार हूं कि भारत रक्षा कानून जो बनाया गया था इस सदन द्वारा, उसका सदुपयोग नहीं हुआ है बल्कि दुरुपयोग ही अधिक हुआ है। जब इस प्रस्ताव पर बहस हो रही है तो हमारा ध्यान पिछले साल के अक्तूबर महीने की ओर जाता है जबकि चीनी आक्रमण हमारे देश पर हुआ था। उस समय समस्त भारतीय जनता में एक प्रकार की एकता की

---

†मूल अंग्रेजी में

भावना उत्पन्न हुई थी और भारतीय निवासियों ने यह सोचते हुए भारत रक्षा कानून का स्वागत किया था कि इस कानून का सदुपयोग होगा, और देश की उन्नति होगी और जहां तक देश की रक्षा करने का प्रश्न है, तथा आक्रमण का मुकाबला करने का प्रश्न है, इस प्रकार का कानून उस काम में हमारी सहायता करेगा।

आप देखें कि जिस ध्येय को सामने रख कर इस कानून को लागू किया गया है वह ध्येय क्या पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि वह पूरा नहीं हुआ है। ऐसी मिसालें आपको बहुत मिल जायेंगी कि रक्षा कानून की आड़ में मनमाने ढंग से सरकार ने मनमानी चीजें की हैं। मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि रक्षा कानून की आड़ में भारत सरकार को यह अवसर मिला कि वह गोल्ड कंट्रोल, रूल्ज अनिवार्य बचत योजना जैसी चीजें बनाये। ये वे कानून हैं जो कि विधेयक की शक्ल में इस सदन में उपस्थित नहीं किए गए बल्कि रक्षा कानून की आड़ लेकर, नियम बना कर इनको लागू कर दिया गया। उसका सदुपयोग नहीं हुआ। उलटे जनता व्याकुल और पीड़ित हुई जब से यह रक्षा कानून लागू किया गया। मैं अगर यह कहूं कि उसके बाद से रूलिंग पार्टी या कांग्रेस संस्था में किसी तरह का एकीकरण नहीं हुआ है, उल्टे उनके जो आपसी डिफ्रेंसिस थे, वे बढ़े ही हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके आपसी मतभेद इस हद तक बढ़े कि आखिर में जाकर कामराज प्लान को लाना पड़ा और उसके अनुसार कुछ कदम उठाने पड़े। इस संकट की घड़ी में, इस रक्षा कानून को बनाने के बावजूद भी, इस कानून का इतना अधिक दुरुपयोग करने के बाद भी, रूलिंग पार्टी खुद अपनी संस्था को सम्भाल नहीं पाई है और सबसे ज्यादा मतभेद इस रूलिंग पार्टी में ही पैदा हुए हैं। ऐसी हालत में कैसे वह यह आशा कर सकती है कि विरोधी दल तथा देश की जनता, सब मिल कर काम करें, सबमें एकता स्थापित हो।

रक्षा कानून के लागू होने के बाद सत्ताधारी पार्टी कामराज प्लान लाई। महात्मा गांधी ने राम राज्य का एक नक्शा देश को दिया था। उस राम राज्य वाले नक्शे को स्थापित करने के बजाय अगर सत्ताधारी दल काम राज स्थापित करे तो, मैं समझता हूं, ज्यादा उचित होगा।

†**श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा** (खम्मम): प्रस्तावक महोदय द्वारा यह कहा जाना कि भारत प्रतिरक्षा अधिनियम का दुरूपयोग किया गया है, नितान्त निराधार बात है। इसके विपरीत प्रस्तावक महोदय स्वयं इस तरह के भाषण देते रहे हैं कि चीन ने भारत पर कोई हमला नहीं किया। उसके साथ तो हमारे कुछ सीमा सम्बन्धी विवाद हैं। मेरा यह निवेदन है कि आज देश का कोई भी नागरिक यह शिकायत नहीं कर सकता कि इस अधिनियम के पारित हो जाने के बाद सामान्य स्वतन्त्रता में कोई कमी हुई हो। आपातकालीन स्थिति की घोषणा होते ही मामला संसद के समक्ष आया। माननीय सदस्यों को सारी स्थिति से परिचित कराया गया। इस बारे में यदि कोई शिकायतें आई भी तो वे मुनाफाखोरों, जमाखोरों और समाज विरोधीतत्वों से प्राप्त हुई थीं। प्रतिरक्षा समितियां बनाई गयीं, उनमें साम्यवादी विचारधारा के लोग भी लिये गये। कोई ऐसी बात नहीं की गयी जिससे लोकतंत्रीय पद्धति में कमी की गयी हो अथवा उसको निलम्बित किया गया हो। कोई ऐसा उदाहरण नहीं जिससे यह कहा जा सके कि अधिकारों का दुरूपयोग किया गया है। वास्तविकता यह है कि इस अधिनियम के पारित होने के फलस्वरूप लोकतंत्रात्मक तरीकों को

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा]

अधिक से अधिक अपनाया गया है। जिन लोगों को चीन का मित्र होने के कारण जेलों में रखा गया है, उनके साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार किया गया है। परन्तु हमारे ये मित्र सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करते रहे हैं। चीन के समर्थकों को भी सरकार ने छोड़ दिया, क्योंकि वे कोई विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं थे।

वर्तमान अधिनियम द्वितीय विश्व युद्ध में पारित किये गये अधिनियम से इस प्रकार भिन्न है कि इसको हमारी संसद् और देश की समूची जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। चीनी आक्रमण के सम्बन्ध में सरकार की नीतियों की अखबारों में खुली आलोचना होती रही है, परन्तु उनके विरुद्ध भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। आज इस देश में किसी भी ऐसे अभिकरण के कार्य करने में, जिससे लोकतंत्र और स्वतन्त्रता को बढ़ावा मिले, कोई रुकावट नहीं है। वैसे ही यह देखने में आ रहा है कि प्रतिपक्षी लोग दिन प्रति दिन कमजोर होते जा रहे हैं, यह सरकार की कार्यवाही के फलस्वरूप नहीं प्रत्युत इसलिए कि उनकी आवाज उनकी कार्यवाहियों के कारण समाप्त होती जा रही है। मैं प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगी कि उन्हें संकल्प वापिस ले लेना चाहिए।

†**श्री दाजी** (इन्दौर): अभी हाल ही में बम्बई में भंगियों की हड़ताल हुई तो बातचीत करवाने वालों को भी प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफतार कर लिया गया। भलाई कार्यकर्त्ता को भी इसी तरह गिरफतार कर लिया गया। परन्तु प्रश्न यह नहीं है। हमने तो इस दृष्टि से यह संकल्प प्रस्तुत किया है कि किसी ऐसी विधि को संविधि पुस्तक में रखना भी ठीक नहीं जिसके सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय की यह राय हो कि संसद् द्वारा इसका अधिनियमित किया जाना उसकी क्षमता से परे है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ये संविधान के अनुच्छेद २२ के विरुद्ध है।

मैं इन बारीकियों में नहीं जाना चाहता। मैं तो यह चाहता हूं कि इस पर राजनैतिक तथा नैतिक दृष्टिकोण से सोचा जाय। इससे संसद् की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। नैतिक और राजनीतिक दृष्टि से विधि के नियम के दृष्टिकोण से भारत प्रतिरक्षा अधिनियम और नियम जनता तथा कानून की राय में अवैध है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को तत्काल स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिएं। प्रत्येक व्यक्ति इस स्थिति में नहीं होता कि तुरन्त अदालत में सहायता के लिए पहुंच जाये।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)**: मैं तीन तरीकों से सब बातों का उत्तर दूंगा। प्रथम यह कि अधिनियम के बारे में स्थिति क्या है, दूसरा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम क्या है और तीसरा इन का प्रयोग कैसे हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि आपातकालीन स्थिति हटा लेनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि चीन के हमले के समय राष्ट्रपति ने अनुच्छेद ३५२ के अन्तर्गत आपातकालीन स्थिति की घोषणा की थी। अनुच्छेद ३५२ में कहा है:

> "यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाय कि गम्भीर आपात विद्यमान है जिससे कि युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण या अभ्यन्तरिक अशांति से भारत या उसके

†मूल अंग्रेजी में

राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा उस आशय की घोषणा कर सकेगा।"

राष्ट्रपति की इस घोषणा को जब सभा पटल पर रखा गया तो सदन ने इसे एक मत से स्वीकार कर लिया। परन्तु कुछ ऐसी बातें की गयी है जिससे यह प्रकट होता है कि शायद यह आपातकालीन स्थिति सरकार ने निर्माण कर दी है। आपको सबको यह महसूस हो ही रहा होगा कि हमारी सीमाओं पर अब भी आतंक बना हुआ है। देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा है, अतः आपात को समाप्त नहीं किया जा सकता। आपातकाल चीन के आक्रमण के कारण हुआ है, अतः सरकार को अपने हाथ में कुछ ऐसे अधिकार लेने पड़े जो कि उसका कर्तव्य और उत्तरदायित्व निभाने के लिए आवश्यक है। और मैं एक बार पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि भारत प्रतिरक्षा अधिनियम संसद में एक मत से पारित हुआ था। एक भी विरोधी मत नहीं था। मैं पूछता हूं क्या वह खतरा दूर हो गया है, जिसके लिए आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गयी थी ?

†श्री दाजी : आपातकाल की घोषणा उस समय नहीं होती जब केवल खतरा हो। वह तो उस समय होती है, जब युद्ध हो।

†श्री हजरनवीस : यह बात तो कार्यपालिका द्वारा निर्णय किये जाने वाली है। हमें तो अभी भी चीन से खतरा मालूम होता है, यदि उन्हें नहीं होता तो उन्हें जनता में आकर यह बात कहनी चाहिए।

†श्री दाजी : यह भी जनता है।

†श्री हजरनवीस : यहां से बाहर जाकर उन्हें कहना चाहिए कि देश में अब कोई खतरा नहीं है और आपातकाल को समाप्त कर देना चाहिए, यद्यपि चीनी सेना हमारी सीमाओं पर बैठी हुई है।

†श्री दाजी : मैं यह थोड़ा ही कहता हूं कि खतरा नहीं है।

†श्री हजरनवीस : जब खतरा है, तो उसके उपचार का उत्तरदायित्व हमारा है। जब तक हमारे हाथ में सरकार है, शक्ति है।

अनुच्छेद ३५२ के अन्य क्या परिणाम निकलेंगे ? अनुच्छेद ३५८ में कहा गया है कि उद्घोषणा होते ही अनुच्छेद १९ के अधीन दिये गये अधिकारों का निलम्बन कर दिया जायेगा।

अनुच्छेद ३५९ भी संविधान का अभिन्न अंग है। उसका एक विशेष प्रयोजन है। यह कहा नहीं जा सकता है कि उसका कोई प्रभाव नहीं है। अनुच्छेद ३५९ में यह कहा गया है कि यदि उद्घोषणा में कुछ अनुच्छेदों का उल्लेख किया जायेगा तो उन अनुच्छेदों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। इस सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है कि उनका उपयोग करना उचित है या नहीं। तथापि जब तक अनुच्छेद ३५९ संविधान का एक अंग है, उसका प्रयोग किया जा सकता है जब उसका प्रयोग किया जायेगा तो उसका कोई उपचार उपलब्ध नहीं होगा।

यह भी उपबंध किया गया है कि यदि अनुच्छेद ३५९ के अधीन कोई आदेश निकाला जाये तो उसकी प्रति दोनों सदनों के पटल पर रखी जाये। अतः जब यह आदेश निकाला गया था तो उसे सभा पटल पर रखा गया तथा उस पर कोई विमति टिप्पण नहीं आया।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हजरनवीस]

अतः मेरे कथन का यह तात्पर्य है कि यद्यपि अनुच्छेद ३५८ और ३५९ के बीच कुछ अन्तर है तथापि जब तक अनुच्छेद ३५९ है तब तक इसे क्रियान्वित करना ही होगा।

मेरे विचार से शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां आपातकाल में बुनियादी अधिकारों का निलम्बन नहीं किया जाता। माननीय सदस्य यदि चाहें तो वह अमेरिका और ब्रिटेन का निर्देश कर सकते हैं जहां संविधान नहीं है, केवल अधिकारों का विधेयक है; तथापि प्रतिबन्ध का निर्णय वहां भी है। वस्तुतः राज्य के संचालन के लिये ऐसी बातें आवश्यक हैं।

इस सम्बन्ध में न्यायाधीश होल्स का प्रसिद्ध मामला है। उसका कथन था कि निसंदेह आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो सकती है, तथापि यदि आप स्त्री और बालकों से भरे हुए थिएटर में जायें और आग-आग कहें तो वहां दहशत फैल जायेगी। अतः आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ अंकुश लगाना होगा।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि क्या वैधानिक क्षमता पर भी प्रतिबन्ध नहीं लगा है? इसका उत्तर यही हो सकता है कि यह बात विधान के प्रकार और परिस्थितियों पर निर्भर है। यही बात उच्चतम न्यायालय के बहुमत के निर्णय से ज्ञात होती है। यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय हमारे विरुद्ध है। वस्तुतः बहुमत के निर्णय में जो कुछ कहा गया है उसका संक्षेप में इस प्रकार है :

> "हमारे सम्मुख यह प्रश्न उठाया गया है कि अनुच्छेद ३५९ के अधीन जारी किये गये राष्ट्रपति के आदेश में उल्लिखित अधिकार, क्या उसमें उल्लिखित अवधि के दौरान सैद्धान्तिक रूप से भी लागू थे, विद्वान एटार्नी जनरल ने यह बताया था कि इन अधिकारों को लागू करने के लिये न्यायालय में आवेदन करने के सम्बन्ध में नागरिक क अधिकारों का निलंबन का तात्पर्य उस अवधि के लिये उन अधिकारों का निलम्बन हो जाना है।"

अर्थात् यह तर्क किया गया था कि यदि कोई उपचार नहीं है तो उसके तात्पर्य यह है कि अधिकार भी नहीं हैं। निर्णय में यह कहा गया है कि "कि हम इस प्रश्न पर वर्तमान अपील में निर्णय नहीं करना चाहते हैं। अतः यह कहना कि इस प्रकार के प्रश्न का उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अधिकार बने रहते हैं। अतः उनका उल्लंघन करना संविधान का उल्लंघन करना है। यह एक ऐसा निर्णय था जिसे न्यायाधीशों ने देना उचित नहीं समझा।

निर्णय में आगे यह भी कहा गया है कि हम आवेदकों के हित में यह बात मान लेते हैं कि उक्त अधिकार कायम हैं और इस धारणा पर हम वर्तमान अपीलों में उठायी गई बातों पर विचार करेंगे। यह ज्ञात होगा कि राष्ट्रपति का आदेश विधान सभाओं और कार्यपालिका के क्षेत्र को व्यापक नहीं कर सकता है। इससे केवल न्यायालय से कुछ राहत पाने के अधिकार का इस आधार पर निलम्बन होता है कि भाग ३ के द्वारा दिये गये अधिकार का इसलिये उल्लंघन हो जाता है कि वे अधिकार आदेश में उल्लिखित किये गये थे। इस स्थिति का अनिवार्य नतीजा यह होता है कि जैसे ही इस आदेश का प्रवर्तन अवरुद्ध हो जाये, तो अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध भले ही वह किसी भी कारण से किया गया हो, एक नागरिक न्यायालय में अपील कर सकता है।"

तथापि उनके कथन का तात्पर्य यही है कि जब यह प्रश्न उत्पन्न होगा तो वे इस पर विचार करेंगे तथा अपना निर्णय देंगे ।

यहां महाअधिवक्ता और एक न्यायाधीश की बात का भी उल्लेख किया गया है तथापि जो वास्तव में प्रभावी है और जो लागू होगा वह उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। न्यायाधीशों ने आगे जो कुछ कहा है उसका सारांश इस प्रकार है :

> "मुकदमे की सुनवाई के आरम्भ में महाअधिवक्ता ने यह सुझाव दिया कि क्या हिरासत में लिये गये व्यक्ति निरसन अधिनियम की वैधता को इस आधार पर चुनौती दे सकते हैं कि उन्हें अवैध तरीके पर हिरासत में लिया गया है। यदि वे यह सिद्ध करने में सफल हो जायें कि धारा ४९१ (१) (ख) के अधीन दिये गये आवेदन अनुच्छेद ३५९ (ज) के अधीन नहीं आते हैं तथा राष्ट्रपति के आदेश के तब उनकी शिकायतों के गुणों व अवगुणों पर विचार करने का समय आयेगा कि क्या उक्त संविहित उपबंध अवैध हैं।"

मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि धारा ३५९ (१) (ख) यहां पर लागू नहीं होती है और वे हिरासत के सम्बन्ध में वैधता की जांच कर सकते हैं। आप यह कह सकते हैं कि यह आदेश दुराशयता से भेजा गया था। यदि ऐसा है तो उच्चतम न्यायाय इस संविहित प्रश्न पर विचार करेगी कि क्या संविहित प्रश्न को अतिरिक्त प्रयोजनों लिये काम में लाया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय के इस प्रकार के निर्णय हैं कि जिनसे यह प्रतीत होता है कि यदि उचित मामलों में उन्हें उचित तरीके से समझा जाये तो वे वैध प्राधिकार के अधीन संविधि अधिनियम को आघात पहुंचाते हैं। इसका कारण शक्तियों का दुरुपयोग है ।

निर्णय में आगे यह भी कहा गया है कि "ऐसा प्रतीत होता है कि जहां तक अधिनियम के निरसित उपबंधों तथा नियमों का सम्बन्ध है, वे आवेदकों की इस बात का विरोध नहीं कर सके कि यह अधिनियम अनुच्छेद १४, २१, २२ (४) (५) तथा (७) का विरोध करता है ।"

इस उपबन्ध तथा अन्य उपबन्धों में कुछ अन्तर है। वस्तुतः यही अनुच्छेद ३५९ के अधीन एक और आदेश देने का कारण था। अनुच्छेद ३५९ का क्या उपयोग यदि उसके अधीन राष्ट्रपति के आदेश जारी किये जाने के बाद भी हम विभिन्न अनुच्छेदों का अनुसरण करना हो। अनुच्छेद ३५९ के अधीन कहा गया है कि हम उपचार का निलम्बन कर देते हैं। इस सम्बन्ध में महाअधिवक्ता ने यह कहा है :

"हमारा मत यह है कि हम निरसित अधिनियम को वैधता के बारे में कोई मत नहीं दे सकते हैं। यदि हम इस निर्णय पर पहुंचे कि राष्ट्रपति के आदेश से जो प्रतिबन्ध लगाया गया है, वह इस मामले में हिरासत में लिये गये व्यक्तियों के विरुद्ध जाता है। वस्तुतः मोहन चौधरी के मामले में भी न्यायालय ने यही रास्ता अपनाया था तथा हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि न्यायालय में यही उपयुक्त मार्ग अख्तियार कर सकता है।"

उच्च-न्यायालय ने स्पष्ट ही हमारे ऊपर ये सीमायें लगायी हैं तथापि इसके बावजूद भी माननीय सदस्य यह कहते हैं कि उन्होंने इस मामले का निपटारा कर लिया है। वे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने औचित्य और विधान के प्रतिकल निर्णय किया है।

[श्री हजरनवीस]

अब मैं संक्षेप में इस बात का जिक्र करूंगा कि इन शक्तियों का किस प्रकार उपयोग किया गया है। सरकार ने इन शक्तियों का उपयोग बहुत ही सावधानी के साथ किया है। पिछले दिनों हम पर यह आरोप लगाया गया कि हमने एक बहुत बड़े साम्यवादी जलूस निकालने की अनुमति दी। यह स्पष्ट है कि हम लोगों के लोकतंत्रात्मक अधिकारों पर हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि १ सितम्बर, १९६३ को हिरासत में लिये गये व्यक्तियों की संख्या ५६२ थी जिनमें साम्यवादी ३७८ हैं।

जहां तक समाज विरोधी तत्वों का सम्बन्ध है, उन पर १६१७ मुकदमें चलाये गये थे। तथापि इन शक्तियों का उपयोग उस समय किया गया जब बम्बई का सारा जीवन ठप्प करने का प्रयत्न किया जा रहा था। जब निगम के अधिकारी उनके साथ वार्ता करने को उत्सुक थे तो उन्होंने यह धमकी दी थी कि यदि आप हमारी मांगें स्वीकार नहीं करेंगे तो हम हड़ताल कर देंगे। समाज ऐसे तत्वों को स्वीकार नहीं कर सकती है। बम्बई देश का एक बहुत बड़ा केन्द्र है जहां से हमें युद्ध के लिये बहुत सामान प्राप्त होता है। निसंदेह इस सम्बन्ध में सरकार ने जो कार्य किया है वह बुरा नहीं है फिर भी हम प्रत्येक शिकायत पर ध्यान देने को तैयार हैं।

अतः जब तक हमारे देश को भीतरी या बाहरी खतरा है, तब तक हमारे पास ऐसी शक्तियां रहनी चाहियें जो प्रत्येक देश ऐसी स्थिति में अपने पास रखता है। यदि लोगों का जीवन निर्विरोध चल रहा है तो इसका तात्पर्य यही है कि सरकार ने इन शक्तियों का केवल आवश्यकता के समय ही उपयोग किया है। वस्तुतः यह लोकतंत्र की ही महिमा है कि श्री गोपालन हमसे हमारे कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी मांग सकते हैं और हम उन्हें स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड़) : मैंने अपने मूल भाषण में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया था। मुझे केवल यही कहना है कि निर्णय की भावना और शब्द वे नहीं हैं जैसा कि वे कह रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि इस अधिनियम से संविधान के अनुच्छेद १४ और २२ का उल्लंघन होता है तथा यह अधिनियम असंवैधानिक और शून है। उन्होंने यह कहा कि यद्यपि आवेदकों को हिरासत में रखना असंवैधानिक था तथा जिस विधि के अधीन यह कार्यवाही की गयी थी वह भी अवैध है। हिरासत में रखे गये व्यक्ति किसी न्यायालय के शरण नहीं जा सकते हैं क्योंकि अनुच्छेद ३५९ के द्वारा इसका कोई उपचार नहीं किया जा सकता है, इसी कारण उन्होंने उन्हें छोड़ने में अपनी असमर्थता प्रगट की है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर तथा भारत अधिवक्ता संस्था के आधार पर तथा अभिव्यक्त जनमत के आधार पर सरकार को चाहिये कि वह हिरासत में रखे गये व्यक्तियों को छोड़ देवें तथा निर्णय की भावना को देखते हुए नियमों में परिवर्तन करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

वस्तुतः स्थिति पिछले नवम्बर से बदल गयी है, और अब आपात को जारी रखना भी ठीक नहीं है। सरकार इसे अतिरिक्त कारणों से जारी रखना चाहती है। जिससे कि वे जिसे मन हो उसे पकड़ सकें और हिरासत में डाल सकें। वस्तुतः जहां तक समाज विरोधी तत्वों का संबंध है उनसे वे वर्तमान कानून के अधीन भी निपट सकते हैं।

सच्चाई तो यह है कि आपातकाल के आधार पर सरकार ने जो शक्तियां अपने हाथ में ली हैं, उनका काफी दुरुपयोग हुआ है। कुछ उपविभागीय मजिस्ट्रेटों ने कुछ लोगों को केवल इस कारण अपनी अदालतों में बुलवाया कि वे धन या सोने के रूप में राष्ट्रीय रक्षा कोष में चन्दा नहीं दे सके। इस संबंध में काफी साक्ष्य भी सरकार को दिये गये हैं तथापि सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है।

यदि देखा जाये तो राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इन नियमों का उपयोग किया जा रहा है। इससे जनता के नेताओं को पकड़ा जा रहा है तथा कामगरों की हड़तालों को तोड़ा जा रहा है।

सच्चाई यह है कि अब स्थिति बदल गयी है। इसलिये आपातकाल जारी रखने का कोई लाभ नहीं। इसलिये यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया जिससे कि देश की सुरक्षा को धब्बा लगता हो तो उसको देश की वर्तमान विधि के अधीन सजा दी जा सकती है।

अन्त में मेरा अनुरोध है कि भारत प्रतिरक्षा नियमों को रद्द कर दिया जाये, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से यही मत प्रकट होता है।

†अध्यक्ष महोदय: मैं श्री अ० क० गोपालन के संशोधन को मतदान के लिये रखता हूं। संशोधन इस प्रकार है :

> "इस सभा की यह राय है कि साम्यवादी दल और अनेक मजदूर संघों तथा अन्य संगठनों पर प्रहार करने की दृष्टि से भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अधीन प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है और यह सरकार से अनुरोध करती है कि भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन निरुद्ध किये गये सब राजनैतिक तथा जनता के नेताओं को रिहा कर दिया जाये"।

इस पर श्री स० मो० बनर्जी का संशोधन इस प्रकार है।

कि संकल्प के अन्त में यह शब्द जोड़े जायें :—

> "इलाहाबाद उच्च-न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रगट किये गये मतों के आधार पर"।

मैं पहले संशोधन पर मतदान लेता हूं।

लोक सभा में मतदान हुआ।

पक्ष में ३१। विपक्ष में १३५।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री गोपालन के संकल्प को मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"इस सभा की यह राय है कि साम्यवादी दल और अनेक मजदूर संघों तथा अन्य संगठनों पर प्रहार करने की दृष्टि से भारत प्रतिरक्षा एक्ट के अधीन प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है और यह सरकार से अनुरोध करती है कि भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन निरुद्ध किये गये सब राजनैतिक तथा जनता के नेताओं को रिहा कर दिया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में ३१। विपक्ष में १३५।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सशस्त्र सेनाओं के लिए निवृत्ति-वेतन के बारे में संकल्प

†श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"इस सभा की यह राय है कि सेना के जवानों, वायु सैनिकों और नौ-सैनिकों को मिलने वाली निवृत्ति-वेतन अपर्याप्त है और उसे बढ़ाया जाये"

जिस जवान या वैमानिक की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में हो जाए जिन का सेवा शर्तों से संबंध न हो, पेंशन केवन पांच वर्षों के लिए है। बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण के लिए कोई भत्ता नहीं दिया जाता। इसको ठीक करना चाहिए। युद्धजन्य असमर्थता पेंशन की व्यवस्था के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। युद्धजन्य असमर्थता के लिए पेंशन का दर सामान्य असमर्थता पेंशन से अधिक होना चाहिए।

जवानों के लिए पेंशन के दर बढ़ा देने चाहिए। मैं यह जानना चाहती हूं कि जवानों को कितनी नौकरी करनी पड़ती है कि उन को पेंशन मिल सके। क्या यह सच है कि उन को कम से कम १५ वर्ष की नौकरी करनी चाहिए।

असैनिक आदमियों के लिए कम से कम पेंशन की दर ३० रुपये प्रतिमास है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि उस जवान के लिए कम से कम पेंशन की दर क्या है जो सेवा शर्तों से भिन्न कारणों से अमान्य हो गया हो। क्या न्यूनतम पेंशन २० रुपये है या उस से कम ?

जवानों की मत्यु चाहे सेवा शर्तों के अनुसार हो या अन्यथा उन के बच्चों को भत्ता जरूर मिलना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करती हूं कि वे सेवा शर्तों को देखें और पेंशनों को पर्याप्त बढ़ाने के लिए कुछ कार्यवाही करें।

अफसरों और उन के परिवारों की पेंशन के नियम जवानों की विधवा पत्नी से भिन्न हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि अफसर की पत्नी को जीवन भर के लिए पेंशन मिलती है तो जवान की

---

†मूल अंग्रेजी में

पत्नी को भी जीवन भर के लिए पेंशन मिलनी चाहिए। दूसरे सभी विधवाओं के बच्चों के लिए भत्ता होना चाहिए।

इस समय जो पेंशन के दर हैं वे १०-१५ वर्ष से चल रहे हैं: अतः उनकी जांच की जानी चाहिए। कुछ देर पहले पेंशन में जो एक रुपए की वृद्धि की गई थी वह अपर्याप्त है। जवानों को उन की विधवा पत्नियों के लिए स्थायी सुरक्षा के बारे में आश्वासन चाहिए। असमर्थ व्यक्तियों को क्या सहायता दी जाए जो और उन लोगों की विधवा पत्नियों और बच्चों के लिये, जिन्होंने देश की प्रतिरक्षा के लिए जीवन देना है, क्या व्यवस्था की जाएगी ?

मनानीय प्रतिरक्षा मंत्री तीन बातों की जांच करें। पहले, पेंशन के मामले में अफसरों और जवानों के लिए एक से नियम होने चाहिए। दूसरे, असैनिक अधिकारियों और जवानों की पेंशनों में बराबरी होनी चाहिए। जवानों की विधवा पत्नियों को केवल पांच वर्ष की लिए ही पेंशन नहीं मिलनी चाहिए बल्कि जीवन भर के लिए बच्चों को भत्ता भी मिलना चाहिए। तीसरे, चीज यह है कि एक समिति बनाई जाए जो पेंशनों की दरों की जांच करे। पेंशन के स्तर में सामान्य वृद्धि होनी चाहिए। क्योंकि आर्थिक दृष्टि से जो पेंशन मिलती है उस पर निर्वाह करना कठिन है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"इस सभा की यह राय है कि सेना के जवानों, वायु सैनिकों और नौ-सैनिकों को मिलने वाली निवृत्ति वेतन अपर्याप्त है और उसे बढ़ाया जाये।"

इस पर संशोधनो की कुछ सूचनायें भी मिलीं हैं। एक श्री बनर्जी की है। क्या वे प्रस्तुत कर रहे हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : (कानपुर) : जी हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : दूसरा श्री रणजय सिंह और श्री श्रीनारायण दास का है। वे उपस्थित नहीं हैं। श्री बनर्जी अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

मैं श्रीमती शारदा मुकर्जी के संकल्प का स्वागत करता हूं। चूंकि यह संकल्प पेंशन के लाभों के के पुनरीक्षण के बारे में है, इस लिए मैं समझता हूं कि मंत्री शायद इसे स्वीकार न करें। इसीलिए मैं ने स्थानापन्न संकल्प रखा है जो कि माननीय मंत्री को मौका दे कि इस सारे प्रश्न पर विचार करने के लिए समिति बनाई जाए।

जवानों और अफसरों के वेतन, भत्तों और सेवा की शर्तों में काफी अन्तर है। कुछ तो अन्तर रहेगा परन्तु यह अधिक नहीं होना चाहिए।

पेंशन के लाभों के मुत्तलक त्यागी फार्मूले को पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया। यदि रघुरमैया समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से कार्यान्वित न किया गया हो तो उन्हें कार्यान्वित करना चाहिए।

फौजियों की विधवा पत्नियों को सारे जीवन के लिए पेंशन दी जानी चाहिए। यह कितने दुःख की बात होगी कि हमारी प्रतिरक्षा के लिए जीवन बलिदान करने वालों के परिवार सारी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० मो० बनर्जी]

आयु रोते रहें । फौजियों को इस बात का आश्वासन होना चाहिए कि यदि वे देश के लिए लड़ते मारे जायेंगे तो उन के परिवार भूखे नहीं मरेंगे ।

प्रतिरक्षा विभाग के असैनिक कर्मचारियों की सेवा-शर्तों का भी सुधार होना चाहिए । हथियार बनाने वाले कारखानों में जिन औद्योगिक मजदूरों ने ३० वर्ष से अधिक काम किया है उन का पेंशन प्राप्त करने का अधिकार नहीं है । ८० प्रतिशत मजदूरों के स्थायी बनाने के आदेश को कार्यान्वित नहीं किया गया है । यह कितने दुःख की बात है कि प्रतिरक्षा विभाग में १-८-४९ से पहले की सेवा पेंशन के लाभों के लिए नहीं गिनी जाती । माननीय मंत्री को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए । जब भी जवानों के पेंशन लाभों के प्रश्न पर विचार किया जाए तो प्रतिरक्षा स्थापना के २,५३,००० असैनिक कर्मचारियों का ख्याल रखा जाना चाहिए ।

माननीय मंत्री मेरे संकल्प को स्वीकार कर लें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मूल संकल्प और स्थानापन्न संकल्प दोनों सभा के सामने हैं ।

†**श्री जोकोम आलवा** (कनारा): जवानों, साधारण नाविकों, और वायु सेना के अधिकारियों के बारे में हमदर्दी भरा रवैया होना चाहिए । यह सभा उन्हें अधिक से अधिक धन देने के लिए तैयार है ।

उन के लिए आवास, चिकित्सा और अन्य कई सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा जाता । इन अधिकारियों के लिए अच्छे मकान होने चाहिएं ।

यदि कोई सिपाही अपना उत्तरदायित्व निभाते-निभाते मर जाता है तो उस की विधवा पत्नी को पेंशन अवश्य मिलनी चाहिए । सब से अधिक कुर्बानी एयरमैन की होती है । क्या उसे यह सोचते हुये मारना है कि उसकी मत्यु के बाद उसके बच्चे भूखे मरें । माननीय मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

वायु सेना के लोग भी जो देश की प्रतिरक्षा का ध्यान रखते हैं और जिन्होंने नेफा में बहुत अच्छा काम किया है और ध्यान दिया जाना चाहिये ।

प्रतिरक्षा बल के लोगों के बच्चों को स्कूलों, कालिजों आदि में दाखिले के लिए सुविधाएं होनी चाहिएं ।

प्रतिरक्षा बल के लोगों की पत्नियों और विधवाओं की ठीक देखभाल की जानी चाहिए । जो इस वर्ग पहले मंजूर किया गया था वह इस समय अपर्याप्त है ।

फौजी देश के लिए बहुत कुर्बानी करते हैं । देश के रक्षा के लिए वे अपने अंग भी खो बैठते हैं । उन को इतनी कुर्बानी के लिए उन को सुविधाएं मिलनी चाहियें । सभी फौज वाले जो नौकरी कर रहे हों चाहे सेवा निवृत्त हों, उनको डाक्टरी की और स्कूलों, कालिजों में, दाखिले की सुविधाएं मिलनी चाहिएं ।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तावक महोदया श्रीमती शारदा मुकर्जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव को ऐसे मौके पर सदन में प्रस्तुत किया

---

†मूल अंग्रेजी में

है जब उस के लिए बिल्कुल ठीक अवसर जान पड़ता है । इस देश की और इस सदन की नैतिक जिम्मेदारी है कि जो लोग हमारी सेनाओं में लड़ते हैं या जो सेनाओं में काम करते हैं उन्हें इस बात का अवसर प्रदान किया जाय कि वे अपने भविष्य की चिन्ता न करें। लेकिन जैसाकि कई माननीय सदस्यों ने बतलाया है और हम को तजुर्बा है कि उन की स्थिति क्या है । आप को देखना चाहिये कि फौजों में काम करने वाले जवानों की दशा आज क्या है जो लोग हमारी सेनाओं में लड़ते हैं और जो हमारी सेनाओं के अफसर हैं उन के रहन सहन में जमीन आसमान का अन्तर है । यही नहीं कि केवल उन के भविष्य की चिन्ता की जाय बल्कि हमारी सेनाओं के पुनर्गठन के ऊपर भी विचार किया जाना चाहिये ।

मुझे मालूम है कि कुछ सैनिक अफसर लोग बाहर के मुल्कों में सैनिकों से बिल्कुल अलग रहते हैं । यहां तक कि हिन्दुस्तान के सैनिक अफसरों ने बाहर के मुल्कों में सैनिकों के साथ भोजन करने से भी इन्कार कर दिया था । वहां पर इसका बड़ा मजाक उड़ाया जाता है । जब तक इस तरह का भेद-भाव कायम रहेगा तब तक इस देश में सेनाओं का नैतिक बल ऊंचा नहीं किया जा सकता है । यह जरूरी है कि मारे देश के सैनिक, हमारे देश के सिफाही इस बात को समझें कि वे रहें या न रहें, हिन्दुस्तान की जनता उन की चिन्ता के लिये मौजूद है, यहां के लोग उन की चिन्ता करने के लिये मौजूद हैं । जब तक ऐसी अवस्था हमारे फौजों में नहीं होगी, जब तक इस तरह के भाव उन के अन्दर नहीं पैदा होंगे, तब तक उन को ठीक से लड़ाया नहीं जा सकता । मुझे मालूम है कि कितना बड़ा युद्ध हमारे ऊपर आया है । मैं ने बहुत से सैनिकों से जा कर बातचीत की । उन से पूछा तो वे कहते हैं कि क्या करें. हम पेट के लिये नौकरी पर जा रहे हैं। उन्हें देश की चिन्ता नहीं, भविष्य की चिन्ता नहीं । वे समझते हैं कि वे फौजों में जायेंगे तो मरेंगे । वे यह भी सब समझते हैं कि उन के मरने के बाद उनकी औलादों को उन के बीबी बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है । फिर भी वे जाते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि सिर्फ बहस इस बात की नहीं है उन की पेंशनों को और बढ़ाया जाय, उनकी सुविधायें बढ़ाई जायें । बल्कि यह भी भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारी फौजों का पुनर्गगठन किया जाय ।

अन्य मुल्कों की फौजों को देखिये उनके काम को देखिये तो हमारे यहां से बहुत अधिक अन्तर पायेंगे हमारे यहां फौजियों की कोई शिक्षा नहीं, उन के यहां कोई उत्साह नहीं । यों ही वे भर लिये जाते हैं और भरने के बाद गाजर मूली की तरह से उन को फौजों में डाल दिया जाता है। उन के अन्दर कोई चेतना नहीं पैदा की जाती, उन के अन्दर कोई उत्साह पैदा नहीं किया जाता, उन्हें मालूम नहीं होता कि व रहें या न रहें, मगर उन के बालबच्चों की चिन्ता करने वाला कोई है ।

इस लिये जैसा श्री एस० एम० बनर्जी ने कहा है. इस के लिये कमेटी बनाई जाय, जांच की जाय और देखा जाय कि दरअस्ल उन सेनाओं में जो लोग अपाहिज हो जाते हैं, लं हो जाते हैं, लूले हो जाते हैं. मारे जाते हैं । उन के परिवार का किस तरह से काम च ाया जाय। मुझे मालूम है कि मेरे ही जिले के एक गांव से हजारों सैनिक आज भी मोर्चे पर हैं और जाते रहते हैं। लेकिन अगर देखा जाय तो नैनीताल में जा कर वे पड़े हुए हैं। उन को थोड़ी सी जमीने दे दी गई हैं. कुछ उन को कर्ज दे दिया जाता है । वे बेचारे न खेती कर पाते हैं न उन को ज्यादा कर्ज दिया जाता है । परिवार होने से पहले कर्ज की वसूलियां शुरू हो जाती हैं। नतीजा यह होता है कि हजारों लोग जिन को नैनीताल में जमीनें दी गई हैं. मारे मारे फिरते हैं। और उन के बीवी बच्चे भीख मांगते फिरते हैं। ऐसी दशा

[श्री सरजू पाण्डेय]

अगर कायम रहेगी तो लाजिमी तौर पर देश के अन्दर फौज का स्तर ऊंचा नहीं उठाया जा सकता ।

मेरा दूसरा निवेदन है कि यह जब हम फौजियों को ट्रेन करें, जब उन्हें शिक्षित करें, तो उन में यह भी प्रचार करना चाहिये कि वे किस काम के लिये हैं। उन में कुछ नैतिक शिक्षा भी होनी चाहिये जिससे वे देश के लिये लड़ सकें और मर सकें। उन चीजों का हमारी सेनाग में अभाव है । इसलिये हम को यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इस सदन को, इस विभाग को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जो लोग सेनाओं में हैं, जो लंगड़े, लूले और अपाहिज हैं हो जाते हैं उन के बीवी बच्चों के लिये सुविधायें प्रदान की जायेंगी । साथ ही उन में उत्साह भी पैदा करना होगा. उन में समझदारी पैदा करनी पड़ेगी कि उन के लिये देश में कोई चिन्ता करने वाला है ।

इसलिये इस सिलसिले में हमारे भाइयों ने जो सुझाव रक्खे हैं, उन के ऊपर बोल कर मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता । मैं इस का समर्थन करता हूं कि एक कमेटी फौरन बनाई जाय और उस की जांच की जाय और उन के लिये सुविधायें दी जायें । यह नहीं होना चाहिये कि मंत्री महोदय आश्वासन दिलादें कि ठीक है आप प्रस्ताव वापस ले लीजिये, मैं विचार करूंगा । विचार तो होते ही रहते हैं लेकिन विचार होते होते सदियां गुजर जाती हैं । यह मौका ऐसा है कि सरकार को ऐलान करना चाहिये कि इन फौजियों को, उन के बच्चों को काम दिलाने के लिये, उन की शिक्षा और रहाइश का इन्तजाम करने के लिये. कौन कौन से कदम उठाये जायेंगे । इस संकट काल में कुछ राज्यों में सुना गया है कि उनके बच्चों की फीसें माफ की गयी हैं. कुछ राज्यों में उनको कुछ जमीने भी दी गयीं हैं और कुछ अन्य सुविधायें दी गयी हैं, लेकिन इस से काम नहीं चलेगा। इस के लिए जरूरी है कि सरकार फौरन कदम उठावे और ऐलान करे कि ताकि सेना में उत्साह पैदा हो और वह देश के लिए अपनी जान कुर्बान करे ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

†**श्री अन्सार हरवानी** (बिसौली) : सैनिकों की तकलीफों की बातें करना कुछ और बात है और उनको अच्छी तरह से समझना और बात है । हम अपने सैनिकों की बहादुरी की बहुत प्रशंसा करते हैं, परन्तु उन की समस्याओं को अच्छी तरह से समझना चाहिए।

सैनिकों की रेंशन आदि बढ़ाने से खर्च में काफी वृद्धि हो जाएगी, परन्तु इन लोगों को सेवा निवृत्ति के बाद कुछ सुरक्षा की भावना रहनी चाहिए। इनको यह आश्वासन रहना चाहिए कि उनकी मृत्यु के बाद उन के परिवारों की सुरक्षा रहेगी। सैनिकों की सुरक्षा के लिए कोई कुर्बानी बड़ी नहीं है ।

आशा है कि माननीय प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री इस संकल्प को स्वीकार कर लेंगे और चीन और पाकिस्तान के साथ हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सिपाहियों को आशा और उत्साह का सन्देश देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती मुखर्जी को इस बात के लिये मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हम गरीबों के लिए, हमारा ख्याल कर के यह प्रस्ताव पेश किया है । खेतों में काम करने वाले लोगों, फौज में लड़ने वाले लोगों के हित के लिए वह यह चीज लायीं . . . .

अध्यक्ष महोदय : जब आप अपने को गरीब कहते हैं तो और लोग आपकी तरफ देख कर हंसते हैं। जब आप अपने को गरीब कहते हैं तो मेम्बरों का रिएक्शन क्या होता है यह आप देखें ।

श्री यशपाल सिंह : यह तो उन खानसामों की ड्रेस है जो कि उनके पीछे पीछे चलते हैं ।

तो मैं श्रीमती मुखर्जी को इसके लिये मुबारकबाद देता हूं कि वह लड़ने वालों का ख्याल कर के यह प्रस्ताव लायीं ।

दरअसल तो देश की आजादी वही लोग लाए हैं जो कि देश के लिए मरे हैं। उनकी इज्जत इसी तरह से हो सकती है कि जो इनके आश्रित हैं उन के लिए इन्तिजाम हो । हमारा देश इस मामले में सब से पीछे है। मैं ने एक सिपाही से बात की तो उस ने कहा कि जब मैं अपनी फैमिली से अलग रहता हूं तो मुझ २५ रुपया सेपेरेशन एलाउंस मिलता है, लेकिन जब मेजर साहब अपनी फैमिली से अलग रहते हैं तो उनको १२५ रुपया से रेशन एलाउंस मिलता है । आज भी हालत यह है कि एस० पी० के घोड़े के लिए जितना एलाऊंस. दिया जाता है, उससे कम पेंशन सिपाही को मिलती है । जो हमारे नौजवान लड़ कर मर जाते हैं उनके बच्चों के लिए उससे कम पेंशन मिलती है जो कि एस० पी० के घोड़े के लिए एलाउंस दिया जाता है । मेरा सुझाव है कि इस काम के लिए कोई कमेटी न बनायी जाए, बल्कि एक कानून बनाया जाए जिसके मुताबिक यह काम हो। अगर कमेटी बनेगी तो वही हालत होगी जो कि पोलिटिकल सफरर्स की हो रही है । जिस तरह से वहां भाई भतीजावाद चलता है वैसे ही यहां भी चलेगा । तो जो सिपाही मारे जाते हैं उनके आश्रितों के लिए कानून बनाया जाए जिसके अनुसार उनको पेंशन मिले । इन लोगों की कुर्बानी से ही आजादी आयी है और उन्हीं की कुर्बानी से यह पौधा सरसब्ज है । एक बार बिसमाके न कहा था :

"कौमों को बुनियादों में शहीदों का खून सीमेंट होता है।"

आजादी की बुनियाद हमारे जवान ही अपनी कुर्बानी से डालते हैं।

इस सदन में आज से पहले कई बार चर्चा आयी है और मैं ने भी यह कहा है कि आइ० एन० ए० के सिपाहियों का ९० लाख रुपया सरकार नहीं देती है । उनका ९० लाख रुपया सरकार हज़्म किए बैठी है । ये लोग नेता जी सुभाष बोस की आज्ञा पर इस देश के लिए कुर्बान होने को तैयार हुए थे। उन में से बहुत से मारे गए, बहुतों की हड्डियों तक का पता नहीं है, बहुतों का नाम पता नहीं है । सरकार और चीजों पर करोड़ों, अरबों रुपया और बगैर पूछ खर्च कर देती है । इसी सदन में दो दिन पहले बताया गया था कि एक अरब ३२ करोड़ रुपया इसलिए वापस कर लिया गया कि वह फौज में खर्च नहीं किया जा सका, वह सरप्लस था । लेकिन देश के लिए लड़ने वाले लोगों को यह ९० लाख रुपया नहीं दिया जा सका। अगर देश की आजादी को जिन्दा रखना है और

[श्री सरजू पाण्डेय]

दुश्मन का मुकाबला करना है तो इस प्रस्ताव के अनुसार जो श्रीमती मुखर्जी न पेश किया है उनकी पेंशनें और उनके ग्रेड्स बढ़ाएं जाएं। अगर हम यह सोचे कि इसके लिए एक कमेटी को और एन्क्वायरी हो, तो यह मसला सालों का हो जाएगा। आज तो सरकार को इस मसले पर फौरन गौर करना चाहिए और जो लोग शहीद हुए हैं उनके आश्रितों के लिए इन्तिजाम करना चाहिए। मैं एक फैमिली को जानता हूं, भगत सिंह की फैमिली को। भगत सिंह शहीद हुए, उन के चर्चा स्वर्ण सिंह विलायत से आए और जैसे ही उनको पार्टीशन की खबर मिली तो उन के दिल की धड़कन रुक गयी। इस फैमिली का कोई बच्चा नहीं है जिसने १०-११ साल की जेल न काटी हो। उनके आश्रितों मुश्किल से दस बारह बीघे जमीन पर खेती कर के अपनी गुजर करते हैं। भगत सिंह की समाधि के लिए दो लाख रुपए खर्च करन की बात कही गयी थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया और फीरोजपुर में उनकी समाधि नंगी पड़ी हुई है और उस पर धूल उड़ती है।

तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप देश की आजादी को कायम रखना चाहते हैं तो फौजियों की पेंशन बढ़ाइए, जो लोग शहीद हुए हैं उनके आश्रितों को पेंशन दीजिए और जिन लोगों को बड़ी-बड़ी तनखाहें मिल रही हैं, जैसे टाटा के जनरल मैनजर को ४८ हजार रुपया महीना तनख्वाह मिलती है या बिड़ला के यहां कुछ लोगों को बाईस-बाईस लाख सालाना तनख्वाह मिलती है, उसको कम किया जाए। गांधी जी के अनुसार मंत्रियों को पांच सौ से ज्यादा तनखाह न लेनी चाहिए और इस तरह जो रुपया बचे वह फौज के जवानों के आश्रितों को दिया जाए, जिन्होंने कि देश के लिए कुर्बानी दी है।

सरकार ने कहा था कि जिनके बच्चे शहीद हुए हैं उनके घरों पर बाकायदा मिनिस्टर लोग जाऐंगे लेकिन मैं अपने इलाके की बात जानता हूं, वे लोग मेरे रिश्तेदार हैं, १४ बच्चे जो कि ऊंची पोजीशंस पर थे शहीद हुए, लेकिन मिनिस्टर तो क्या तहसीलदार तक उनके घर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने नहीं गया। जो लोग शहीद हुए उन के लिये तो इससे अच्छी और मौत नहीं हो सकती थी। गीता में कहा गया है :

सुखिनः क्षत्रिया : पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम्

इसी तरह गीता में यह भी कहा गया है :

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्

यानी युद्ध में मरा जाएगा तो स्वर्ग को जाएगा और जीतेगा तो पृथ्वी पर राज्य करेगा। मगर ये लोग जो शहीद हुए इनको और कोई ख्वाहिश नहीं थी। ये तो सिर्फ देश की आजादी के लिए शहीद हुए। लेकिन इनके घर वालों की खबर लेने वाला कोई नहीं है। उनके भोजन वस्त्र का इंतिजाम नहीं किया जा रहा है। और कहा जाता है कि "इनके घरों पर मिनिस्टर जायेंगे। पंजाब में तो मिनिस्टर गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में १४ घरानों को मैं जनाता हूं जिनके यहांप कोई छोट से छोटा अफसर तक नहीं गया। यह चीजें हैं जिनकी कि तरफ ग़ौर कराना चाहिए। जवान जो कि फौज में भरती हो कर लड़ते हैं, देश की रक्षा की खातिर अपनी जान की बाज़ी लगाते हैं, सरकार जो उनकी हालत में सुधार करना चाहिए उनकी तनख्वाहों और पेंशनों आदि को बढ़ाने का एक ही कायदा है और वह यह

कि जो बड़े बड़े आदमी हैं जिनके कि पास अरबों रुपया है उन से रुपया लिया जा कर डिफेंस में लगाया जाय। छोटे तनख्वाहदारों से इसके लिए चंदा जरूरी नहीं है। छोट लोगों से रुपया न लिया जाये बल्कि जो बड़े बड़े अरबपति और करोड़पति हैं उन से इसके लिए रुपया लिया जाय और इस तरह से उन फौजी जवानों की तनख्वाह और पेंशनें बढ़ायी जायें।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान उन लोगों की तरफ, आकर्षित करना चाहता हूं जो कि न तो जमीन पर रहते हैं, न आसमान पर रहते हैं बल्कि समुद्र की लहर पर रहते हैं। कुल १,६००० आदमी हमारी नैवी में इस वक्त काम करते हैं जिनमें से १४५० आफिसर्स क्लास के हैं। अब उन आफिसर्स क्लास के बारे में तो कुछ कहना नहीं है लेकिन १४,५५० रेटिंगस के बारे में जरूर प्लीड करना चाहूंगा। जिनके कि सम्बन्ध में हमारी बहन का यह प्रस्ताव उपस्थित है।

रेटिंग्स में पार्टीशन के पहले बंगाल के लोग ज्यादा होते थे वे मुसलमान लोग होते थे। लेकिन अब अगर आप देखें तो रेटिंग्स में उन की तादाद कम हो गयी है। चूंकि उनको तनख्वाहें बहुत कम मिलती हैं इसलिए ज्यादा तादाद आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि पंजाब, यू० पी० बिहार और मध्य प्रदेश के लोगों की है। यहां के लोग रेटिंग्स में ज्यादा हो गये हैं। रेटिंग्स में १६ वर्ष की उम्र के लड़के भरती होते हैं। अगर १६–१८ वर्ष की उम्र के लड़के उसमें भरती न हों तो समुद्री हवा उन को मुआफिक नहीं हो सकती है और वहां पर काम नहीं कर सकते हैं। रेटिंग्स अपने घर से दूर, सूबे से दूर जहाज पर और समुद्र की लहर पर रहते हैं। लहरों पर काम करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि तीन, तीन महीने जहाज पर ही उनको बीत जाते हैं। सिवाये पानी के और कुछ वह देख नहीं पाते हैं। इसके अलावा जहाज की लाइफ कोई अच्छी लाइफ नहीं है। हमेशा धुंआ निकलता रहता है। काफी उसमें गरमी होती है। हमारे जहाज एयर कंडीशंड नहीं होते हैं। वहां इतनी गरमी होती है कि अगर सिविलियन लोग वहां पर जायें तो शायद ७ दिन से ज्यादा वह जहाज पर नहीं रह सकते हैं। इसके विपरीत जो आदमी आर्मी में होते हैं वे सिनेमा, थियटर आदि देख सकते हैं, शहर में इधर उधर घूम फिर भी सकते हैं। इसी तरह एयरफोर्स में जो आदमी भरती होते हैं, हवाई जहाज में काम करते हैं वह भी १२ घंटे मुतबातिर तो उड़ नहीं सकते हैं। तीन, चार घंट के बाद जमीन पर उतर जाते हैं। सिनेमा, थियेटर और शहर के अन्य मनोरंजन आदि से दिल बहलाव कर लिया करते हैं लेकिन जो आदमी पानी के जहाज़ पर है वह बेचारा कहां जायगा? उसके वास्ते तो बस वह ४०० फिट लम्बा और ८० फिट चौड़ा जहाज ही सब कुछ है। वही उसका सर्वस्व है। सिवाय पानी के वह कुछ देखता नहीं है।

यह देखा गया है कि १६ वर्ष की अवस्था से जबकि वह नेवी में भरती होते हैं, ४०, ५० वर्ष की अवस्था तक हमेशा समुद्र में ही रहते हैं। खारे पानी की आबोहवा उसको मिलती है। नतीजा यह होता है कि जब वह रेटिंग रिटायर होता है और जब वह पंजाब, बिहार या मध्यप्रदेश का आदमी घर पर आता है। वह खेती करने लायक नहीं रह जाता है। क्योंकि सारा जीवन उसका समुद्र की आबोहवा और खारे पानी में बीता है। रिटायर होकर जब वह सूखे देश में आता है तो उस को उस आबोहवा में अपने को ऐड-जस्ट करने के लिए ४, ५ साल लग जाते हैं और फल यह होता है कि वह ४,५ वर्ष मुश्किल से आगे जिंदा रह पाता है। थोड़े साल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके

[श्री रघुनाथ सिंह]

विपरीत जो आर्मी से रिटायर होता है वह ज्यादा दिन तक जीता रहता है और रेंटिग्स के मुकाबले सरकार से ज्यादा पेंशन लेता है । उसके बाद ऐयरफोर्स से रिटायर होने वाला आदमी भी उसके मुकाबले ज्यादा पेंशन लेता है। सबसे कम पेंशन अगर कोई फौज वाला लेता है तो यह रेंटिग्स ले पाते हैं। क्योंकि यह ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते हैं। उनका जीवन समुद्र के खारे पानी और धूप में रहते रहते सूख जाता है। अपेक्षाकृत कम दिन जिंदा रह पाता है। चूंकि वह खेती करने काबिल नहीं है, इसलिए वह उतनी कम पेंशन में अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। इसलिए मेरा अदब से निवेदन है कि यह जो १४,५०० आदमी हैं, यह कोई ज्यादा तादाद नहीं, और अगर हिसाब लगा कर देखेंगे तो आप पायेंगे कि चूंकि रिटायर होने के बाद यह ज्यादा साल तक जिंदा नहीं रह पाते हैं, इसलिए यह आर्मी के अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत कम पेंशन सरकार से ले पाते हैं। मेरा निवेदन है कि अगर औसतन रिटायरी के बाद ५ वर्ष का उनका जीवन होता है तो उनको पेंशन की शक्ल में इतना तो मिलना ही चाहिए जिससे वे कम से कम अपना पेट भर सकें। इसलिए ह्यूमैनिटी का तकाजा है कि सरकार उनके केस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे और उन रेंटिग्स के लिए जोकि समुद्र पर ४० साल तक काम करते हैं और रिटायर होने के बाद कुछ साल ही जिंदा रह पाते हैं, उनको जीवन यापन लायक पेंशन सरकार को देनी चाहिए। यह १४,५०० की तादाद भी कोई ज्यादा नहीं है। उनको पेंशन में कुछ अधिक बढ़ोत्री करने में सरकार को विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कम से कम इतनी पेंशन तो उन्हें दें ही जिससे वह आराम से मर सकें। ४-५ साल में उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है तो उतने अर्से वह कम से कम भूखा तो न मरे। अब इसके लिए अगर कोई कमिशन, कमेटी या कोई अन्य समिति बिठानी हो तो आप बैठायें लेकिन यह १४,५०० की तादाद कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है और उनके वास्ते आपको कोई न कोई समुचित व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मन्दसौर) : सेवानिवृत्त फौजियों को बहुत कम पेंशन दी जाती है। मेरे पास एक चौकीदार था। उसे ३ रुपये पेंशन मिलती थी। मुझे उसे प्रतिमास अपने जेब से १५ रुपये देने पड़ते थे। इतनी महंगाई में ३ रुपए से भला कोई निर्वाह कर सकता है।

पुराने जमाने में फौजियों को जागीरें मिला करती थीं। अब वे जागीरें भी ले ली गई हैं।

कुछ ऐसे सुझाव दिए जा रहे हैं कि फौजियों को भूमि उपहार के रूप में दी जाए। कुछ जगह तो राज्य सरकारों से भी बात की जा रही है। परन्तु दूसरी ओर 'संपदा' की परिभाषा देकर कानून बनाया जा रहा है जिससे सरकार रैयत की एक या दो बीघे भूमि भी ले सकती है। आप इन गरीब लोगों की भूमि क्यों लेना चाहते हैं?

†**श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह** (राजनन्दगांव): सेना, नौ सेना या वायु सेना सभी के पेंशन नियम अपर्याप्त हैं। इगलैंड, अमरीका और रूस में पिछले १५ वर्ष में वेतन क्रम और पेंशन नियमों का तीन बार पुनरीक्षण किया जा चुका है। दुर्भाग्यवश हम ने इस सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

निवृत्ति प्राप्त फौजियों की पैंशन कम ही नहीं है परन्तु उन्हें समय पर पैंशन नहीं मिलती है। इन हालतों का हमारी भर्त्ती पर प्रभाव पड़ता है। निवृत्ति प्राप्त सैनिकों के परिवारों को कोई सहायता और डाक्टरी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं।

पैंशन नियमों के लिए एक समिति स्थापित की जानी चाहिए। उसमें संसद् सदस्य भी होने चाहिएं। सैनिकों का वेतन और पैंशन निर्वाह लागत अनुक्रमणिका के अनुसार होना चाहिए। उनके साहस को कायम रखने के लिए यह आवश्यक है।

मेरे मित्र श्री त्रिवेदी ने कहा है कि पहले उन्हें जागीरें या जमीन दी जाती थीं मध्य-भारत और पंजाब में ऐसा किया जाता था। किन्तु भूमि सुधारों के बाद जागीरें हटा दी गई हैं और निवृत्ति वेतन नहीं बढ़ाये गये। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये।

में स्वयं चाहता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिये और सरकार को एक समिति नियुक्त करनी चाहिये। आपातकाल में इस पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिये। में श्रीमती शारदा मुकर्जी के संकल्प का हार्दिक समर्थन करता हूं।

श्री शिव नारायण (वांसी) : अध्यक्ष महोदय, में माननीय सदस्या, श्रीमती शारदा मुकर्जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे पवित्र रेजोल्यूशन को इस हाउस के सामने पेश किया।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आज धन्यवाद तक ही रहने दें, बाकी फिर कहें।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—जारी

(२) पश्चिमी बंगाल में खाद्य तथा चीनी की स्थिति

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं इस स्थगन प्रस्ताव को लेता हूं। मैं श्री बनर्जी से पूछना चाहूंगा कि यदि इसे ध्यान दिलाने की सूचना में परिवर्तित कर दिया जाये, तो क्या वे इसके लिए तैयार होंगे यदि मैंने इसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में ले लिया और बाद में इसकी मंजूरी नहीं दीं, तो मैं इसे ध्यान दिलाओ सूचना में परिवर्तित नहीं कर सकूंगा और माननीय सदस्य प्रश्न नहीं पूछ सकेंगे। अतः यदि माननीय सदस्यों को आपत्ति न हो, तो मैं इसे ध्यान दिलाओं सूचना में परिवर्तित कर सकता हूं।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैंने समाचारपत्रों में वह वक्तव्य पढ़ा है और इससे मुझे आश्चर्य हुआ है क्योंकि यदि पश्चिम बंगाल में ऐसी गम्भीर स्थिति होती, तो वहां के मुख्य मंत्री जो कि असैनिक संभरण के प्रभारी हैं, खाद्य स्थिति की ओर अवश्य हमारा ध्यान दिलाते। इसके अतिरिक्त, इस सदन में चर्चा हो चुकी है और किसी सदस्य ने पश्चिमी बंगाल की स्थिति के बारे में हमारा ध्यान नहीं दिलाया।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर): हमने कई बार आपका ध्यान दिलाया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० म० थामस : जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, पश्चिमी बंगाल का चीनी का कोटा २१,००० टन है, जो कि पिछले छः महीनों में पश्चिम बंगाल के मासिक चीनी कोटा पर आधारित है। राज्य की दो मिलों के थोड़े से कोटे को छोड़ कर, सारा कोटा उत्तर प्रदेश और बिहार की मिलों से आता है। राज्य सरकार १४,००० टन चीनी कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र के लिए और ७,००० टन जिलों में आवंटन के लिए निर्धारित करती है। औद्योगिक क्षेत्र में चीनी का वितरण उचित मूल्य दुकानों के द्वारा और जिलों में राशन दुकानों के द्वारा किया जाता है। उचित मूल्य दुकानें १६३० हैं। उत्सव के मौके के लिए पर्याप्त चीनी का प्रबन्ध करने के लिए राज्य सरकार को अगले ४ महीनों के आवंटनों की सूचना पहले ही दे दी गई थी।

३० अगस्त और १ अक्तूबर को आवंटन इस प्रकार थे :

३० अगस्त २४,९४८ टन

१ अक्तूबर १५,५८४ टन

इनमें दुर्गापूजा और कालीपूजा के लिए २१०० टन का कोटा शामिल था। चूंकि ये उत्सव आगे डाल दिये गये हैं, २१०० टन का उत्सव कोटा अब १ अक्तूबर और २२ अक्तूबर को दिया जायेगा। २२ अक्तूबर को हम १३,२३१ टन और देंगे। १ अक्तूबर का कोटा तुरन्त दिया जा रहा है।

स्थगन प्रस्ताव आने के बाद, हमने पूछताछ की है और पिछले सोमवार को कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र को दिये जाने वाले कोटे में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में मैं अब प्रत्येक वयस्क को प्रति सप्ताह ३०० ग्राम और बच्चे को २०० ग्राम दिया जा रहा है। यह कम नहीं है। अन्य क्षेत्रों में, अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति २५० ग्राम दिये जा रहे हैं।

कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र को छोड़ कर शहरी क्षेत्र में राशन का कोटा तीन श्रेणियों में बांटा गया है। अर्थात् "क" 'ख', और 'ग'। 'ग' श्रणी में एक व्यक्ति को २६० ग्राम प्रति सप्ताह मिलता है, अर्थात् ४० ग्राम कम, 'ख' वाले को २०० ग्राम और 'क' वाले को १५० ग्राम।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह सब कागज़ पर है।

†श्री अ० म० थामस : तो २४,००० टन प्रति मास का कोटा कहां चला जाता है।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : काले बाजार में।

†श्री अ० म० थामस : यह सब पहचानपत्रों के आधार पर जारी किया जाता है।

जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है, गेहूं की संभरण स्थिति में कोई कठिनाई नहीं है। यद्यपि चावल के सम्बन्ध में स्थिति इतनी आसान नहीं है, फिर भी किसी संकट का प्रश्न नहीं है। १९६३ में हमने १.५० लाख टन का वायदा किया था। हाल में हमने २०,००० टन और देने का निर्णय किया है। हमने २५,००० टन नेपाल से और १५,००० टन आंध्र प्रदेश से देने का भी प्रबन्ध किया है। १६ अगस्त, १९६३ को पश्चिम बंगाल सरकार के पास ३५,२००

---

†मूल अंग्रेजी में

टन स्टाक था। कुल उपलब्धता ८३,००० टन थी। इस के अतिरिक्त उसे १४,००० टन हम से मिलने हैं। जुलाई-अगस्त में चावल की निकासी २६,००० टन थी। इतनी दर से भी संभरण नवम्बर के अन्त तक के लिये काफी है। और फसल जो अब मंडी में आनी शुरू हो गई है पिछले साल से अच्छी है और इस से ग्रामीण क्षत्रों के दो महीने का काम चल जायेगा। अमीन फसल के भी अच्छा होने की आशा है। अतः पश्चिम बंगाल में चावल के संभरण की स्थिति दिसम्बर-जनवरी में आसान हो जायगी और अगले वर्ष आसान ही रहेगी।

गेहूं के बारे में पश्चिम बंगाल में आटा मिलों और उचित मूल्यों की सभी मांगें पूरी की जा रही हैं। अगस्त के अन्त तक, आटा मिलों को २२१,००० टन गेहूं जारी किया गया था और उचित मूल्य दुकानों, राशन की दुकानों और चक्की दुकानों को ४०६,४०० टन दिया गया।

वास्तव में, खाद्य के महानिदेशक इस समय कलकत्ता में हैं और हमने उन्हें निर्देश दिये हैं कि वे स्थिति मालूम करें और यदि पिछले दो तीन दिनों में कुछ परिवर्तन हुआ हो, तो हम क्या पग उठायें।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : सरकार ने इस बात के लिए क्या पग उठाये हैं, कि केन्द्र द्वारा जारी की गई चीनी और खाद्य राशन कार्ड धारियों को मिल सके और क्या पश्चिम बंगाल सरकार को निदेश दिये गये हैं कि भारत प्रतिरक्षा नियमों को सख्ती से प्रयोग किया जाय।

†**श्री अ० म० थामस** : हम ने पूछताछ की है कि अगस्त के मास में मिलों द्वारा २१,००० टन चीनी पश्चिमी बंगाल को भेजी गई थी और लगभग २,५०० टन ९ सितम्बर, १९६३ तक।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (सेरामपुर) : क्या यह कार्ड-धारियों तक पहुंच रही है ....

†**श्री अ० म० थामस** : पहुंचना ही चाहिये ; वर्तमान वितरण प्रबन्धों के अनुसार कारखाने केवल राज्य सरकार के मनोनीत व्यक्तियों को दे सकती है राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को कारखानों से मिलता है ?

दूसरे मामले के सम्बन्ध में, **अमृत बाजार पत्रिका** में एक समाचार छपा है :—

> "मुख्य मंत्री श्री पी० सी० सेन ने विरोधी पक्ष के इस आरोप का खंडन किया कि उत्तर बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों में चावल की कमी है। इन दुकानों से ६८ लाख लोग राशन ले रहे हैं, जब कि १९६१ में २१ लाख ले रहे थे।"

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : क्या पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने वस्तुतः एसा वक्तव्य दिया था ?

†**श्री अ० म० थामस** : टेलीफोन पर कुछ बातचीत हुई थी। वित्त मंत्री के वक्तव्य का मूलपाठ हमारे पास नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सत्य नहीं कि अधिकतर चीनी या गेहूं काले बाज़ार में चला जाता है और राशन की दुकानों में ये नहीं मिलते ? केन्द्रीय सरकार ने वितरण प्रणाली की क्या जांच की है ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री अ० म० थामस** : यह राज्य सरकार का मामला है। हम और क्या कर सकते हैं? वास्तव में ११,५७९ उचित मूल्य की दुकानें हैं। वितरण पहचानपत्रों के आधार पर किया जाता है।

†**श्री दाजी** : केवल ६८ लाख व्यक्ति राशन कार्डों पर लेते हैं, जब कि जन संख्या करोड़ों में है। इस का अर्थ है कि संभरण स्थिति पर्याप्त नहीं है। उत्सवों के लिये क्या विशेष कोटे दिये गये हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : चीनी के बारे में मैं विशेष कोटे बता चुका हूं। २ करोड़ लोग राशन ले सकते हैं, किन्तु केवल ६८ लाख लेते हैं।

†**श्री दाजी** : इस का अर्थ यह है कि दुकानों में खाद्यान्न नहीं है।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : राशन कार्ड हर एक व्यक्ति को मिल सकता है, किन्तु समुदाय के दुर्बल भाग ही इन्हें लेते हैं। जो लोग बाजार से ले सकते हैं या अपना प्रबन्ध करते हैं, राशन कार्ड नहीं लेते।

(३) कलकत्ता में कपड़े की कीमतों में वृद्धि

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : जैसा कि हम सदैव करते हैं, पूजा और दिवाली के त्योहारों के शुरू होने से पूर्व सरकार कलकत्ता में और पूर्वी क्षेत्र में कपड़े की उपलब्धता और मूल्य पर कड़ी निगरानी रखती है। थोक और पर्चून मंडियों के समाचारों और पश्चिम बंगाल सरकार की जानकारी के अनुसार यह प्रकट होता है कि स्थिति संतोषजनक है। इस बारे में हमने आज प्रातः उस सरकार के और कपड़ा आयुक्त के कार्यालय से पता लगाया है कि कपड़े के बारे में स्थिति संतोषजनक है। मैं सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार स्थिति पर निरन्तर नजर रख रही है। यदि किसी किसम के कपड़े की कमी या मूल्यों में वृद्धि देखने में आई, तो सरकार तुरन्त पग उठायेगी कि उत्पादन केन्द्रों से कलकत्ता क्षेत्र में निर्धारित मूल्यों पर कपड़ा भेजा जाये।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (सेरामपुर) : क्या यह सच है कि पूजा के मौके पर, खरीदारों को उन मूल्यों पर कपड़ा नहीं मिलता, जिन के कपड़ पर छाप होती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है, हमने पश्चिम बंगाल सरकार और अधिकारियों से मालूम किया है।

†**श्री रानेन सेन** (कलकत्ता-पूर्व) : क्या सरकार के पास दुकानों पर जांच करने की कोई व्यवस्था है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हर एक दुकान और हर एक कपड़े की जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

मौरिस कारें

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, ३० अगस्त, १९६३ को मैंने एक प्रश्न किया था कि एम्बेसेडर गाड़ी जो ब्रिटेन की मौरिस गाड़ी का काउंटरपार्ट है और जो

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा।

हिन्दुस्तान में बनती है उसकी यहां क्या कीमत है और मारिस कार की क्या कीमत है, और दोनों का कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या क्या है। सरकार की तरफ से मुझे बताया गया कि एम्बसेडर कार की कीमत १३७३२, रुपये ७३ नए पैसे हैं और उसका कास्ट आफ प्रोडक्शन १०३१४ रुपया है, और मारिस कार के बारे में आपने बताया था कि उस की इंग्लैंड में कीमत १०,८८० रुपया है। एम्बसेडर कार की कास्ट आफ प्रोडक्शन को देखा जाए और उसकी बेचने की कीमत को देखा जाए तो पता चलेगा कि इस पर करीब २२ परसेंट मुनाफा आता है। कास्ट आफ प्रोडक्शन के लिय झा कमीशन बिठाई गई थी और उसके पहले कास्ट एकाउटेंट की रिपोर्ट है कि हिन्दुस्तान मोटर्स कोई कास्ट एकाउंट का हिसाब नहीं रखती और न देने के लिये तैयार है। उसमें कहा गया है :

> "यह कम्पनी कोई लागत लेखे नहीं रखती। पर्याप्त उत्पादन आंकड़े रखे जाते हैं, किन्तु उनका समन्वय नहीं किया जाता। जिससे उत्पादन लागत निकाली जा सके। यथार्थ और आदर्श घंटों में भी समन्वय नहीं रखा जाता।"

यह कम्पनी चाहे जो कास्ट दिखलाती है और जो चाहे कीमत रखती है, यह इसकी स्वीट विल पर है।

यही नहीं, टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट को भी आप देखें। उसमें भी मजबूरी जाहिर की गई है कि यह कम्पनी कोई कास्ट एकाऊंट नहीं देती, इसलिए उनको उनकी ईमानदारी पर छोड़ दिया जाए, जितने चाहें दाम मुकर्रर करें और जितना चाहें मुनाफा लें।

मैंने देखा है कि जो मारिस की कीमत है इंगलैंड में, उस कीमत में डीलर का मुनाफा और मैन्युफैक्चरर का मुनाफा शामिल है। यहां डीलर को साढ़े १७ परसेंट से २५ परसेंट तक अलग मुनाफा दिया जाता है। इसके बारे में आपके टैरिफ कमीशन की सन् १९५६ की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कमीशन बहुत ज्यादा है। उनका कहना है कि साढ़े सात परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिये।

इसी सिलसिले में यहां चर्चा चली कि यह कारखाना जो हिन्दुस्तान मोटर्स का है और जो एम्बसेडर कार बनाता है यह एक छोटी कार बनाये क्योंकि हमारा देश गरीब है और बहुत आदमी बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकते।

कास्ट आफ प्रोडक्शन के बारे में आपने कहा कि पिछले पांच बरस में कुछ नहीं बढ़ा है, लेकिन आपकी ही रिपोर्ट से पता चलता है कि सन् १९६० में जो कास्ट आफ प्रोडक्शन था उससे इस साल ७०० रुपया ज्यादा है। आपने सप्लीमेंटरी प्रश्न के जवाब में बताया था कि चार बरस में कोई कास्ट आफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, लेकिन आपकी ही रिपोर्ट से पता चलता है कि ७०० रुपया अधिक कास्ट बढ़ गया। बिड़ला ने इतना रुपया कास्ट आफ प्रोडक्शन में बढ़ा लिया है।

आपको सौराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिखा था कि एक कम्पनी है जो एक गाड़ी बनाना चाहती है जो कि ३००० रुपए में बनेगी, चार व्हीलर होगी, और एक गैलन में ८५ मील जाएगी। इसमें लिखा है :

> "सौराष्ट्र सरकार ने बी० एम० डब्ल्यू० मोटोकूप इसैटा कारों के निर्माण के लिये भावनगर में छोटी कार फैक्ट्री और मोटरसाइकल फेक्टरी स्थापित करने के बारे में बेरिश मोटरेन वर्क मुचेन का प्रस्ताव भेजा है।"

[श्री सिंहासन सिंह]

और फरदर डिटेल दिया है। लेकिन उसको आपने नहीं माना। यह सब आपकी रिपोर्ट में है। सब चीज मैं यहां नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि उसमें ज्यादा समय लगेगा। इस चीज को पहले एप्रूव भी किया गया लेकिन आपके आने के बाद इस को शेल्व कर दिया गया। यह चीज पबलिक सेक्टर में बनने वाली थी लेकिन आगे नहीं चल पायी।

आपने कहीं बाहर यह स्टेटमेंट दिया है कि यह गलती हुई कि तीन कम्पनियों को मोटर बनाने की इजाजत दी गई : इसलिए कीमत ज्यादा आती है। अगर एक को ही इजाजत दी जाती तो शायद कम कीमत में कार पड़ती। अभी तीन कम्पनियां मोटर गाड़ियां बनाती हैं। हिन्दुस्तान मोटर्स, स्टेंडर्ड मोटर्स, और प्रीमियर आटोमोबाइल। अगर एक ही कम्पनी ६० हजार गाड़ियां बनाती तो कीमत कम हो सकती थी।

इसके अलावा आपने खुद कहा कि हिन्दुस्तान मोटर्स गाड़ियों का अधिक उत्पादन बढ़ा रही है। लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि बढ़ाने के बजाए उत्पादन घटा रही है। सन् १९६१ में इसका उत्पादन ११ हजार का था, सन् १९६२ में १३००० का रहा और सन् १९६३ के जून महीने तक का उत्पादन ४५०० है। और अगर उत्पादन का यही क्रम रहा तो साल में ९ हजार गाड़ियां बनेंगी, जबकि गाड़ियों की मांग इतनी ज्यादा है कि एक गाड़ी के लिए दो दो और तीन तीन साल तक इन्तिजार करना पड़ता है। जब इतनी मांग है तो बनाने वालों को गवर्नमेंट क्यों नहीं मजबूर करती कि ज्यादा बनावें। झा कमीशन की रिपोर्ट में यह दिया गया है कि पांच करोड़ के फारिन एक्सचेंज की सुविधा दी जाए तो गाड़ियों की कीमत बहुत कम हो सकती है। मेरा सुझाव है सरकार पांच करोड़ की सुविधा देकर सस्ती गाड़ियां बनावे। बिड़ला ने खुद आफर किया कि अगर उनको सुविधा दी जाए तो कम कीमत की गाड़ी बना सकते हैं। सन् १९६० में उन्होंने कहा कि कीमत ५०० रुपए कम हो जाएगी लेकिन हम देखते हैं कि कम करने के बजाय उसकी कीमत ७०० रुपए बढ़ा दी है और आज वह १४ हजार में बिक रही है जब कि सन् १९६१ में उसकी कीमत ११ हजार और कुछ रुपए थी। देश की जरूरत यह है कि गाड़ियां अधिक बनायी जाएं ताकि दाम कम हों, पर आज गाड़ियां कम बन रही हैं। और इसलिये दाम अधिक पड़ जाता है। मुनाफा न जाने किधर जाता है।

इस संबंध में मैं आपकी आज्ञा से एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो आदमी रखे हैं एक्सपर्ट और नान-एक्सपर्ट उनका रेशियो क्या है।

अब मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस कमीशन ने रिकमैन्ड किया कि हमारे हिन्दुस्तानियों को इस काम में ज्यादा ट्रेनिंग दी जाए ताकि हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो सके। इस संबंध में इस रिपोर्ट में यह लिखा है :

> "प्रशुल्क आयोग ने अपने प्रतिवेदनों में समुपयुक्त प्रशिक्षण योजना के महत्व पर जोर दिया है। अतः निर्माताओं द्वारा इस मंत्रणा को स्वीकार किया जाना निराशाजनक है। केवल टेलकोस का अपना पर्याप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम है। भारतीय कर्मगार का काम जर्मन कर्मगार से कम नहीं। प्रशिक्षण की ओर पर्याप्त ध्यान देने पर कुछ कमियां दूर हो सकती हैं।"

हमारी वेज कौस्ट्स काफी कम है और हमारे आदमी काफी ट्रेन्ड हो सकते हैं।

इस संबंध में मैं आप का ध्यान दिलाउं कि हिन्दुस्तान मोटर्स किस तरह से हमारे देश के हित के खिलाफ़ चलती है ? कितनी स्किल्ड लेबर और कितनी अनस्किल्ड लेबर उन्होंने रक्खी है

---

†मूल अंग्रेजी में

और कितनी स्किल्ड लेबर और कितनी अनस्किल्ड लेबर टेलको ने रखी है और तब आपको पता चल जायेगा कि किस तरफ उनका रुझान है ? कुछ आदमियों को कमवाने की तरफ उनका ध्यान है या देश के हित में गाड़ी अधिक से अधिक पैदा करके कम दाम में देने की तरफ उनका ध्यान है ?

अब सन १९६० में हिन्दुस्तान मोटर्स में कुल ५७७७ व्यक्ति काम करते थे। आप को यह पढ़ कर हैरत होगी कि उन में से स्किल्ड लेबर जहां ६०३ थे, सैमी-स्किल्ड १३८५ थे, अनस्किल्ड १९७१ थे, क्लैरिकल एण्ड सुपरवाइज़री ६४९ थे और अदर्स जिनका कि पता नहीं, कागज में होंगे, वह ५६९ थे जबकि इसके विपरीत टैलिको में जहां कि ३९२२ आदमी थे, करीब ४००० आदमी थे, उन में स्किल्ड २३१५ जबकि हिन्दुस्तान मोटर्स में स्किल्ड की तादाद केवल ६०३ थी। सैमी-स्किल्ड हिन्दुस्तान मोटर्स में जहां १३८५ थी वहां टैलिको में उनकी तादाद ४२४ है। इसी तरह से हिन्दुस्तान मोटर्स में अनस्किल्ड की तादाद जहां १९७१ थी वहां टैलिको में केवल ३६० है। सुपर-वाइज़री और क्लैरिकल में जहां उनकी तादाद ५४९ है टैलिको में उनकी तादाद ८०२ है। लेकिन अदर्स में जहां उनकी तादाद ५६९ है टैलिको की केवल २१ है ।

इससे जाहिर होता है कि वह स्किल्ड वर्कर्स ज्यादा नम्बर में लेकर अधिक से अधिक माल और अच्छा माल बना कर कम से कम दाम में देने की फिक्र मे है। अब जहां तक मुनाफा लेने की बात है, अधिक मुनाफा वह भी लेते है। अब मौरिस कम्पनी जो कि इंगलैण्ड में है उसका प्रोटोटाइप यहां हिन्दु-स्तान में है। आम रिपोर्ट में है कि हिन्दुस्तान मोटर्स की कार की कंज्युमर्स प्राइस बमुकाबले मौरिस ग्रौक्सफोर्ड के ३८ परसेंट ज्यादा है। हमारा ख्याल था कि शायद पचास परसेंट अधिक लेते होंगे। टाटा के बारे मे आपकी रिपोर्ट है कि टाटा पहले ६ परसेंट मुनाफा लेते थे लेकिन जब उन्होंने देखा कि दूसरे भाई ३८ परसेंट से कुछ कम नहीं करते तो उन्होंने सोचा कि फिर हम ही क्यों इतना कम प्राफिट लें और टाटाज़ ने ६ परसेंट से बढ़ाकर १५ और १७ परसेंट कर दिया। जब उन्होंने देखा कि बिड़लाज ३८ परसेंट ले रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि हम फिर मुनाफा ज्यादा लेने में क्यों पीछ रहें और उन्होंने भी १६-१७ परसेंट प्राफिट कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो रहा है।

श्री सिंहासन सिंह : मैं दस मिनट से ज्यादा अभी नहीं बोला हूंगा, वहरहाल मैं अभी खत्म किये देता हूं।

जहां तक कास्ट अकाउंटिंग का सवाल है आप उसकी तरफ क्यों नहीं जोर देते। आप को उनको मजबूर करना चाहिए कि वह कौस्ट एकाऊंटिंग का ठीक सिस्टम अपने वहां जारी करें। अब कम्पनी वाले कहते हैं कि हम हिसाब नहीं देंगे, जो कुछ आपको करना हो करिये। हम कोई फेयर प्राइस फिक्स नहीं करेंगे, जो कुछ करना हो करिये। अब अगर एसी मजबूरी किसी सरकार की हो तो हम देश के हित में जो इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस मामले में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं वह कैसे संभव हो सकेगा ?

अभी टाटाज़ ने ६००० में कार औफर की है, डी० के० डब्ल्यू ने ५००० में और महेन्द्रा ने ५००० में और किसी और एक कम्पनी ने ४००० में छोटी कार का औफर दिया है, अब अगर यह मैटीरियलाइज़ हो सके दो शायद हम गरीब लोगों को गाड़ी मिलने का मौका मिल सकता था। लेकिन मालूम ऐसा होता है कि सरकार का ध्यान बड़े बड़े मंत्रियों, सचिवों आदि की तरफ ज्यादा रहता है और हमारे जैसे गरीब की तरफ उसका ध्यान कम है। उसका ध्यान केवल बड़ी पूंजी वालों की तरफ है और यह कि बड़ी पूंजी कैसे आती है, किधर से आती है, भगवान ही जाने, लेकिन गाड़ी उधर ही चलती है। लेकिन क्या इस तरह से मोटर इण्डस्ट्रीज़ को हम पनपा सकेंगे ? आज कारें बनाने के काम की प्रगति धीमी है। १३००० साल

[श्री सिंहासन सिंह]

पर हम अभी तक नहीं पहुंच पाये हैं जबकि ६०,००० गाड़ियां देश में प्रतिवर्ष हम बनाना चाहेंगे। अभी हालत यह है कि २०,००० गाड़ियां भी नहीं बन पातीं हैं। बिड़ला साहब उनको कम ही करते जा रहे हैं। क्योंकि मनचाहे दाम उनको नहीं मिलते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर इन कारों के निर्माण की गति को बढ़ाने के लिए आपको कुछ फौरेन एक्सचेंज भी देना पड़े तो वह थोड़ा आप दे दें लेकिन उनको मजबूर करें कि वह कारों का निर्माण आज की अपेक्षा अधिक संख्या में करें।

इसी रिपोर्ट में है हिन्दुस्तान मोटर्स की मशीनें पुरानी हैं। वह नई लगाने को तैयार हैं। आप उनको इसके लिये फौरेन एक्सचेंज आदि की सुविधा दीजिये ताकि नई मशीनें वे लगा सकें और अधिक से अधिक काम हो और कारों का निर्माण जोकि अभी बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है उसमें तेजी आये ताकि हमें और आप को और सबको सस्ती कारें मिल सकें। क्योंकि जमाना बदलने वाला है और क्या कुछ हो जाये इसका पता नहीं है।

†**श्री हेडा** (निजामाबाद) : क्या सरकार निर्माताओं को विदेशी पुर्जों आदि के प्रयोग को कम करने तथा उन्हें आयात को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देगी ताकि उत्पादन बढ़ सके।

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : मैं इतने थोड़े समय में मोटर कार उद्योग के बारे में उठाई गई सब बातों का उत्तर नहीं दे सकूंगा। श्री सिंहासन सिंह ने हिन्दुस्तान मोटर्ज के बारे में आंकड़े दिये हैं। वास्तव में उन की कार के मूल्य, उस के आकार को देखते हुए 'फियट' या 'स्टैण्डर्ड, कार की तुलना में ठीक हैं। अतः उत्पादन लागत ब्रिटेन और अन्य देशों की तुलना में अधिक है। मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि यह अप्रवीण श्रमिकों को नियोजित करने के कारण होता है और उत्पादन मापदण्ड के अनुसार नहीं होता। मुझे यह स्पष्ट करना है कि मूल्यों का ढांचा क्या है, यह किस पर आधारित है और हाल में इस में वृद्धि हुई है या नहीं।

१९५६ में कारखाने के बाहर, 'एम्बैसेडर' कार का मूल्य ८३०८ रुपये था। इसके बाद प्रशुल्क आयोग ने १९५७–५८ में जांच के बाद इस का मूल्य ९२२४ रूपये निर्धारित किया और कारखाने के बाहर दुकानदार मूल्य १०,१४६ रुपये निश्चित किया गया था। १९५८ में निर्माताओं ने १२४६ रुपये की वृद्धि की मांग की थी, क्योंकि उत्पादन व्यय बढ़ गया था। इस का अनुमान लगाया गया था और सरकार ने केवल ३०० रुपये की वृद्धि की अनुमति दी, अर्थात १९५७ में मूल्य ९२२४ रुपये से बढ़ा कर ९५२४ रुपये कर दिया गया था इसके बाद उत्पादन के आधार पर कोई वृद्धि नहीं की गई। ९५२४ रुपये उत्पादन लागत के मूल्य के आधार पर कारखाने के बाहर दुकानदार मूल्य १०४७६ रुपये निश्चित किया गया था। अब दुकानदार मूल्य १२,६७९ रुपये हैं। यह वृद्धि शुल्कों उत्पादन शुल्क तथा सीमा शु क आदि में वृद्धि के कारण की गई है। अतः १९५९ के बाद विक्रेता मूल्य में जो वृद्धि हुई है, वह इन शुल्कों में वृद्धि के करण हुई है। अब उन्होंने फिर मांग की है कि उन्हें कुछ अधिक मूल्य मिलना चाहिये क्योंकि उत्पादन लागत बढ़ गई है। हाल में उत्पादन लागत जांच की गई है और वह प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है। इस के बाद हम निर्णय करेंगे कि क्या वृद्धि की अनुमति दी जाये।

हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कारों में अधिकाधिक देशी पुर्जे प्रयोग किये जायें और हम ने १९६४ के अन्त तक ९० प्रतिशत देशी पुर्जों का लक्ष्य रखा है, ये पुर्जे विभिन्न सहायक उद्योगों में तैयार किये जाते हैं। इसलिए इन निर्माताओं को ये पुर्जे इनसे खरीदने के लिए कहा जाता है। दुर्भाग्यवश इनका मूल्य विदेशी पुर्जों से अधिक होता है, क्योंकि इनकी उत्पादन लागत अन्य देशों की तुलना में अधिक होती है। इनकी संख्या भी कम

होती है इसलिए परिव्यय अधिक होता है। जब हम अधिक देशी पुर्जे इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, तो उस हद तक उत्पादन व्यय बढ़ जाता है। अब तक ८० प्रतिशत देशी पुर्जे प्रयोग होने लगे हैं। ये एम्बैसेडर कार के मामले में हैं। किन्तु मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि इस वर्ष के अन्त से पूर्व ९० प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा। वे जितना माल स्थानीय जरियों से ले रहे हैं, उसको देखते हुए, हमें निर्माताओं को मूल्य में वृद्धि देनी पड़ेगी ।

पूछा गया था कि इस का मूल्य ब्रिटेन में मौरिस कार की तुलना में कितना है। एम्बैसेडर कार मौरिस कार का नमूना है। प्रशुल्क आयोग ने जांच कर के देखा था कि उत्पादन लागत वहां से ३८ प्रतिशत अधिक है। इस समय हिन्दुस्तान मोटर्ज के आंकड़ों के अनुसार, मौरिस (डीलाक्स) कार का मूल्य ब्रिटेन में ६३३ पौण्ड अर्थात ८४८२, जिसमें क्रय मूल्य सम्मिलित नहीं है। इस आधार पर एम्बैसेडर कार का मूल्य ब्रिटेन में मॉरिस कार के मूल्य से २५ प्रतिशत अधिक है। किन्तु यह ६३३ पौण्ड का मूल्य मॉरिस (डीलक्स) माडल का है। हिन्दुस्तान मोटर्स का दावा है कि एम्बैसेडर कार मोरिस (डीलक्स) कार के बराबर है। यदि हम एक साधारण मोरिस कार लें, डीलक्स नहीं, तो एम्बैसेडर का उत्पादन व्यय ३३ प्रतिशत अधिक है। अतः यह केवल तुलना करने का प्रश्न है।

फिर यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या उत्पादन नहीं बढ़ा सकते ताकि उत्पादन व्यय कम किया जा सके। यह यहां बनाई जाने वाली कारों की संख्या बढ़ाने के लिए सामान आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा आवंटित करने का प्रश्न है। इन सब वर्षों में हमने वाणिज्यिक गाड़ियों के उत्पादन को प्राथमिकता दी है। इसके लिए विदेशी मुद्रा भी दी है और कारों के उत्पादन को कम प्राथमिकता दी है। अतः उत्पादन बढ़ाने के लिए सामान आयात करने के लिए हमारे लिए विदेशी मुद्रा देना संभव नहीं था। हाल में कारों के उत्पादन में काफी कमी हुई है। यह इसलिये कि विदेशी पुर्जे अभी आयात किये जाने होते हैं। पुर्जों के आयात में इसलिए कमी हुई, क्योंकि विदेशी मुद्रा नहीं मिलती और पुर्जो की कमी के कारण कारों के उत्पादन में भी कमी हुई है।

जुलाई अगस्त में, चूंकि साथ लगाये जाने वाले पुर्जे उपलब्ध नहीं थे इस लिए उन्हें एम्बैसेडर कार का उत्पादन बिल्कुल बन्द करना पड़ा था हम ने फिर विदेशी मुद्रा दे दी है, इसलिये आशा है कि सितम्बर से यह उत्पादन फिर शुरू हो जायेगा।

चूंकि कारों के उत्पादन की प्राथमिकता कम है, इसलिए हम इसके लिए उतनी विदेशी मुद्रा नहीं दे सकते, जितनी कि हम देना चाहें।

जहां तक आर्थिक एकक का संबंध है, यह सामान्यतया समझा जाता है कि एक लाख उत्पादन वाला एकक आर्थिक एकक होगा। कुछ कहते हैं कि संख्या ६०,००० है, फिर भी यह हमारे उत्पाद से बहुत अधिक है। जब तक हमारा उत्पादन इतना न बढ़ जाये, तब तक लागत बढ़ाना संभव नहीं होगा, ताकि इसकी तुलना अन्य देशों के साथ व्यय से की जा सके। हमारी वास्तविक कठिनाई यही है।

†श्री हेडा : यहां के संयन्त्र की क्षमता क्या है?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यदि क्षमता बढ़ाई जानी है, तो उस हद तक हमें पूंजी सामान आयात करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें विदेशी मुद्रा देनी पड़ेगी, किन्तु यह विदेशी मुद्रा हमारे पास नहीं है ।

†श्री हेडा : मैं वर्तमान क्षमता जानना चाहता हूं।

इस के पश्चात् लोक-सभा की बैठक २१ सितम्बर, १९६३/३० भाद्र, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[दैनिक संक्षेपिका]

{शुक्रवार, २० सितम्बर, १९६३ / २९ भाद्र, १८८५ (शक)}

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३५०७—३२
तारांकित प्रश्न संख्या		
७८२	इस्पात उद्योग का विनियंत्रण . . .	३५०७–०९
७८३	चश्मा कांच कारखाना	३५०९–१०
७८४	सहकारी संस्थाओं को निर्यात तथा आयात के लाइसेंस .	३५१०–११
७८५	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा किये गये ठेके	३५१२–१३
७८७	बिहार में मशीनें तैयार करने का कारखाना .	३५१३—१५
७८९	कलकत्ता में व्यापार गृहों पर छापा .	३५१५–१६
७९०	ट्रेक्टरों का निर्माण . . .	३५१७—१९
७९२	लौह अयस्क के मूल्य	३५१९—२१
७९३	हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात . .	३५२१—२४
७९४	कागज तथा गत्ते का उत्पादन .	३५२४—२६
७९५	औषधि उद्योग .	३५२६–२७
७९६	आयात की गई वस्तुएं . . .	३५२८
७९७	इस्पात कारखानों में वैज्ञानिक लागत गणना प्रणाली	३५२८–२९
७९८	मतपत्रियों का मुद्रण	३५२९—३२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१२	चांदमारी क्षेत्र . .	३५३२–३३
१३	छोटी सिंचाई योजनाएं .	३५३३—३६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३५३६—६३
तारांकित प्रश्न संख्या		
७८६	काफी का निर्यात	३५३६—३७
७८८	दुकानों में मूल्य सूचियों का लगाया जाना . .	३५३७
७९१	सामान के प्रबन्ध का तरीका	३५३७—३८
७९९	महाराष्ट्र में बिजली के करघों वाले कारखाने	३५३८
८००	भारतीय पटसन मिल संघ . .	३५३८—३९
८०१	पिम्परी में स्ट्रेप्टोमाइसीन का निर्माण	३५३९
९०२	भारतीय निर्यात .	३५३९
८०३	छोटे ट्रैक्टर	३५४०
८०४	परिशोधित स्पिरिट . . .	३५४०
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२२१८	उड़ीसा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड . . .	३५४०—४१
२२१९	उड़ीसा में मिट्टी के बर्तन बनाने का कुटीर उद्योग .	३५४१
२२२०	लघु उद्योग निगम, उड़ीसा . . .	३५४१
२२२१	उड़ीसा में खादी का उत्पादन . . .	३५४१
२२२२	रूरकेला इस्पात संयंत्र	३५४१—४२
२२२३	भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुएं . . .	३५४२
२२२४	"नीरा" का उत्पादन . .	३५४२
२२२५	उड़ीसा में काटन मिलें . . .	३५४२—४३
२२२६	उड़ीसा में भारी इंजीनियरिंग परियोजनायें .	३५४३
२२२७	उड़ीसा में भारी उद्योग . . .	३५४३—४४
२२२८	कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का प्रशिक्षण .	३५४४
२२२९	हथकरघे का कपड़ा .	३५४४
२२३०	सूडान को वेल्लित इस्पात का संभरण . .	३५४५
२२३१	हाथ से बना कागज .	३५४५
२२३२	आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक लाइसेंस . .	३५४५
२२३३	आन्ध्र प्रदेश में रेशम . .	३५४५—४६
२२३४	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, आन्ध्र प्रदेश . . .	३५४६
२२३५	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र . . .	३५४६
२२३६	केरल के पर्वतीय क्षेत्रों का औद्योगिक सर्वेक्षण . .	३५४६

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या :

२२३७	केरल का ग्राम्य उद्योगीकरण	३५४७
२२३८	अमरीकी मक्का का आयात	३५४७
२२३९	दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिए डीजल इंजन . .	३५४७
२२४०	इस्पात कारखानों द्वारा रद्दी लोहे और इस्पात का बेचा जाना	३५४७–४८
२२४१	उत्तर प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां	३५४८
२२४२	मंगलौर में अनानास रेशा अनुसंधान केन्द्र . .	३५४८–४९
२२४३	आविश्कार संविर्धन बोर्ड .	३५४९
२२४४	भिलाई इस्पात कारखाना . .	३५४९–५०
२२४५	राची में हतिया में गोदाम . . .	३५५०
२२४६	कलकत्ता के लिए दुर्गापुर की गैस . . .	३५५०–५१
२२४७	शीशा तथा कच्छा लोहा संबंधी एकीकृत परियोजनायें	३५५१
२२४८	पश्चिमी बंगाल में सीमेंट का कारखाना . .	३५५१–५२
२२४९	अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड .	३५५२
२२५०	इस्पात का विक्रय मूल्य . .	३५५२
२२५१	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पास विमान .	३५५२
२२५२	सरकारी उपक्रमों के विमान . .	३५५२–५३
२२५३	कम्पनियों पर जुर्माना करना .	३५५३
२२५४	सीमान्त क्षेत्रों में खोदी आयोग . . .	३५५३
२२५५	हिज मास्टर्स वायस कम्पनी	३५५४
२२५६	राज्य व्यापार निगम द्वारा मोटर टायरों का आयात . .	३५५४—५५
२२५७	कोठागुडम में भारी उद्योग . .	३५५५
२२५८	दिल्ली में विद्युत् करघे	३५५५–५६
२२५९	लौह अयस्क का निर्यात . .	३५५६
२२६०	तम्बू तथा दली कारखाना . . .	३५५७
२२६१	सरकार द्वारा घड़ियों की खरीद . .	३५५७
२२६२	केरल के लिये सीमेंट का अभ्यंश . .	३५५७–५८
२२६३	नामरूप उर्वरक परियोजना .	३५५८
२२६४	भिलाई इस्पात कारखाना . .	३५५८–५९
२२६५	श्रेणी २ के पुस्तकालय के पद .	३५५९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित

प्रश्न संख्या—क्रमशः

२२६६ बुनकर सेवा संस्थायें . ३५५९–६०

२२६७ अखिल भारतीय हथकरघा बुनकर कांग्रेस ३५६०–६१

२२६८ प्रदर्शनी निदेशालय में सहायक निदेशक ३५६१

२२६९ हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटैड, भोपाल . ३५६१

२२७० उड़ीसा में अखबारी कागज का कारखाना . . ३५६२

२२७१ उड़ीसा में लोहे का उत्पादन ३५६२

२२७२ रूस के लिये भारतीय सिगरेट . ३५६२–६३

२२७३ जम्मू तथा काश्मीर के लिये नालीदार लोहे की चादरें ३५६३

स्थगन प्रस्ताव और ध्यान दिलाने के प्रस्ताव की सूचना के बारे में ३५६३–६४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३५६४—६६, ३६०९–१२

(१) श्री स० मो० बनर्जी ने पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के निकट चांगसारी स्टेशन यार्ड में एक माल डिब्बे से गेलेटाइन के आठ वक्सों की कथित चोरी की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया ।

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

(२) श्री स० मो० बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में चीनी तथा खाद्य की स्थिति की ओर खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान दिलाया ।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ऊ० म० थामस) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

(३) श्री दीनेन भट्टाचार्य ने कलकत्त में कपड़े की कीमतों में वृद्धि की ओर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री का ध्यान दिलाया ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ३५६७—६९

(१) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) आग बुझाने के उपकरण का निर्माण करने वाले कारखानों की मूल्य नीति के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६२) ।

(ख) दिनांक २४ जुलाई, १९६३ का सरकारी संकल्प संख्या ई०ई०आई —१५(४)/६० (ए०ई०आई)

(ग) ऊपर (क) और (ख) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक एक प्रति उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि के भीतर सभापटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण ।

(२) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९—क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत, वर्ष १९६२—६३ के लिये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त कम्पनी के कार्य-संचालन के बारे में सरकार की समीक्षा ।

(३) विभिन्न सत्रों में जो, प्रत्येक के सामने बताये गये हैं, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई बताने वाले निम्नलिखित विवरण :—

(एक) विवरण संख्या १ पांचवां सत्र, १९६३ (तीसरी लोक सभा)

(दो) अनुपूरक विवरण सख्या ४ चौथा सत्र, १९६३ (तीसरी लोक सभा)

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ८ तीसरा सत्र १९६२—६३ (तीसरी लोक सभा)

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १० दूसरा सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या १३ पहला सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)

(छै) अनुपूरक विवरण संख्या १२ चौदहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक-सभा)

(सात) अनुपूरक विवरण संख्या २१ तेरहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक-सभा)

(आठ) अनुपूरक विवरण संख्या १५ बारहवां सत्र, १९६० (दूसरी लोक-सभा)

(४) वर्ष १९६१-६२ के लिये चाय बोर्ड के लेखे सै लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(५) भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार को वार्षिक प्रतिवेदन १९६३ (भाग २) की प्रति एक ।

(६) पटसन उद्योग के बारे में केन्द्रीय मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

प्राक्कलन समिति के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखे गये ३५६९

प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के वे उत्तर बताने वाले चार विवरण, जो सम्बन्धित प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये जाने के लिये सरकार द्वारा समय पर नहीं दिये गये थे, सभा पटल पर रखे गये ।

विषय पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के कार्यवाही सारांश—सभा-पटल पर रखे गये . . ३५६९

वर्तमान अधिवेशन में हुई बैठकों (बाईसवीं से छब्बीसवीं) के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखे गये ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य—सभा पटल पर रखा गवा ३५६९

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) ने सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में उचित और औद्योगिक प्रबन्ध प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिये की जाने वाली और कार्यवाही के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य ३५६९—७०

खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) ने गौहाटी तेल शोधक कारखाने के कार्य-संचालन के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

नेफा जांच के बारे में चर्चा तथा हमारी प्रतिरक्षा तैयारी के बारे में प्रस्ताव ३५७१—९२

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने नेफा जांच के बारे में १९ सितम्बर, १९६३ को स्वयं उठायी गई चर्चा पर अपना भाषण समाप्त किया ।

श्री भक्त दर्शन ने प्रस्ताव किया कि यह सभा ९ सितम्बर, १९६३ को प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा "हमारी प्रतिरक्षा तैयारी" के बारे में दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है ।

संयुक्त चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत ३५९२

छब्बीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया ।

गैर सरकारी सदस्य का संकल्प—अस्वीकृत . . ३५९२—३६००

२७ अप्रैल, १९६३ को श्री अ० क० गोपालन द्वारा भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अधीन प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग किये जाने के बारे में प्रस्तुत संकल्प और श्री स० मो० बनर्जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर चर्चा जारी रही । संशोधन और संकल्प, दोनों अस्वीकृत हुए ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प विचाराधीन ३६००—०२

श्रीमती शारदा मुकर्जी ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि सेना के जवानों वायु सैनिक और नौसैनिकों के मिलने वाला निवृत्ति वेतन बढ़ाया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

विषय पृष्ठ

आधे घंटे की चर्चा ३६१२—१४

श्री सिंहासन सिंह ने मौरिस कारों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ४०७ के ३० अगस्त, १९६३ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई।

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) ने चर्चा का उत्तर दिया।

शनिवार २१ सितम्बर, १९६३/३० भा०, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

नेफा जांच के बारे में अग्रेतर चर्चा तथा हमारी प्रतिरक्षा तैयारी के बारे में प्रस्ताव और सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा।

GMGIPND—LSIII—1303 (Ai) LS—28-10-63—160

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . ३५९२

छब्बीसवां प्रतिवेदन

भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . ३५९२—३६००

श्री गौरी शंकर कक्कड़ ३५९२–९३

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा . . ३५९३

श्री दाजी . ३५९३

श्री हजरनवीस . ३५९३—९८

श्री अ० क० गोपालन . . ३५९८—३६००

सशस्त्र सेनाओं के लिए निवृत्ति—चिंतन के बारे में संकल्प . . ३६००—१२

श्रीमती शारदा मुकर्जी . . . ३६००—०१

श्री स० मो० बनर्जी . . . ३६०१—०२

श्री जोकीम आल्वा ३६०२

श्री सरजू पाण्डेय . . . . . ३६०२—०४

श्री अन्सार हरवानी ३६०४

श्री यशपाल सिंह . . . . . ३६०५—०७

श्री रघुनाथ सिंह . . . . . ३६०७—०८

श्री उ० मू० त्रिवेदी ३६०८

श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह . . . ३६०८–०९

श्री शिवनारायण . . . . . ३६०९—१२

मौरिस कारों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . ३६१२—१७

श्री सिंहासन सिंह . . . . ३६१२—१६

श्री चि० सुब्रह्मण्यम ३६१६–१७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३६१८—२४

PLS 41. XXI. 29. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।